लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

चतुर्थ माला
Fourth Series

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 9.1.91
Parliament Library

खंड 5, 1967 / 1889 (शक)
Volume (V), 1967/1889 (Saka)

[20 जून, 1967 से 3 जुलाई 1967 / 30 ज्येष्ठ 1889 से 12 आषाढ़ 1889 (शक)]
[June 20 to July 3, 1967/ Jyaistha 20 to Asatha 12, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)
Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 5 में अंक 21 से 30 तक हैं)
(Volume (V) contains Nos. 21 to 30)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय-सूची / CONTENTS

अंक 28 गुरूवार, 29 जून, 1967/ 8 आषाढ़, 1889 (शक)

No. 28 Thursday, June 29, 1967/Asadha 8, 1889 (Saka)

ता. प्र संख्या/ S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages.
प्र. स. 811 के बारे में	REGARDING, Q. No. 811	3691–3692
प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
813 जैट विमान का ईंधन	Jet Fuel	3692-3694
815 छोटे आकार के नोट	Currency notes in Smaller Sizes	3694–3696
816 सरकारी मुद्रणालयों के कर्मचारियों के बारे में वर्गीकरण समिति का प्रतिवेदन	Categorisation Committee's Report regarding Government Press Workers ...	3697-3698
817 अखिल भारतीय विद्युत ग्रिड	All India Grid of Electricity ...	3698-3702
819 अमरीकी फर्म बेंक्टेल	M/s Bechtels of USA	3702-3707
820 पन बिजली जलाशयों में मिट्टी का जमा हो जाना	Silting of Hydro Electric Reservoirs ...	3707-3708
अल्प-सूचना प्रश्न / S. N. Q.		
19 मंहगाई भत्ता आयोग की रिपोर्ट	DA Commission Report	3708-3713
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS.		
तारांकित प्रश्न संख्या/S.Q. No.		
812 राजस्थान की बिजली सम्बन्धी आवश्यकता	Electricity requirements of Rajasthan –	3713
814 कारों का आयात	Import of Cars	3713-3714
818 आयात निर्यात सलाहकार परिषद्	Import-Export Advisory Council	3714

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

821	प्रतिरक्षा व्यय में कटौती	Cut in Defence Expenditure	3714-3715
822	राष्ट्रीय बिजली ग्रिड	National Power Grid	3715
823	भारतीय तेल निगम का हिन्दुस्तान आर्गेनाइजर्स के साथ ठेका	I. O. C. Contract with Hindustan Organ-isers	3716
824	रत्नों के निर्यातक	Gem Exporters	3716-3717
825	मंहगाई भत्ता आयोग का प्रतिवेदन	D. A. Commission's Report	3717
826	राष्ट्रीय जल संभरण कार्य-क्रम	National Water Supply Programme ...	3717-3718
827	जीवन बीमा निगम की कार्य प्रणाली	Working of the Life Insurance Corpora-tion	3718
828	सरकारी उपक्रमों का बीमा	Insurance cover for Public Underta-kings	3718-3719
829	दीर्घकालीन बिजली योजना	Long Term Power Plan	3719
830	प्राइवेट लिमिटेड छोटी कम्पनियों पर कर	Tax on small private Limited Companies ...	3719-3720
831	राष्ट्रीय जल आयोग	National Water Commission	3720
832	हिन्दू संयुक्त परिवार पर आय-कर	Income-Tax on Hindu joint Family... ...	3720-3721
833	सरकारी क्षेत्र के एककों में अनुत्पादी श्रेणियों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति	Over Staffing in Unproductive Catego-ries in Public Sector Units	3721
834	यमुना जल सम्बन्धी विवाद	Jamuna Water Dispute	3722
835	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा चिकित्सक संघ	C. H. S. Doctors' Association	3722-3723
836	मैसर्स भुनभुनवाला एण्ड ब्रादर्स, बम्बई द्वारा लिये गये ऋण	Loans taken by M/s Jhunjhunwala & Bros. Bombay	3723

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
837	चौथी पंचवर्षीय योजना में पेट्रो-रसायन उद्योगों का विकास	Development of Petro-Chemicals during Fourth Plan	3723-3724
838	विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत नये गृह निर्माण कार्य	Building Activity under various Schemes ...	3724-3725
839	विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Regulations...	3725
840	चौथी पंचवर्षीय योजना में उर्वरक कार्यक्रम के बारे में बातचीत करने के लिये विश्व बैंक के एक दल का आगमन	Visit of World Bank Team for talks on Fourth Plan Fertilizer Programme ...	3725-3726

अतारांकित प्रश्न संख्या/U.S.Q Nos.

अ. प्र. संख्या/U.S.Q Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3935	ट्राम्बे उर्वरक कारखाना	Trombay Fertilizer Factory	3726-3727
3936	तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on Tobacco	3727
3937	कपड़े पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on Cloth	3727
3938	अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता प्राप्त करने के लिये शर्तें	Conditions for getting aid from World Organisations	3727-3729
3939	बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनायें	Major and Medium Irrigation Schemes ...	3730
3940	गोआ में डुडसागर प्रपात	Dudsagar Fall in Goa	3730
3941	मनीपुर में मेडिकल कालेज	Medical College in Manipur	3730-3731
3942	अहमद ग्रुप की मिलों (बम्बई) के कंवर राजनाथ का आयकर निर्धारण	I. T. Assessment of Kanwar Rajnath of Ahmed Group of Mills (Bombay) ...	3731-3732
3944	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता	Chittaranjan National Cancer Research Centre, Calcutta	3732

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
3945	चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र, कलकत्ता	Chittaranjan National Cancer Research Centre, Calcutta	3732–3733
3946	1967-68 के लिये गुजरात की वार्षिक योजना	Annual Plan for Gujarat for 1967–68 ...	3733–3734
3947	गुजरात में गृह निर्माण योजनाय	Housing Schemes in Gujarat	3734
3948	गुजरात राज्य बिजली बोर्ड के लिये अतिरिक्त धन	Additional Funds for Gujarat State... ...	3734–3735
3949	गुजरात में पेय जल सम्भरण की योजनाएं	Drinking water Supply Schemes in Gujarat ...	3735
3950	सरकारी कामों के लिये गैर-सरकारी प्रेसों का प्रयोग	Private Presses for Government jobs... ...	3735–3736
3951	दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में सफाई	Cleanliness in Government Employees colonies in Delhi	3736
3952	बिहार के गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था	Drinking Water Supply in Bihar Villages ..	3737
3953	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का वर्ष 1963–64 के संबंध में प्रतिवेदन	Scheduled Caste and Scheduled Tribe Commissioner's Report for 1963–64 ...	3737
3954	बीमा-धारियों की सेवा तथा अनुसन्धान संस्थान, (पालिसी होल्डर्स सर्विसिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट) कलकत्ता	Policy-holders Servicing and Research Institute, Calcutta	3737–3738
3955	मैसर्स मैकेन्जीज लिमिटेड	M/s McKenzies Ltd.	3738–3739
3956	मैसर्स जे. पी. एण्ड सन्स	M/s J. P. and Sons	3739

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3957	मैंसर्स मेकेन्जीज लिमिटेड	M/s McKenzies Ltd.	3739-3740
3958	अवकाश संबंधी नियम	Leave Rules	3738
3959	राजस्थान में पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण	Identification of Backward Areas in Rajasthan	3740
3960	विदेशी कम्पनियां	Foreign owned Companies	3740-3741
3961	जड़ी बूटियां उगाना	Cultivation of Herbs	3741-3742
3962	एक अमरीकी नागरिक से चरस पकड़ा जाना	Charas recovered from an American National	3742
3963	खिलाड़ियों की विदेश जाने वाली टीमों को दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange given to Sports Teams going Abroad	3742
3964	बम्बई में पकड़ी गई चांदी	Silver Seized in Bombay	3743
3965	जनपथ होटल (दिल्ली) में सुरक्षा कर्मचारी	Security Men at Janpath Hotel, Delhi ...	3743-3744
3966	अकाल कोष की स्थापना	Famine Fund	3744
3967	चौथी योजना में हरयाणा राज्य की सिंचाई योजनाएं	Irrigation Schemes of Haryana State in Fourth Plan	3744
3968	राज्यों की बिजली व्यवस्था का समन्वय	Linking up of Power System of States ...	3745
3969	सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance to Govt. Employees	3745
3970	रोहतक की परिवहन फर्में	Transport Firms of Rohtak	3746
3971	मैसर्स रैम्फ्री एण्ड सन	M/s. Remfry & Son	3746
3972	गंडक परियोजना	Gandak Project	3746-3747
3973	मंत्रालयों में स्टाफ कारें	Staff Cars in the Ministries	3747
3974	मुद्रा का पकड़ा जाना	Seizure of Currency	3747-3748
3975	नकदी और सोना पकड़ा जाना	Seizure of Cash and Gold	3748

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3976	वित्त मंत्रालय (प्रतिरक्षा विभाग) में कर्मचारियों की छंटनी	Employees Retrenched in the Ministry of Finance (Defence Department)	3748-3749
3977	चित्तौड़ जिले में अफीम का पकड़ा जाना	Seizure of Opium in District Chittor ..	3749
3978	आयकर विभाग की फाइलों की चोरी	Theft of Files of Income Tax Department ...	3749
3979	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में नहर से सिंचाई	Canal Irrigation in Delhi Union Territory...	3750
3980	कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे	Circular Railway in Calcutta	3750
3981	परिवार नियोजन योजनाओं के अन्तर्गत काम कर रही ग्राम सेविकाएं	Gram Sevikas serving in Family Planning Schemes	3750-3751
3982	मैसर्स झुनझुनवाला	M/s Jhunjhunwala	3751
3983	आयकर विभाग के अधिकारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Officers of Income-Tax Department	3751-3752
3984	मैसर्स झुनझुनवाला की फर्में	Firms of M/s Jhunjhunwala	3752
3985	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड	Hindustan Insecticides Ltd.	3752-3753
3986	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली	Hindustan Insecticides Ltd., New Delhi ..	3753-3754
3987	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड	Hindustan Insecticides Ltd.	3754-3755
3988	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमीटेड	Hindustan Insecticides Ltd.	3755-3756
3989	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निर्माण कार्य	Construction Work of Public Undertakings	3756
3990	अनिवार्य जमा योजना	Compulsory Deposit 'Scheme	3756-3757

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3991	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्यात किये जाने वाले पदार्थों का उत्पादन बढ़ाया जाना	Export Performance of Public Undertakings	3757
3992	सहकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory in Coop. Sector	3757-3758
3993	भूतपूर्व रियासतों के भूतपूर्व शासकों के परिवारों से वसूल किया गया सम्पत्ति शुल्क	Estate Duty realised from Families of the Former Rulers of States	3758
3994	हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के अध्यक्ष की नियुक्ति	Hindustan Insecticides Ltd.-Appointment of Chairman	3759
3995	आयातित माल तथा मुद्रा का पकड़ा जाना	Seizure of Imported Goods and Currency ...	3759-3760
3996	छात्रों को विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Students	3760
3997	वंध्यकरण आपरेशन	Sterilisation Operations	3760
3998	चीन द्वारा हांगकांग में छपवाये गये नोटों का केरल में चलन	Currency Printed in Hong Kong by China in Circulation in Kerala	3761
3999	उड़ीसा में गंदी बस्तियों को हटाना	Slum Clearance in Orissa	3761
4000	उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां	Stipends to S. C. & S. T. Students in Orissa	3761-3762
4001	केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान तथा अध्ययन संस्थान, झांसी	Central Institute of Ayurvedic Research and Studies, Jhansi	3762
4002	थन्नीर मुक्कम बांध परियोजना	Thanniar Mukkam Bund project	3762-3763

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र. संख्या/ U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4003	शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करना	Ceiling on Urban Property	3763
4004	उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas of U. P. ...	3763
4005	जीवन बीमा निगम	L. I. C. ...	3763–3764
4006	देहरादून नेत्रहीन वयस्क व्यक्तियों के राष्ट्रीय केन्द्र में हिन्दू अधिकारी की नियुक्ति	Appointment of Hindu Officer in National Centre for Adult Blind, Dehra Dun ..	3764
4007	अलेपुजहा टी. डी. मेडिकल कालेज	Alleppuzha T. D. Medical College... ...	3764–3765
4008	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	Central Government Employees ...	3765
4009	अस्पृश्यता संबंधी समिति	Committee on Untouchability	3765–3766
4010	दिल्ली में बंगलों में नौकर चाकरों के लिये बने मकान	Out houses of Bungalows in Delhi ...	3766
4011	दिल्ली में मानसिक दृष्टि से कमजोर बच्चों के लिए स्कूल	Schools for the Mentally Retarded in Delhi	3766–3767
4012	उड़ीसा का विकास	Development of Orissa ...	3767
4013	उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas of Orissa	3767
4014	उड़ीसा में कुष्ट रोग नियंत्रण केन्द्र	Leprosy Courts centre in Orissa	3768
4015	योजना आयोग के एक अधिकारी द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन	Receptions Hosted by an Officer of Planning Commission	3768–3769
4016	परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए पी. एल. 480 के धन का उपयोग	PL 480 Funds for Family Planning	3769

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

एयर इन्डिया के विमान चालकों द्वारा हड़ताल के बारे में चर्चा	Discussion Re. Strike by Air India Pilots --	3848-3454
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	3848
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai ..	3849
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji	3850
श्री जार्ज फर्नेन्डीज	Shri George Fernandes	3850
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	3850
श्री पीलु मोडी	Shri Piloo Mody ...	3851
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha ..	3851
डा. रानेन सेन	Dr. Ranen Sen ..	3851
श्री काशीनाथ पाण्डेय	Shri K. N. Pandey ...	3852
श्री उमानाथ	Shri Umanath ..	3852
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inderjit Malhotra	3853
डा. कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	3853

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

4017	बिड़ला समूह की फर्मों द्वारा उत्पादन शुल्क की चोरी	Saving of Excise Duty by Birla Group of Firms	3769
4018	सहायक आयकर आयुक्त	Assistant Commissioners of Income-tax ..	3769-3770
4019	आयकर सेवा के कर्मचारियों की प्रति नियुक्ति	Deputation of Personnel of Income tax Service	3770
4020	इड्क्की पन-बिजली परियोजना के लिये केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड	Central Control Board for Idikki Hydro Electric Project	3770-3771
4021	खादी की खरीद	Purchase of Khadi	3771
4022	दिल्ली में बंगलों की खाली जमीन में फसलें उगाना	Growing of Crops in Bungalow Lands in Delhi	3771-3772
4023	गोविन्द सागर बांध में जलमग्न हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र	Area of Himachal Pradesh Submerged in Govind Sagar Dam	3772
4024	गोविन्द सागर बांध में जलमग्न क्षेत्र	Areas Submerged in Govind Sagar Dam ...	3772-3773
4025	बैंक में जमा राशि	Deposits with Banks	3773-3774
4026	कोढ के रोगियों के लिये दुग्ध चूर्ण	Milk Powder for Leprosy Patients	3774
4027	अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति की सिफारिशें	Recommendations of Committee on Untouchability	3774
4028	कर ढांचे की जांच के लिये एक सदस्यीय आयोग के रूप में श्री भूतलिंगम् की नियुक्ति	Appointment of Shri Bhoothalingam as One Man Enquiry Commission to enquire into tax Structure	3774-3775
4029	मध्य प्रदेश की सिंचाई और विद्युत योजनाएं	Irrigation and Power Schemes of Madhya Pradesh	3775-3776
4030	वर्सटड ऊनी धागे पर उत्पादन कर की चोरी	Leakage of Excise Revenue on Worsted Woolen Yarn	3776

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
4031	ऊन निर्माताओं द्वारा उत्पादन शुल्क का अपवंचन	Evasion of Excise Duty by Woolen Manufactures	3776-3777
4032	राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के प्रधान की सेवा अवधि	Tenure of Chairman of State Social Welfare Advisory Board	3777-3778
4033	ऐपेटाइट अयस्क परिष्करण संयन्त्र	Apatite Ore Benefication Plant	3778
4034	औद्योगिक करार	Industrial Agreements	3778
4035	दक्षिण दिल्ली में गन्दे पानी की सप्लाई	Supply of Bad Water in South Delhi ..	3779
4036	पोप के साथ स्वास्थ्य मंत्री की भेंट	Health Minister's meeting with the Pope	3779
4037	गृह निर्माण ऋण	House building Loan	3779-3780
4038	सोन बांध	Sone Barrage	3780-3781
4039	बिद्युत सहकारी समितियां	Electrical Co-operatives	3781
4040	गंगा नदी पर बांध	Dam on River Ganga	3781
4041	रामगंगा परियोजना	Ram Ganga Project	3781-3782
4042	गंगा और यमुना नदियों से पानी	Water from Ganga and Yamuna River ...	3782
4043	मध्य प्रदेश में कुष्टरोग निवारण केन्द्र	Leprosy Control Unit in Madhya Pradesh...	3782-3783
4044	उड़ीसा में गन्दी बस्तियों को हटाने सम्बन्धी परियोजनायें	Slum Clearance Projects in Orissa ... —	3783-3784
4045	1966-67 के लिये उड़ीसा की योजना	Orissa's Plan for 1966-67	3784-3785
4046	श्री हरिदास मुंदडा से वसूल की जाने वाली आयकर की बकाया राशि	Income Tax arrears due from Shri Haridass Mundhra	8785

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

4047	सरकारी कार्यालयों में वातानुकूलन मशीनें तथा खस खस की टट्टियां	Air conditioners and Khas Khas Tatties in Government Offices	3785
4048	मनीपुर में स्वर्णकार	Goldsmiths in Manipur	3785-3786
4049	परिवार नियोजन केन्द्रों तथा प्रसूति केन्द्रों में अवैध गर्भपात	Illegal Abortions in Family Planning and Maternity Centres	3786
4050	ट्राम्बे उर्वरक कारखाने को क्षति	Damage to Trombay Fertilizer Factory ...	3787
4051	जूतों पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Shoes	3787
4052	पेंशन पाने वाले व्यक्ति	Pensioners	3788
4053	सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद	Security Paper Mill, Hoshangabad	3788-3789
4054	टोंस नदी पर जलाशय बांध	Storage Dam at Tons River	3789
4055	भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Officers of Government of India Press, Aligarh	3789
4056	भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ	Government of India Press, Aligrah... ...	3789-3790
4057	उर्वरक कारखाने	Fertilizer Plants	3790
4058	अन्दमान के पदाधिकारियों के लिये मकान	Accommodation for Andaman Officials ...	3790-3791
4060	अन्दमान लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर के कब्जे में मकान	Accommodation Occupied by Principal Engineer, P. W. D., Andamans	3791-3792
4061	अन्दमान द्वीप समूह के मुख्य आयुक्त का निवास स्थान	Residence of Chief Commissioner, Andamans	3792
4062	मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये मकान	Houses for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in M. P.	3792-3793

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4063	"इस वर्ष कोई बालक न हो" नारे के बारे में लोगों का दृष्टिकोण	Response to 'No-Baby Year' Slogan ..	3793
4064	अनिवार्य वेसेक्टोमी अथवा टूबेक्टोमी	Compulsory Vasectomy or Tubectomy ...	3793
4065	अफीम की तस्करी में भूतपूर्व पुलिस कर्मचारी का शामिल होना	Ex-policeman involved in Opium Smuggling	3794
4066	कृत्रिम गर्भाधान	Artifical Insemination	3794
4067	नामरूप उर्वरक कारखाना	Namrup Fertilizer Plant ...	3794–3795
4068	आसाम की कम्पनियों द्वारा करों का भुगतान	Payment of taxes by Firms of Assam ..	3795
4069	भव्य फ्लेट	Luxury Flats	3796
4070	पर्वतीय स्थानों में प्रतिकर भत्ता	Compensatory Allowance in Hill Places ..	3796
4071	चाय का मानक	Tea Standards	3797
4072	भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ के कर्मचारियों के लिये सामान खरीदने की सुविधायें	Shopping Facilities for Employees of Government of India Press, Aligarh ...	3797
4073	आयकर निर्धारण के अनिर्णीत मामले	Pending Assessment Cases	3797–3798
4074	सीमा शुल्क से आय में कमी	Reduction in Customs Duty Receipts ...	3798–3799
4075	स्वर्णकार	Goldsmiths	3799
4076	दिल्ली में असैनिक अस्पताल	Civil Hospitals in Delhi	3799–3800
4077	योजना आयोग द्वारा इस्पात के बने फर्नीचर का खरीदा जाना	Purchase of Steel Furniture by Planning Commission	3800-3801

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS Contd.

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	pages
4078	सरकारी मुद्रणालयों के कम्पोजिटर	Compositors in Government Presses ...	3801
4079	मैसर्स अमीनचन्द प्यारे लाल सार्थ–संघ के आय कर सम्बन्धी दायित्व	Income tax Liabilities of M/s Amin chand Pyarelal Group of Industries ...	3801–3802
4080	तेल के लिये कच्छ के रण का सर्वेक्षण	Survey of Rann of Kutch for Oil	3802
4081	देश में बांधों के निर्माण के लिये अर्जित की गई भूमि	Land Acquired for Dams	3802–3803
4082	स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय के राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों की पदनिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियुक्ति	Re-employment of Gazetted and Non-Gazetted Employees of the Ministry of Health and Family Planning after retirement	3803
4083	उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल की मांग	Requirements of Kerosene Oil of U. P. ..	3803–3804
4084	चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों में पंखे	Fans in Class IV Employees Quarters ..	3804
4085	आय का निर्धारण	Assessment of Income	3804
4086	मध्य प्रदेश को माताटीला बांध से बिजली की सप्लाई	Power Supply from Matatilla Dam to Madhya Pradesh	3804–3805
4087	बिहार में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी	Central Government Employees in Bihar ..	3805
4088	बम्बई में सोने के तस्कर व्यापारी	Gold Smugglers in Bombay ... —	3806–3807
4089	ठेकेदारों के कार्य–निष्पादन की अवधि को बढाना	Extension of Time to Contractors	3807

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

4090	बंगलौर में पेय जल सप्लाई योजना	Drinking Water Supply Scheme in Bangalore –	3807
4091	द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार सेक्शन आफिसरों की सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति	P romotion of Section Officers to Selection Grade under 2nd Pay Commission's Recommendations	3807–3808
4092	रोगनों तथा वार्निशों पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Paints and Varnishes	3808–3809
4093	रोगन और वार्निश पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Paints and Varnishes	3809
4094	मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिये स्थानों का आरक्षण	Reservation for Scheduled Caste Students in Maulana Azad Medical College ...	3810
4095	मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये स्थानों का आरक्षण	Reservation of seats for S. C. and S. T. students in Maulana Azad Medical College	3810–3811
4096	भारत में बने थर्मामीटर	Indian Made Thermometers	3811
4097	यमुना नदी का सूख जाना	Drying up of Jamuna	3811–3812
4098	नई दिल्ली में पंचकुई रोड पर सरकारी क्वार्टर	Government Quarters of Punchkuia Road, New Delhi ...	3812–3813
4099	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में संशोधन	Revision of Lists of S. C. and S. T.... ..	3813
4100	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी लोकुर समिति	Lokur Committee on S. C. and S. T. ...	3813

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4101	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी लोकुर समिति	Lokur Committee on S. C. and S. T. ..	3814
4102	बम्बई में सोने तथा मुद्रा का अवैध संचय	Hoarded Gold and Currency in Bombay ..	3814
4103	नई दिल्ली की सरकारी बस्तियों में स्क्वेयर्स के नामों को बदलना	Change in Names of Squares in Government Colonies in New Delhi	3814–3815
4104	देहाती तथा शहरी लोगों के जीवन स्तर में समानता	Parity between Living Standards of Rural and Urban Populations	3815
4105	आयुर्वेद के स्नातकों के वेतन–क्रम	Pay Scales of Ayurvedic Graduates... ...	3815–3816
4106	दिल्ली का विकास	Development of Delhi	3816
4107	पंजाब सरकार के लिये धन का नियतन	Allocation of Funds for Punjab Government	3816–3817
4108	चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के लिये नियतन उद्योग	Industries allotted to U. P. in Fourth Plan	3817
4109	उत्तर प्रदेश में सहकारी बैंकों द्वारा दान में दिया गया धन	Donations by Co-operative Banks in U, P.	3817–3818
4110	बुनियादी पैट्रोलियम उत्पादों का आयात	Import of basic Petrolieum items	3818
4111	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा प्राकृतिक गैस का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण	Survey by O&NGC for Natural Gas ...	3818–3819
4112	राजस्थान में बन्ध्यकरण आपरेशन	Vasectomy Operations in Rajasthan.. ...	3819–3820

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी) WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

4113 चार नई परियोजनाओं के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ से सहायता	U, N. Assistance for four new Projects ..	3820–3821
4114 मेसर्स ओरियेंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्रांइवेट) लिमिटेड	M/s. Oriental Timber Trading Corporation (P.) Ltd.	3821
4115 मैसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा करापवंचन	Evasion of Income Tax by M/s Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd. ...	3821–3822
23 जून, 1967 की कार्यवाही वृतान्त से निकालने के बारे में	Re. Expunctions from Proceedings dated 23.6.67	3822–3823
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	3823–3824
अनुदानों की मांगें, 1967-68-जारी	Demands for Grants. 1967–68	3824–3848
वाणिज्य मंत्रालय	Ministry of Commerce	3824
श्री म० सुदर्शनम	Shri M. Sudarsanam	3824
श्री दिनकर देसाई	Shri Dinkar Desai	3827
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	3829
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	3832
श्री हिम्मतसिंहका	Seri Himatsingka	3835
श्री मनोहरन	Shri Manoharan	3836
श्री रा. बरुआ	Shri R. Barua	3838
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair	3841
श्री शफी कुरेशी	Shri Shafi Qureshi	3843
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	3846
सभा का कार्य	Business of the House	3848

लोक-सभा वाद-विवाद का

संक्षिप्त अनुदित संस्करण

गुरुवार , 29 जून, 1967 । 8 आषाढ़, 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
(iii)	अतारांकित प्रश्न संख्या `3942` के स्थान पर `3943` पढ़िये ।
(xi)	अतारांकित प्रश्न संख्या `4058` के स्थान पर `4059` पढ़िये ।
3698	तारांकित प्रश्न संख्या `817` के हिन्दी पाठ के स्थान पर निम्नलिखित अंग्रेजी रूपान्तर पढ़िये : ' all India Grid of Electricity **Shri Siddheshwar Prasad** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state : (a) the steps being taken to remove the gap between the average generation of electricity and its consumption in each state; and (b) the decision taken regarding creation of an all India Grid of Electricity ?
3704	ऊपर से 10 वीं पंक्ति में ` One Crore के स्थान पर ' Crores ' पढ़िये ।
[redacted]	प्रश्न संख्या `4316` के स्थान पर `4016` पढ़िये ।

लोक-सभा

LOK-SABHA

गुरुवार, 29 जून, 1967/8 आषाढ़, 1889 (शक)
Thuasday June 29, 1967/8 Asadha, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्न संख्या 811 के बारे में
(Re : Q. No. 811)

अध्यक्ष महोदय : सभा अब प्रश्नों को लेगी—श्री आर० के० बिरला ।

Shri Madhu Limaye : Sir, I received the information this very morning that my question, which was first in the days' list has been transferred to the Home Ministry.....

अध्यक्ष महोदय : इसे दूसरे मंत्रालय को भेज दिया गया है ।

Shri Madhu Limaye : On that day also the Home Minister will say that he does not know anything about this. If he does not want to take up this question to-day I have no objection to it, but for that day you please direct both the Ministers to come prepared.

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं आप से सहमत हूं । प्रश्न संख्या 811 को, जो आज की सूची में सबसे पहला प्रश्न था, 12 जुलाई, 1967 की सूची में रख दिया गया है और उसका उत्तर गृह-कार्य मंत्री देंगे । प्रतिपक्ष केवल यही चाहता है कि वित्त मंत्री या गृह-कार्य मंत्री, जो भी इसका उत्तर दें, प्रश्न का पूरा उत्तर दें और दोनों ही उपस्थित हों ।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त-मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : 12 को, ठीक है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप तारीख बदलना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्रश्नों की तारीख कौन बदलता है, कार्यालय या मंत्री ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री के अनुरोध पर। प्रश्नों की तारीख बदलने में कार्यालय का कोई हित नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Sir, what Minister has requested-Finance or Home Affairs that Home Minister will reply.

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता।

Shri Morarji Desai : The Home Minister will reply.

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्रालय ने इसको गृह मंत्रालय को भेज दिया और गृह मंत्रालय ने इसको स्वीकार कर लिया।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस प्रश्न को 12 जुलाई को प्राथमिकता दी जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : आप यह चाहते हैं कि उस दिन भी यह प्रश्न सबसे पहले हो तो ऐसा ही होगा।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

जेट विमान का ईंधन

+

*813. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** **डा० कर्णी सिंह :**
श्री जे० एच० पटेल : **श्रीमती निर्लेप कौर :**
श्री मधु लिमये :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जैट विमान के ईंधन का उत्पादन कितना होता है;

(ख) देश को जैट विमान के ईंधन की प्रतिवर्ष कितनी आवश्यकता पड़ती है;

(ग) क्या कुल आवश्यकता को पूरी करने के लिये यह उत्पादन पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रतिवर्ष जेट विमान के ईंधन का कितना और आयात किया जाता है और कितनी लागत पर ?

योजना, पेट्रोलियम तथा रसायन और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क), (ख) और (ग) भारत में जैट विमान के ईंधन का उत्पादन सारी मांगों

को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। किन्तु भारत-रक्षा नियमावली के अधीन मांगों एवं उत्पादन के आंकड़े नहीं बताए जा सकते।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri George Fernandes : May I know whether this fuel is produced in Public Sector or the Private Sector refineries ?

श्री रघु रामैया : मेरा ख्याल है कोचीन को छोड़कर यह सभी तेलशोधक कारखानों में तैयार किया जाता है।

Shri George Fernandes : May I know whether it is distributed by the Indian Oil Company or by the refineries themselves and whether the aircrafts belonging to foreign airlines are supplied fuel at the Indian airports by the Indian Oil Company or the Private Companies ?

श्री रघु रामैया : हमारी वितरण पद्धति तक एकीकृत पद्धति है और मैं बिना जानकारी के नहीं कह सकता कि किस एकक को किसके द्वारा सप्लाई की जाती है।

Shri Madhu Limaye : How much of the fetal jet fuel is produced respectively by the foreign companies, the private sector and the public sector ? How much of the fuel is supplied respectively by the Private and the foreign companies to the civil air crafts on our airports ?

श्री रघु रामैया : इन ब्यौरों का विवरण मेरे पास नहीं है। यदि माननीय सदस्य एक पृथक प्रश्न पूछें तो मैं उत्तर दे दूंगा।

Shri Madhu Limaye : Not the separate notice; he may give the reply later on.

श्री रघु रामैया : यदि आप ऐसा निदेश दें तो मैं सभा-पटल पर एक विवरण रख दूंगा।

श्री नायनार : कोचीन तेलशोधक कारखाने में जेट विमान का ईंधन क्यों तैयार नहीं किया जा रहा है ?

श्री रघु रामैया : एक प्रस्ताव है और हमें आशा है वहां जेट विमान का ईंधन तैयार होने लगेगा।

Shri Shiv Chandra Jha : Are experiments to prepare jet fuel from coaltar going on ?

श्री रघु रामैया : ऐसा कोई प्रयोग किया जा रहा है, मुझे इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है।

डा० रानेन सेन : क्या मंत्री महोदय को पता है कि भारतीय हवाई अड्डों पर आने वाले विदेशी जेट विमानों को ईंधन केवल विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा ही दिया जाता है ?

यदि हां, तो क्या इन्डियन ग्रायल कम्पनी द्वारा तेल दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार ने कदम उठाये हैं ?

श्री रघु रामैया : जैसा कि मैंने बताया हमारी वितरण व्यवस्था एकीकृत है। अतः यह उस स्थान पर निर्भर करता है जहां पर ईंधन दिया जाता है।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : (क) क्या मंत्री महोदय यह मानने के लिये तैयार है कि देश में अच्छी किस्म का और बड़ी मात्रा में जेट विमान का ईंधन तैयार करने के लिये सरकार ने काफी प्रयत्न नहीं किये।

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार के सामने क्या बाधाएं थीं ?

(ग) क्या सरकार यह मानने के लिये तैयार है कि ईंधन पैदा करने वाले क्षेत्रों में जो अन्तर्राष्ट्रीय तनाव और विवाद हैं उनको देखते हुए हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये अपनी ग्रावश्यकता का जेट विमान ईंधन पैदा करना अनिवार्य है ?

श्री रघु रामैया : अपेक्षित किस्मों का ईंधन तैयार करने में बिल्कुल कोई बाधाएं नहीं हैं। हमारे प्रयोजन के लिये यह बिल्कुल पर्याप्त है।

छोटे ग्राकार के नोट

+

***815. श्री शारदा नन्द :** **श्री रामसिंह ग्रयरवाल :**
श्री ना० स्व० शर्मा : **श्री बृज भूषण लाल :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में नोटों के कागज की कमी के कारण विभिन्न मूल्यों के नोटों का आकार छोटा कर दिया है;

(ख) नोटों के कागज के ग्रायात पर प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है; और

(ग) नोटों का कागज भारत में तैयार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) जी, हां। 17 अप्रैल, 1967 से, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये के छोटे आकार के बैंक नोट जारी किये गये हैं।

(ख) मुद्रा नोटों और बैंक नोटों की वर्तमान आवश्यकताओं के आधार पर लगभग 290 लाख रुपये।

(ग) जब होशंगाबाद में स्थापित सिक्योरिटी पेपर मिल 1969 70 में अपनी निर्धारित क्षमता प्राप्त कर लेगी तब वह मुद्रा नोटों और बैंक नोटों के कागज की, देश की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने लगेगी।

Shri Sharda Nand : To what extent have the Government benefited by reducing the size of the currency notes ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : It will result in about 300 tons of paper valuing about Rs. 30 lakh.

Shri Brij Bhushan Lal : What steps have been taken during the last 20 years to manufacture the currency note paper in the country and why those have not so far enabled you to meet your requirements ?

Shri K. C. Pant : A factory for the manufacture of this paper has been put up at Hoshangabad and that is still under trial.

श्री चिन्तामणि पाणिग्राही : क्या सरकार को पता है कि नोटों के आकार में कमी करने के कारण पुराने 10 रुपये के नोट और नये-नये 100 रुपये के नोट में उलझन सी पैदा हो गई है। क्या इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और क्या आकार को और घटाये जाने की संभावना है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जी, नहीं। आकार में और कमी करने की कोई संभावना नहीं है। जहां तक उलझन का प्रश्न है वह एक व्यक्तिगत राय का मामला है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि पहले रिजर्व बैंक द्वारा नोटों को नष्ट करने और कागज की वसूली के लिये एक दोषरहित तरीका अपनाया जाता था ताकि कागज को अन्य प्रयोजनों के लिये प्रयोग में लाया जा सके और क्या रिजर्व बैंक में अपनाई गई प्रक्रिया में कोई रोक प्रतिरोक नहीं है जिसके परिणामस्वरुप काफी दुर्विनियोग चल रहा है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसके लिये मुझे सूचना चाहिये।

Shri Sidheshwar Prasad : Are Government contemplating to use better quality paper for one rupee note as it gets spoiled sooner, because of excessive circulation ?

Shri K. C. Pant : We are taking back old notes and circulating new ones in their place.

Shri Madhu Limaye : Has Governments' attention been drawn to the circulation of various currency notes bearing identical numbers and secondly to the circulating of certain damaged currency notes by the Reserve Bank Officers which were ordered to be destroyed ?

Shri K. C. Pant : So far as I think there were seven of eight such cases towards which our attention was drawn.

Shri Madhu Limaye : What about the destroying of currency notes.

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : उसकी पूरी जांच की गई थी और यह पाया गया कि कुछ नोटों को जलाया गया था परन्तु पूरी तरह नहीं, परन्तु उनको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था और यही कारण है कि वे दुबारा नहीं चलाये गये हैं। परन्तु अब सावधानी बर्ती गई है कि फिर से ऐसी घटना न हो; अत: भविष्य के लिये सन्देह का

कोई प्रश्न नहीं है। जिन नोटों के ऊपर दूहरी संख्या थी, हमने देखा उनकी संख्या बाद में बदली गई थी। इसका प्रमाण है। अतः वह जाती नहीं हैं।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : इस बात के लिये पर्याप्त सावधानी क्यों नहीं बर्ती गई थी कि आकार के घटाये जाने के कारण रात के समय में और गांव के अल्पशिक्षित लोगों में छोटे नोटों को पहचानने में उलझन पैदा न हो ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं समझता हूं कि पूरी सावधानी बर्ती गई थी। यदि मेरे माननीय मित्र चाहें तो मैं विभिन्न नोटों के आकार और उनमें किये गये परिवर्तन को बता सकता हूं, अधिकांश मामलों में चौड़ाई को घटाया गया है ओर लम्बाई नहीं रखी गई है अतः कोई उलझन नहीं होगी।

श्री स० कुण्डू : माननीय मंत्री ने अभी कहा कि नोटों के आकार को घटाने से लगभग 30 लाख रु० की बचत हुई है। यह उपाय पहले क्यों नहीं किया गया ताकि करोड़ों रुपयों की बचत हो जाती। क्या इस बात की जांच की जायेगी कि अब तक इस उपाय को न करने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? दूसरे, क्या जब कारखाने में नोटों का कागज तैयार होने लगेगा तो फिर से नोटों का आकार पहले जितना किया जायेगा ?

श्री मोरारजी देसाई : यदि इस प्रकार का तर्क स्वीकार कर लिया जाये तो प्रत्येक सुधार के लिये पुराने लोगों को दण्ड दिया जायेगा और कभी कोई सुधार नहीं हो सकेगा।

श्री स० कुण्डू : मैं यह भी जानना चाहता था कि क्या इन नोटों के आकार फिर बदला जायेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इससे तो उलझन और अधिक बढ़ जायेगी।

Shri Jagannath Roa Joshi : May I know whether the reduction in size has been brought about as un economy measure or measure of convenience in dealing or it has unwillingly been done under dollar pressure ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : This is somthing very strange and new to our ears, bnt we are always to eager to learn more. Both those things have been kept in view.

Shri S. M. Banerjee : It has been done after devaluation.

श्री अम्बा जागन : क्या सरकार का विचार विभिन्न नोटों को विभिन्न रूपों और रंगों में छापने का है ताकि लोगों को उन्हें पहचानने में उलझन न हो।

श्री मोरारजी देसाई : इस सुझाव पर विचार किया जायेगा।

Shri Sheo Narain : By what time the one rupee, two rupee, five rupee and ten rupee notes will be withdrawan and estroyed ?

Shri K. C. Pant : It is difficult to give the precise date, but we are withdrawing them gradually.

सरकारी मुद्रणालयों के कर्मचारियों के बारे में वर्गीकरण समिति का प्रतिवेदन

+

* 816. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री मधु लिमये :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी मुद्रणालयों के कर्मचारियों के बारे में वर्गीकरण समिति के प्रतिवेदन को पूर्णत : क्रियान्वित किया गया है ;

(ख) क्या विभिन्न कार्मिक संघों तथा संगठनों द्वारा सुझाये गये परिवर्तन इस प्रतिवेदन में शामिल कर लिये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) (क) मांगी गयी सूचना का विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा है । [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० 837/67**]

(ख) और (ग) : यूनियनों तथा एसोसियेशनों के विचारों पर भली भांति विचार किया गया किन्तु उन्हें सदैव स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि कुछ बहुत देर से प्राप्त हुए अथवा कुछ ऐसे थे जिनके लिए पूरे कैडर संरचना में भारी तरमीन की आवश्यकता थी जो कि वर्गीकरण समिति के अधिकार क्षेत्र से बाहर था ।

श्री स० मो बनर्जी : इस वर्गीकरण समिति की नियुक्ति इसलिये की गई थी क्योंकि प्रेस के कर्मचारियों में यह भावना थी कि दूसरे वेतन आयोग ने उनकी ठीक प्रकार सुनवाई नहीं की । इसके परिणाम स्वरूप ही श्री पी० के० सेन की अध्यक्षता में वर्गीकरण समिति की नियुक्ति की गई थी । मै यह जानना चाहूंगा कि क्या वित्त की आपत्ति के ही कारण इस इस समिति की सिफारिश या प्रेस कर्मचारियों की विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधियों के सुझावों पर विचार नहीं किया गया, यदि हां तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : इस समिति की कुछ सिफारिशों को क्रियान्वित न करने का मुख्य कारण यह है कि दूसरे वेतन आयोग की सीमा के अन्दर ही कार्य करना होता है, जिसके अनुसार अधिकतम वेतन मान 240 रुपये है । इसी कारणवश समिति विभिन्न यूनियनों और संस्थाओं के सुझावों की जांच नहीं कर सकी ।

श्री स० मो बनर्जी : अब दूसरे वेतन आयोग की अवधि समाप्त हो गई है। इसे पांच वर्ष से अधिक हो गये हैं और सरकारी कर्मचारियों के लिये अब वे वेतनमान नहीं है। मै यह जानना चाहूंगा कि क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अब सरकारी कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग द्वारा दिये गये वेतन मान लागू नहीं होते, क्या समिति की एकमत से दी गई सिफारिशों पर फिर से विचार किया जावेगा।

श्री जगन्नाथ राव : जहां वेतन मान नहीं हैं वहा निश्चय ही हमें तीसरे वेतन आयोग की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। परन्तु उपलब्ध वर्गों का मैं मुक्तिकरण करना चाहूँगा।

Shri Raghuvir Singh Shastri : I want to know whether the Committee was appointed simply to pacify the employees and infact Government do not intend to do take any action in this regard ?

श्री जगन्नाथ राव : सरकार सिफारिश को बहुत ईमानदारी और उत्सुकता से क्रियान्वित करना चाहती है। वर्गीकरण समिति की रिपोर्ट, जो सभा पटल पर रख दी गई है, इसमें नियमों का उल्लेख किया गया है (बाधाएं)

Shri Atal Bihari Vajpayee : In the statement placed, on the table of the house it has been stated with regard to certain recommendations that they have been accepted in principles and with r gard to others it has been said that they have been accepted as guiding principles. I want to know what is the difference between the accepted in principles and guiding as a principle ?

जगन्नाथ राव : इसका अभिप्राय यह हुआ कि इसको सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है, परन्तु इसको क्रियान्वित नहीं किया गया है, इसको अब क्रियान्वित करना है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यह स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि वक्तव्य से क्रियान्वित की जाने वाली सिफारिशों को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। यह शब्द जाल है।

श्री कंवर लाल गुप्त : इसका व्यवहारात्मक अर्थ क्या है ?

श्री जगन्नाथ राव : इसका अर्थ यह है कि सिफारिश सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गई है, परन्तु इसको क्रियान्वित किया जाना है।

अखिल भारतीय विद्युत ग्रिड

* 817. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में बिजली के औसत उत्पादन तथा इस की खपत के अन्तर को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) अखिल भारतीय विद्युत ग्रिड बनाने के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी सभा पटल पर रख दी गई है (देखिये एल० टी० संख्या 838/67)

Shri Sidheshwar Prasad : Whether there has been a proposal to manufacture grids for the last four or five years ? I want to know the difficulties and the delay made with regard to it. What action the Ministry have takon to remove those difficulties ?

श्री कु० ल० राव : अखिल भारतीय ग्रिड योजना को अब क्रियान्वित किया जा रहा है । चौथी योजना में शक्ति विनिमय करने के लिये पहला कदम हम यह उठा रहे हैं कि राज्यों के बीच ट्रांस मिशन लाइन चालू करने का प्रयास हो रहा है । इसके बाद ही विभिन्न लाइनों को जोड़ने से सम्बन्धित कार्य किया जायेगा । देश पांच जोनों में विभाजित हैं और जब विभिन्न जोनों में सम्पर्क स्थापित हो जायगा तब ही हम कह सकते हैं कि अखिल भारतीय ग्रिड की स्थापना हुई है ।

Shri Sidheshwar Prasad : I want to know the various things mainly to be included under all India Grid and whether the Government have also considered to provide electricity for the farms and the industries at the same rate ? If it has been considered, the decision, thereof ?

डा० कु० ल० राव : अखिल भारतीय ग्रिड द्वारा विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरीके से बिजली पैदा कर विनिमय किया जायेगा । अखिल भारतीय ग्रिड का मुख्य उद्देश्य विभिन्न तरीके के भार को समान दर पर देना है ।

श्री रंगा : उन्होंने कुछ और बात पूछी हैं और मन्त्री महोदय ने कुछ और दिया है । वे समान दर के सम्बन्ध में बता रहे थे । कृषि और उद्योग का क्या हुआ ?

Shri Sarjoo Pandey : According to the statement of the hon. Minister, there is a shortage of electricity in nine States and which includes Uttar Pradesh also. It has also been mentioned that even on the completion of the Fourth five Year Plan this state would not be able to get so much power as to the other parts of the country. I want to know what action has been taken under the Fourth Plan to bring Uttar Pradesh at par with other parts of the country in connection with electricity.

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि उत्तर प्रदेश राज्य में बिजली की कमी है । भार सर्वेक्षण के अनुसार चौथी योजना के अन्त में भी उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी रहेगी । अतः हमें कुछ और परियोजनाओं का आरम्भ करना चाहिये और कुछ और को मन्जूरी देनी चाहिये ।

Shri Randhir Singh : I want to know through you from the hon. Minister whether the Government is considering a scheme to provide power to the farmers at half the rates in order to give them insentive ?

डा० कु० ल० राव : मैं सभा में पहले भी बता चूका हूँ कि सिंचाई के लिये पानी खींचने की दर 12 पैसे प्रति यूनिट घटी दर समझी गई है । इससे अधिक होने पर केन्द्र या राज्यों से राज सहायता दी जायेगी ।

श्री बलराज मधोक : सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य में कहा गया है कि आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश. मैसूर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन समस्त देश में पैदा होने वाली बिजली के प्रति व्यक्ति उत्पादन के अनुपात से कम है। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि जम्मू और काश्मीर और विशेषकर केरल जैसे राज्यों में जहां पानी और जल विद्युत के इतने अधिक साधन हैं, बिजली पैदा करने के लिये क्यों कोई कदम नहीं उठाये गये ? विशेषकर जम्मू और काश्मीर में जहां सलाल परियोजना पिछले कई वर्षों से विचाराधीन है। इससे इतनी बिजली उत्पन्न हो सकती है वह सारे पंजाब और पश्चिमी क्षेत्रों के लिये पर्याप्त है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये शीघ्रता से काम क्यों नहीं किया जा रहा ताकि इससे इन क्षेत्रों को बिजली प्राप्त हो सके ?

डा० कु० ल० राव : उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के परिणाम स्वरूप यह असन्तुलन उत्पन्न हुआ है। विशेषकर जम्मू और काश्मीर के सम्बन्ध में हम चिनाब नदी पर बड़ी योजना बनाने का विचार कर रहे हैं और आशा है कि अगले वर्ष तक उस पर काम आरम्भ हो जायेगा।

श्री पं० वेंकटासुब्बया : मैं मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य के अन्तिम भाग की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें क्षेत्रीय असन्तुलन का उल्लेख किया गया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश भी ऐसा राज्य है वहां भी समस्त भारत में पैदा होने वाली बिजली के अनुपात के मुकाबले में कम बिजली उत्पन्न होती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सिरसेलम परियोजना को पूरा करने के लिये क्या कोई कदम उठाये हैं ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या मन्त्री महोदय का ध्यान आन्ध्र के मुख्य मन्त्री के इस वक्तव्य को ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से नवेली तापीय प्लांट में पैदा होने वाली बिजली में हिस्से की मांग की हैं ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली देश में सबसे कम उत्पन्न होती हैं। हमने बहुत सी परियोजनाओं को मन्जूरी दी है और हमें आशा है कि इसके परिणाम स्वरूप तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में जो स्थिति थी इसके मुकाबले में काफी प्रगति होगी। जहां तक नवेली विद्युत का सम्बन्ध है, वह खान मन्त्रालय से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत पेचिदा है।

डा० कु० ल० राव : मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि जहां तक नवेली बिजली परियोजना के पहले चरण का सम्बन्ध है इसका प्रयोग मद्रास राज्य में बिजली के भार को सहन करने के लिये किया जा रहा है।

श्री पं० वेंकटासुब्बया : मैंने मन्त्री महोदय का ध्यान आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के वक्तव्य की ओर विशेषरूप से दिलाया था जिसमें कहा गया है कि आंध्र सरकार ने केंद्रीय सरकार

से केन्द्रीय परियोजना द्वारा उत्पन्न की गई बिजली में हिस्से की मांग की है। परन्तु माननीय मन्त्री ने मेरे प्रश्न का कोई विशेष उत्तर नहीं दिया है।

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि मद्रास, आन्ध्र प्रदेश और केरल के मुख्य मन्त्री नवेली और अणु शक्ति परियोजना से उत्पन्न की गई बिजली में हिस्से के लिये आन्दोलन कर रहे हैं। जहां तक नवेली बिजली योजना का सम्बन्ध है मुझे भय है कि इस मामले में काफी देरी हो चुकी है क्योंकि बिजली का वितरण किया जा चुका है और मद्रास राज्य ने उपभोग के लिये ले ली है।

श्री कृष्ण मूर्ति : मद्रास राज्य में कृषि के लिये बिजली की सप्लाई की बहुत मांग है और हम मैसूर से 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली खरीद रहे हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मन्त्री महोदय चार या पांच वर्ष पहले आरम्भ किये जाने वाले होगेनेक्कल परियोजना को क्रियान्वित करने में रूचि ले रहे हैं, और उन्हीं के वक्तव्य के अनुसार इससे 800 मैगावार से अधिक बिजली उत्पन्न होगी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसको क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या उन्होंने परियोजना आरम्भ करने के सम्बन्ध में मद्रास और मैसूर राज्यों में समझौता कराने के लिये कदम उठाये हैं।

डा० कु० ल० राव : मद्रास का बिजली भार ऐनोरे इत्यादि जैसी परियोजनाओं की मंज़ूरी करके पूरा किया जा रहा है। जहां तक होगेनेक्कल परियोजना का सम्बन्ध है, मुझे भय है कि इस सम्बन्ध में मद्रास और मैसूर राज्यों के बीच कोई फैसला नहीं हुआ है और मामला अभी जांच की ही स्थिति में है।

श्री अमृत नाहाटा : क्या माननीय मन्त्री पलाना लिग्नाइट परियोजना को चौथी पंच वर्षीय योजना में शामिल करने का अश्वासन राजस्थान को देंगे, जिसकी आशा पर ही राजस्थान सरकार प्रति वर्ष पलना खानों पर एक लाख रुपया व्यय कर रही हैं।

डा० कु० ल० राव : पलना परियोजना बहुत समय से विचाराधीन है। राजस्थान सरकार को पलना से उपलब्ध होने वाले लिग्नाइट की राशि का अन्तिम निर्णय लेना है और इस सम्बन्ध में कि क्या लिग्नाइट 50 या 100 मेगावाइट यूनिट के लिये पर्याप्त है या नहीं अभी जांच और पत्र व्यवहार चल रहा है। इस सम्बन्ध में अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आसाम में देश में सबसे कम बिजली उत्पन्न होती है, और वह भारत का सबसे उपेक्षित राज्य है, सरकार का विचार कब तक कोपिली परियोजना को खटाई में रखने का है ?

डा० कु० ल० राव : मैं माननीय सदस्य से इस बात की अपील करूंगा कि वह इस बात का पता करें कि क्या आसाम में बिजली भार बढ़ गया है। हमारे लिये उत्पन्न की गई शक्ति का व्यय ही करना कठिन है।

जहां तक कोपिली परियोजना का सम्बन्ध है, यह बहुत अच्छी योजना है. परन्तु सुरंग के नीचे की जमीन बहुत पथरीली है। सभा को यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि 200 फुट नीचे 70 फुट लम्बी और 30 फीट चौड़ी सुरंगे है। इसलिये इस बात की जांच की जा रही है कि इस कठिनाई को कैसे दूर किया जाये।

श्री हेम बरुश्रा : इसकी कब तक जांच चलती रहेगी।

डा० कु० ल० राव : जैसे जैसे हम इस सम्बन्ध में जांच करते हैं वैसे वैसे हमें और सुरंगों का पता लगता है।

Shri Mrityunjay Prasad : Several tubewells are being built up in Bihar due to draught conditions prevailing there whereas the old tubewells are not getting electr city for three to four hours during a day. Whether the hon, Minister inform that it is due to shortage of power or due to misdistribution of power or due to both and whether he would take some measures for improvement in this regard.

डा० कु० ल० राव : मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य ने किस क्षेत्र का उल्लेख किया है। यदि वह दक्षिण बिहार है तो वहां बिजली के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है।

Shri Mrityunjaya Prasad : I am talking of almost of whole Bihar and Particularly of North Bihar and Champaran.

डा० कु० ल० राव : यदि वह उत्तरी बिहार के सम्बन्ध में कह रहे हैं तो यह सच है क्योंकि हमारे पास इस समय पर्याप्त संचालन लाइने नहीं हैं। जब मुजफ्फरपुर में सूगूली श्रौर गंडक हैड वर्कस के बीच संचार लाइन तैयार हो जायेगी तब हम चंपारन क्षेत्र को बिजली सप्लाई करने में समर्थ हो जायेंगे।

श्रमरीकी फर्म बैक्टेल

+

* **819.** श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : **श्री विरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री वासुदेवन नायर : **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री शशि रंजन : **श्री काशी नाथ पांडे :**

क्या **पेट्रोलियम श्रौर रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी फर्म, मैसर्स बेक्टेल ने, जिसके पास इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड के 49 प्रतिशत ईक्विटी शेयर हैं, सरकार को अपने इस निर्णय के बारे में सूचना दी है कि वह अपने बचन पूरे नहीं करेगी ;

(ख) यदि हां, तो अपने बचनों को पूरा न करने के बारे में उस कम्पनी ने क्या कारण बताये हैं ;

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ;

(घ) क्या इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड को शतप्रतिशत सरकारी उपक्रम बनाने का कोई विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघु रामैया) : (क) से (ग) भारत सरकार और बेक्टेल इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड अपनी साझेदारी समाप्त करने के लिये आपस में सहमत हो गये हैं। यह इसलिये किया गया कि कम्पनी दोनों पक्षों के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर रही थी। कम्पनी में बेक्टेल के हितों को विक्रय द्वारा सरकार को दे देने का समझौता हो चुका है।

(घ) और (ङ) इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड अब शतप्रतिशत सरकारी उपक्रम है और पूर्णतया सरकार द्वारा नामित निदेशकों का बोर्ड इस का प्रबन्ध करता है।

Shri Sidheshwar Prasad : May I know the terms of the agreement concluded between M/S. Bechtels and the Engineers India Limited ; and the reasons why it has been revoked ?

श्री रघु रामैया : यह समझौता 1965 में सम्पन्न हुआ था, जिसका ध्येय यह था कि यह फर्म तेल शोधक कारखानों तथा रसायन कारखानों को स्थापित करने के सम्बन्ध में इंजिनियरी तथा अन्य सेवाएं और परामर्श देने का काम करेगी तथा उनके निर्माण में सहयोग देगी। परन्तु कम्पनी ने जिस ढंग से कार्य किया उससे यह ज्ञात हुआ कि कम्पनी हमारे हित में काम नहीं कर रही है। साथ ही हमारा उद्देश्य भी यह था कि इंनिनियरी सेवाओं का एक स्वदेशी उद्योग पनपे। इसी कारण से यह समझौता समाप्त कर दिया गया।

Shri Sidheshwar Prasad : I would like to know the object with which the Engineers India Limited was established and whether all the necessary facilites and sources have been made available to it.

The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals (Shri Asoka Mehta) : Yes, Sir.

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का मुख्य काम डिजाईन बनाना परामर्श देना और इंजिनियरी का काम करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए की यह एक विशेषज्ञों की संस्था है क्या आप बतायेंगे कि इस संस्था के पास पर्याप्त काम हैं या नहीं ?

श्री रघु रामैया : मद्रास तेल शोधक कारखाने और बम्बई के चिकना करने वाले तेल के शोधक कारखाने तथा विभिन्न तकनीकी आर्थिक सम्भावनाओं सम्बन्धी अध्ययनों में उनकी सेवाओं से लाभ उठाया जा चुका है।

श्री नाथ पाई : सभी विदेशी फर्में जो सहयोग करती हैं, अपना हित पहले देखती है क्या शुरु में सरकार उसे एक दानी संस्था समझती थी, यदि नहीं, तो ऐसा कहने से मन्त्री महोदय का क्या तात्पर्य है कि उक्त कम्पनी अपने हितों को बढ़ावा दे रही थी।

श्री अशोक मेहता : इंजिनियर्स इन्डिया लिमिटेड को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि अपने देश में डिजाइन इंजिनियरी आदि के काम को बढया जाये । परन्तु हमने देखा कि बेक्टल कम्पनी हमें आत्म निर्भर बनाने में उस गति से कार्य नहीं कर रही थी जिस गति से हम चाहते थे । इसलिये एक वर्ष के बाद समझौता समाप्त कर दिया गया । इस दौरान हमें यह मालूम हो गया है कि हमारा अपना संगठन इस कार्य को करने में किस हद तक योग्य है । हमें इस बात से प्रसन्नता हुई है कि हमारा संगठन सफलता पूर्वक कार्य कर रहा है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I would like to know how many agreements have been entered in to with M/S. Bachtels and to what extent they have been fulfilled ; whether it is a fact that the Govt. have to undergo a loss of one crore of rupees in respect of every such agreement ?

श्री रघु रामैया : यदि आप सभी समझौतों की सूची चाहते है तो मैं सभा पटल पर रख सकता हूं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I want your protection Sir., He is concealing the facts about the company under reference. He comes without making any preparation.

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय अपेक्षित सूचना सभा पटल पर रखेंगे ।

श्री पीलु मोदी : इस फर्म के साथ किये गये समझौतों के सम्बन्ध में कटु अनुभव होने पर भी सरकार ने उसके साथ अन्य समझौते क्यों किये ?

श्री रघु रामैया : मुझे पता नहीं है कि हम उनके साथ कोई नया समझौता कर रहे हैं ।

Shri Kanwarlal Gupta : I want your protection, Sir, in this matter. The Govt. are aware of the fact that the agreements with this company ended in the loss of crores of rupees and even than other agreements have been concluded with the same company. It is all in their records. In v.ew of it, I would like to know whether the Govt. will order on enquiry into the matter and punish the officials concerned ?

श्री अशोक मेहता : जहां तक इस समझौते का सम्बन्ध है इससे कोई हानि नहीं हुई है । यह एक बर्ष तक चला और फिर समाप्त कर दिया गया । यदि किसी अन्य समझौते के परि-णाम स्वरूप कोई हानि हो रही है तो उसके सम्बन्ध में जांच की जायेगी तथा अपेक्षित जानकारी सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री म० ला० सोंधी : समझौते को समाप्त करने के लिये क्या सरकार को बेक्टल्स कम्पनी को कुछ मुआवजा देना पड़ा है अथवा सरकार ने उनसे कुछ प्रतिकर मांगा है क्योंकि कम्पनी ने अपने हितों को बढ़ाया है साझा हितों को नहीं ।

श्री रघु रामैया : बेक्टल्स कम्पनी के सभी 12,250 हिस्से सरकार ने 1,60,897 रुपये में खरीद लिये हैं । इसके अतिरिक्त कम्पनी के कर्मचारियों को 11,92,665 रु० वेतन तथा कम्पनी को इंजिनियरी सेवा के लिये 9898 रुपये और अन्य सेवाओं के लिये 70378 रुपये दिये गये हैं ।

श्री स० कुन्डू : इस प्रकार से लाखों रूपये बर्बाद किये जा रहे हैं। इस विभाग में बहुत ही रिश्वतखोरी होती है। ऐसे ही एक इटली की एनाम नामक फर्म के साथ लाखों रूपये की कीमत का एक समझौता किया गया था और इसके अधीन केवल चार खाइयों को खोदा गया था।

श्री अशोक मेहता : आप इस प्रकार से पूरे विभाग पर आरोप नहीं लगा सकते। यदि भ्रष्टाचार के किसी निश्चित मामले का आपको पता है तो आप उसकी मेरे से या प्रधान मंत्री से शिकायत कर सकते हैं।

डा० रानेन सेन : बरौनी से हाल्दिया तक तेल की पाइपलाइन बिछाने के सम्बन्ध में भी यह कम्पनी ही सलाहकार रही थी और उससे भी करोड़ों रूपये की हानि हुई है। क्या सरकार ने उस निन्दीय मामले में जांच कराई है और उक्त कम्पनी से प्रतिकर मांगा है; यदि हां, तो कम्पनी की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

श्री अशोक मेहता : पहले यह निर्णय किया गया था कि इस मामले की जांच श्री ए० के० राय द्वारा कराई जाये, परन्तु अब इस मामले में केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा जांच की जायेगी। इसके बाद इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जायेगी। यदि निर्णय सम्बन्धी कोई गलती होगी तो किसी को दंडित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि जानबूझ कर वहां कोई गड़बड़ की गई है तो कार्यवाही की जायेगी। यदि कम्पनी ने जान बूझ कर गलत सलाह दी होगी तो प्रतिकर की बात चलाई जायेगी। सतर्कता आयुक्त की रिपोर्ट आने के बाद सभा को इससे सम्बन्धित जानकारी दी जायेगी।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : यह बताया गया है कि प्रत्येक शेयर का भुगतान 13 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से भुगतान कर दिया गया है। प्रति शेयर का मूल्य इतना क्यों गिर गया है।

श्री रघु रामैया : इस कम्पनी ने कोई लाभ नहीं कमाया है। यह अनुमान कम्पनी के वर्तमान आस्तियों के आधार पर लगाया गया है। हानि का प्रश्न ही नहीं उठता। कम्पनी ने कुछ सेवाएं की हैं जिन्हें घाटे में नहीं गिना जा सकता।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : उत्तर ठीक नहीं है।

श्री अशोक मेहता : किसी कम्पनी से पहले वर्ष में यह आशा नहीं की जाती कि वह लाभ कमायेगी। हमें आशा है कि भविष्य में इस कम्पनी से लाभ होगा क्योंकि इंजीनियर्स इण्डिया कम्पनी को इंजीनियरी और डिजाइनों के परामर्श के रूप में स्थापित किया गया था। जैसा कि बताया गया है कि बेक्टल के सभी हिस्से मामूली कीमत पर खरीद लिये गये हैं।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : हिस्से का मूल्य तो तभी घट सकता है जबकि कम्पनी को घाटा हुआ हो।

श्री अशोक मेहता : यह जानकर प्रसन्नता होनी चाहिये कि हमने हिस्से कम मूल्य में खरीद लिये हैं।

Shri George Fernandes : May I know the names of the projects which have been taken in the hands during the first year of working of this joint venture, if 11 lakhs of rupees have been given to M/s. Bechtels as pay for engineering and designing experts for the designing and engineering purposes ? Who-Indian Government or the Bechtels Company took the initiative for terminating this agreement ?

श्री रघु रामैया : इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड ने विभिन्न परियोजनाओं को अपनी इंजीनियरी आदि की सेवाएं दी हैं। समझौते को समाप्त करने के लिये पहले बैक्टल कम्पनी ने की थी।

Shri George Fernandes : He is telling a lie (jhoot) First he said that they found the work of M/s. Bechtels unsatisfactory and now he is saying that M/s. Bachtels took the initiative for it.

अध्यक्ष महोदय : 'झूठ' शब्द सभा में बार बार प्रयोग में लाया जा रहा है। यह शब्द असंसदीय है।

Shri George Fernandes : I withdraw the word 'jhoot' and substitute it with the word 'Asatya' (wrong). The matter should be explained further.

श्री रघु रामैया : मैंने जो बात मुख्य उत्तर में कही थी और जो अब कही है, उनमें कोई विरोधाभास नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस सम्बन्ध में चर्चा पहले बैक्टल्स कम्पनी ने शुरू की थी और बाद में दोनों पक्षों के रजामन्द हो जाने पर समझौता समाप्त कर दिया गया।

श्री रंगा : जो पूरक प्रश्न पूछे गये और जो उत्तर दिये गये उनसे यह संशय होने लगा है कि कुछ दाल में काला अवश्य है। यह कम्पनी के कहने पर समाप्त किया गया। दूसरे 100 रुपये वाला हिस्सा सरकार ने 13 रुपये में खरीद लिया। यह सब कैसे हुआ ? इसी कारण मेरा यह अनुरोध है कि मंत्री महोदय व्यक्तिगत रूप से मामले की छानबीन करें और अपेक्षित जानकारी सभा को दें।

श्री अशोक मेहता : जांच केवल पाइप लाइन के मामले में की जा रही है। पूरे मामले में जांच का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि तथ्यों से मालूम होता है कि जो भी कार्य किया गया वह कदाशय से नहीं किया गया।

Shri Sheo Narain : This agreement was made in accordance with the Indian Contract Law. How much compensation has been paid by the Government to the party which broke this agreement ? And what action has been taken against the officers responsible for making this agreement with that company ?

श्री अशोक मेहता : हम देश में विभिन्न दिशाओं में बहुत कठिन इंजीनियरी तथा डिजाइनिंग क्षमता बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी माननीय सदस्यों को सराहना करनी

चाहिये । विभिन्न प्रयत्न किये जायेंगे और सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की जायेगी । हर देश इसी तरह सीखता है । हमें अपने युवा वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों के प्रयत्नों की सराहना करनी चाहिये अन्यथा हमारे सारे प्रयत्न ही नाकामयाब हो जायेंगे ।

पन-बिजली जलाशयों में मिट्टी का जमा हो जाना

*320. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुंड, दामोदर तथा भाकड़ा-नंगल जैसे पन-बिजली जलायशों के तलों में धीरे-धीरे मिट्टी भरती जा रही है और इस प्रकार इन जलायशों के पानी जमा होने की क्षमता घटती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन जलाशयों के तल से मिट्टी निकालने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ?

सिचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जलाशयों में मिट्टी जमा हो जाना एक स्वाभाविक चीज है और जलाशय परियोजनाओं को तैयार करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है ।

(ख) बड़े जलाशयों के तल को साफ करना संभव नही है । जलागम क्षेत्रों से मिट्टी के जमाव दर को कम करके जलाशयों की आयु बढ़ाने के उद्देश्य से 13 बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं के, जिनमें हीराकुंड, दामोदर और भांखड़ा नंगल भी शामिल हैं, जलागम क्षेत्रों में भूमि के संरक्षण के लिये केन्द्र ने तीसरी योजना में एक कार्यक्रम चालू किया था । यह कार्यक्रम चौथी योजना में भी जारी रहेगा ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या तेरी से हो रहे मिट्टी के जमाव को कुछ हद तक रोकने के लिये इन जलाशयों के जलागम क्षेत्रों में भू-संरक्षण कार्य बिल्कुल नाकाफी रहा है ?

डा० कु० ल० राव : चूंकि जलागम क्षेत्रों में हजारों वर्ग मील क्षेत्र आता है इसलिये उसका प्रभाव महसूस होने में कुछ समय लगेगा । यह एक बड़ी समस्या है । हम इसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या इस समय मिट्टी जिस दर से जमा हो रही है वह उस दर से कहीं अधिक है जिसका इन योजनाओं को हाथ में लेते समय अनुमान लगाया गया था और यदि हां, तो उसमें क्या अन्तर है ?

डा० कु० ल० राव : विभिन्न जलाशयों के बारे में स्थिति भिन्न-भिन्न है । हीराकुंड में बहुत अधिक मिट्टी जमा नहीं हो रही । वहां पर जमाव दर वही है जिसका कि अनुमान लगाया गया था । भाखड़ा के बारे में अभी किसी अन्तिम निर्णय पर पहुँचना ठीक नहीं होगा परन्तु वहां पर जमाव मूल अनुमान से 30–40 प्रतिशत अधिक हो रहा है । यह बहुत थोड़ी

अवधि के लिये है । किसी अन्तिम निर्णय पर पहुँचने के लिये अधिक लम्बे समय की आवश्यकता होगी ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्राही : हीराकुंड और भाखड़ा नंगल परियोजनाओं को हाथ में लेते समय इनकी आयु का चाहे जो भी अनुमान लगाया गया हो परन्तु मिट्टी के जमाव के दर को देखते हुए भाखड़ा के कुछ इंजीनियरों के कथानुसार उसकी आयु वर्तमान 500–600 वर्ष से घट कर लगभग 300 वर्ष हो सकती है । उनका यह कथन कहां तक सही है ? चूंकि मिट्टी को साफ करने पर बहुत खर्च आयेगा इसलिये क्या चौथी योजना में वनरोपण कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा ?

डा० कु० ल० राव : जहा तक हीराकुंड का सम्बन्ध है उसकी अनुमानित आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । परन्तु भाखड़ा में मिट्टी का जमाव अधिक तेजी से हो रहा है परन्तु अभी किसी अन्तिम निर्णय पर पहुँचना बहुत जल्दी करना होगा । यदि तेजी से हो रहे इस जमाव को नहीं रोका गया तो इस जलाशय की आयु 580 वर्ष से घटकर 350 वर्ष रह जायेगी । हम एक ऊपरी सतलज बांध बनाने के बारे में सोच रहे हैं जिससे इस बाँध की अनुमानित आयु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

श्री बलराज मधोक : माननीय मंत्री ने कहा है कि इन बांधों की योजना तैयार करते समय यह बात ध्यान में रखी गई थी कि बाद में इनमें मिट्टी का जमाव भी होगा । क्या यह सच है कि जब इन बांधों की योजना बनाई गई तब हम अमरीकी पद्धति की आंख बन्द करके नकल कर रहे थे परन्तु अब जबकि अमरीकियों को पता लग गया है कि बड़े बांध बनाना बेवकूफी है और उनसे पूरी आय वसूल नहीं होती—वह निरन्तर घटती ही जाती है—क्या भविष्य में सिंचाई के बारे में योजनाएं बनाते समय छोटी योजनाओं पर अधिक जोर दिया जायेगा और बड़े बांध बनाने का यह पागलपन छोड़ दिया जायेगा ?

डा० कु० ल० राव : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को ठीक से नहीं समझ सका । छोटे तालाबों में मिट्टी अधिक जल्दी जमा होगी । मद्रास में ऐसा ही हुआ । 13,500 तालाबों में अधिक जल्दी मिट्टी जमा हो गई । यदि बांध बड़ा होगा तो इसके हमारे जीवन-काल से अधिक समय तक बने रहने की संभावना है । वे लगभग 350 वर्ष तक बने रहेंगे परन्तु एक तालाब 30 या 40 वर्ष से अधिक समय तक काम नहीं कर सकता है ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTIONS

महंगाई भत्ता आयोग की रिपोर्ट

+

अ० सू० प्र० 19. श्री कंवर लाल गुप्त : श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह अयरवाल : श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :   श्री महाराज सिंह भारती :
श्री आत्म दास :   श्री जे० एच० पटेल :
श्री शिव कुमार शास्त्री :   श्री राम सेवक यादव :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :   श्री म० ला० सोंधी :
श्री मोलहू प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के महा-संघ (कान्फिडरेशन) कार्यकारणी सभा ने महंगाई भत्ता आयोग की रिपोर्ट को नामंजूर कर दिया है और अपने कार्मिक संघों को वेतन न लेने की हड़ताल आयोजित करने के लिये आव्हान किया है;

(ख) यदि हां, तो इस महा-संघ (कान्फिडरेशन) ने उस रिपोर्ट को नामंजूर करने के क्या मुख्य कारण बताये हैं; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) महासंघ (कांफिडरेशन) से कोई अधिकृत सूचना प्राप्त नहीं हुई है परन्तु इस बारे में समाचार पत्रों में समाचार निकले हैं।

(ग) राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् महंगाई भत्ता आयोग की सिफारिशों पर निर्णय करने में सरकार को कुछ समय और लगेगा। इस बीच सरकार स्थिति पर नजर रख रही है।

Shri Kanwar Lal Gupta : In May, 1967 the price index was 205 and this commission has 185 as their basis and the compensation has been recommended on the basis of an imaginary figure of 175. Prior to this the basis was only the official price index. Why the commission changed this basis ? If it has been so changed, what is Governments' reaction thereto and will they take steps to give dearness allowance on the basis of the official price index ?

श्री मोरारजी देसाई : जब तक सरकार निर्णय नहीं कर लेती मेरे लिये इन बातों में जाना आसान नहीं है। सरकार द्वारा निर्णय कर लिये जाने के बाद मैं इन सब प्रश्नों का उत्तर दे सकूंगा।

Shri Kanwar Lal Gupta : Dos the consultation with State Chief Ministers mean that they will put forth their difficulties and demand money from the Central Government for meeting this additional burden ? All these conversations should not result in loss to Central Government employees. Will the representatives of the Central Government employees be invited before any final decision is taken ?

Shri Morarji Desai : No, Sir.

Shri Raghubir Singh Shastri : Das Commission was of the opinion that the whole structure of salaries and allowances of Central Government employees has become out of

date and it should be reviewed afresh. Why did not Government pay due attention to this opinion of the Das Commission ? What was the reason for not appointing a third pay commission on the basis of that recommendation and instead appointing a commission with limited powers and which was not acceptable to the employees from its very inception ? May I know why the Government employees are given different amounts in the form of increased dearness allowance from time to time after an increase of 10 points in the cost of living index each year ? Why a minimum increase has been recommended this time when the price index has soared so high ?

Shri Morarji Desai : I have already said that I connot answer these questions now.

Shri Molahu Prasad : The Gajendragadkar Commission has recommended an increase of Rs. 6 after an increase of 10 points in the price index. May I know the names of commodities whose prices have been taken into consideration before making this recommendation ?

Shri Morarji Desai : This question does not arise here.

Shri Molahu Prasad : When the soaring prices uniformly affect both the small as well as big employees, may I know why there is so much disparity between their dearness allowances ?

Shri Morarji Desai : I cannot answer this question until Government has taken a decision in this matter.

Shri J. H. Patel : The Chief Ministers are meeting on 7 and 8th July. May I know whether any decision will be taken in this conference in this matter ?

Shri Morarji Desai : I expect to discuss this matter with them on 7th July.

श्री म. ला. सोंधी : मैं उस प्रतिवेदन से निम्नलिखित उद्धृत करना चाहता हूँ : 'यदि मौसम खराब रहता है या सरकार कोई देरी करती है और मूल्य बढ़ते चले जायें तो हमारे वर्तमान प्रतिवेदन में की हुई सिफारिशों का काफी हद तक महत्व खत्म हो जायेगा।"

इसे ध्यान में रखते हुए और इन सिफारिशों पर अमल करने में हुई देरी को देखते हुए—और स्वेज नहर के बन्द होने से भी मूल्य बढ़ेंगे—क्या सरकार वेतन हड़ताल को रोकने के लिये जिससे लोगों के मन में गड़बड़ पैदा होगी, एक मध्यस्थ नियुक्त करेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य उन लोगों को वेतन हड़ताल न करने के लिये कहें।

श्री स० मो० बनर्जी : एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से नहीं मिलेंगे। यदि इन सिफारिशों पर अमल करने से पहले उनसे परामर्श नहीं किया जाता है, तो यह वेतन हड़ताल सारे देश में सांकेतिक हड़ताल के रूप में बदल सकती है। क्या मंत्री महोदय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे और उसके बाद ही कोई निर्णय करेंगे क्योंकि उन्होंने इन सिफारिशों को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया है।

श्री मोरारजी देसाई : कांफिडरेशन ने इस पंचाट को अस्वीकार किया है जिसे कोई मान्यता नहीं दी गई है।

श्री नाथपाई : कोई प्रश्न पूछने से पहले में निवेदन करूंगा कि महंगाई आयोग के प्रतिवेदन पर यहां पर चर्चा होनी चाहिये और उसके लिये समय नियत किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह चर्चा निर्णय किये जाने से पहले होनी चाहिये या बाद में ?

श्री नाथपाई : पहले हो तो बेहतर होगा क्योंकि इस चर्चा से सरकार को निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

वित्त मंत्री ने मुख्य प्रश्न का जो उत्तर दिया है और बाद में श्री बनर्जी के प्रश्न का जो उत्तर दिया है उनमें परस्पर विरोध है। उन्होंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में कहा है : "महासंघ (कांफिडरेशन) से कोई अधिकृत सूचना नहीं मिली है परन्तु समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार दिये हुये हैं।"

इससे हमें यह विश्वास सा हो गया था कि सरकार ने इस कांफिडरेशन को मान्यता देने के बारे में फिर से सोचा है। परन्तु बाद में उन्होंने कहा है कि उसे मान्यता नहीं दी गई है। पहले मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्होंने सरकारी तौर पर मान्यता नहीं दी है और बाद में यह कहते हैं कि वे अधिकृत नहीं है। ठीक स्थिति क्या है ?

श्री मोरारजी देसाई : मैंने 'सरकारी तौर पर' ('आफिसियली') नहीं कहा है।

श्री नाथपाई : पहला उत्तर यह था कि सरकार को सरकारी तौर पर कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। श्री बनर्जी के प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने उसे मान्यता नहीं दी है। यह कांफिडरेशन सरकार को सूचित नहीं कर सकता क्योंकि सरकार उसे मान्यता नहीं देती। मैं उनसे यह पूछ रहा हूं। क्या मंत्री महोदय इस विरोधाभास को समझते हैं जब वे कहते हैं कि कांफिडरेशन सरकार से सम्पर्क नहीं रख सकता और साथ साथ यह भी कहते हैं कि सरकार उसे मान्यता नहीं देती ? सरकार उसे मान्यता क्यों नहीं देती ताकि वह सरकारी तौर पर उनसे पत्र व्यवहार कर सके ?

श्री मोरारजी देसाई : मैंने कोई परस्पर विरोधी बात नहीं कही है। हालांकि कांफिडरेशन को मान्यता नहीं दी गई है, गैर-मान्यता प्राप्त संस्थाएं भी सरकार को लिख सकती हैं। मैंने केवल यही कहा है कि सरकार को उनसे सरकारी तौर पर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जब श्री बनर्जी ने कहा कि इस पंचाट को सभी कर्मचारियों ने अस्वीकार कर दिया है तो मैंने केवल यही कहा था कि जिस फैडरेशन ने इसे अस्वीकार किया है वह गैर-मान्यता प्राप्त है।

Shri S. M. Joshi : Is he in a position to give this assurance to the House that if the confederation or other federations of Central Government employees write to them, they will be invited for consulations ?

Shri Morarji Desai : I am not ready to hold consulations with unrecogonised bodies.

Shri S. M. Joshi : It is recognised. Since the formation of J. C. M., the confederation and other unions have been recognised. When these unions have been recognised, has recognition not been given to their confederation? Therefore the confederation

should also be invited for consultations as it represents the Government employees. Will Minister reconsider it ?

Shri Morarji Desai : We always consider, but about the decision I cannot say.

श्री उमानाथ : वेतन ढांचे के पुनरीक्षण के प्रश्न पर प्रतिवेदन में दिया हुआ है कि कि निर्वाह व्यय सूचकांक के 245 प्वाइंट पर पहुँच जाने या दो वर्ष के अन्त में, जो भी पहले पड़े, सरकार को वेतन ढांचे का पुनरीक्षण करना चाहिए और अन्तिम पुनरीक्षण होने तक अन्तरिम राहत पहुँचाई जानी चाहिये। परन्तु दो सप्ताह पहले ही सरकार द्वारा राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि खर्च में कमी करने के उद्देश्य से सभी स्तरों पर वेतन ढांचे के पुनरीक्षण पर रोक लगा दी गई है। क्या सरकार इस सिफारिश को दृष्टि में रखते हुए इस रोक को हटाने के बारे में विचार करेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : इस मामले में निर्णय करते समय सरकार इन सभी बातों पर विचार करेगी।

Shri A. B. Vajpayee : As the Government employees are not satisfied with the recommendations of the Gajendragadkar Commission, they have decided to resort to pay strike. Will the hon. Minister not take the trouble of bringing them round to his own point of view by inviting their representatives for talks with them so that this pay strike or things like that which he may term wrong are avoided ?

Shri Morarji Desai ; There is no question of right or wrong. If I have even one percent hope, I am ready to have a talk with them. But I do not know if it serves any useful purpose to hold talks with persons who throw away such challanges without coming to me or without discussing it with me.

Shri George Fernandes : The dearness allowance of Central Government employees should have been increased from February. It was said then that decision would be taken when the report of the Gajendragadkar Commission is received. That report has come but the Government have not been able to take a decision themselves. Will The hon. Finance Minister be able to decide to give them increased D. A. from February immediately pending consultations with the State Chief Ministers on the question of increase in D. A. ?

Shri Morarji Desai Whatever decision is taken, it will have effect from February.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : क्या मंत्री महोदय इस बात से सहमत हैं कि अन्न तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि के भार को पूरा करने के लिये केन्द्र तथा राज्यों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में समय-समय पर की जाने वाली वृद्धि से मुद्रास्फीति होगी और उससे अन्ततः हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को हानि पहूंचेगी और यदि हां, तो क्या वे सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के वेतन क्रमों के पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार करने के लिये सहमत हो जायेंगे जिससे कि उनको जरूरत के आधार पर निर्धारित किया जा सके और वर्तमान शासन के समाजवादी लक्ष्यों के बावजूद भी सरकारी सेवाओं में व्याप्त भारी विषमता को दूर किया जा सके ?

Shri R. Shastri : May I know why recognition has not been granted to this confederation ? If Government give them recognition, will it not be easier for the Government to have cousultations or discussion with them so far as demands of the Central Government employees are concerned ?

Shri Morarji Desai : This question of giving them recognised or not can be considered. After notice is given in this behalf, it can surely be considered I cannot say now whether they will be given recognition or not.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राजस्थान की बिजली सम्बन्धी आवश्यकता

*812. **श्री रा० कृ० बिड़ला :**
डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान को प्रति वर्ष कितनी बिजली की आवश्यकता होती है;

(ख) राजस्थान को इस समय प्रति वर्ष कितनी बिजली दी जाती है;

(ग) बिजली की कमी का किन-किन उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ भविष्य में बिजली की कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 839/67]** ।

कारों का आयात

*814. **डा० कर्णी सिंह :**
श्रीमती निर्लेप कौर :
श्री यशपाल सिंह :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 12 मास में सरकार की ओर से कितनी कारों का आयात किया गया;

(ख) प्रत्येक मंत्रालय के पास कितनी कारें हैं; और उनमें से कितनी आयात की हुई है; और

(ग) क्या सरकार ने खर्च में कमी करने के उपाय के रूप में आयातित कारों के स्टाफ कार के रूप में प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) एक, जो इटली से उपहार में प्राप्त हुई है।

(ख) सभा-पटल पर एक वक्तव्य रख दिया गया। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 840/67]**

(ग) सितम्बर, 1966 में अनुदेश दिये गये थे कि भविष्य में कोई मंत्रालय/विभाग या सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालय किसी सरकारी क्षेत्र उपक्रम या भारत सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कोई स्वायत्त-शासी अथवा अर्ध स्वायत्त-शासी संगठन, उपहार, ऋण, क्रय अथवा किसी अन्य तरीके से विदेश में निर्मित कोई बड़ी कार प्राप्त नहीं करेगा।

आयात-निर्यात सलाहकार परिषद्

***818. श्री राममूर्ति :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या वित्त मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात-निर्यात सलाहकार परिषद् की हाल की एक बैठक में भारतीय बाजारों में चोरी छिपे लाये गये माल की बड़े पैमाने पर बिक्री के कारण चिन्ता व्यक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उस बैठक में यह भी कहा गया था इन वस्तुओं के चोरी छिपे लाने का व्यय विदेशों में रहने वाले भारतीय चुकाते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन कुकृत्यों को रोकने के हेतु उपाय निकालने के लिये उस बैठक में व्यक्त किये गये विचारों के संदर्भ में इस तस्कर व्यापार के समूचे प्रश्न की जांच करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) सरकार को देश में तस्करी के द्वारा माल लाये जाने की जानकारी है तथा सरकार को यह भी पता है कि तस्करी का कार्य चलाये जाने का एक साधन यह भी है कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा दी जाती। सरकार इस समस्या के प्रति निरन्तर जागरुक रही है तथा सरकार इस समस्या के हल के लिये कुछ नये उपाय कर रही है।

प्रतिरक्षा व्यय में कटौती

***821. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

श्री मधु लिमये : **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या प्रतिरक्षा व्यय में कटौती के लिये विभिन्न राज्य सरकारों से कोई सुझाव मिले हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने यह सुझाव भी दिया है कि इस प्रकार से की गई बचत का उनके राज्यों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिये उपयोग किया जाये; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) गत अप्रैल में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्रतिरक्षा व्यय में कटौती करने का सुझाव दिया गया था। तथापि इस बारे में कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिया गया था कि इस कटौती के परिणामस्वरूप होने वाली बचत का उपयोग सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिये किया जाये।

(ग) सुरक्षा को ध्यान में रख कर प्रतिरक्षा व्यय की राशि निर्धारित की जाती है अतः इसमें अधिक कटौती की गुंजायश नहीं है। तथापि सरकार प्रतिरक्षा सहित सब क्षेत्रों में मितव्ययता करने की इच्छुक रहती है।

राष्ट्रीय बिजली ग्रिड

*822. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बिजली ग्रिड का विकास कार्य अब किस अवस्था में है;

(ख) कच्चा माल, विदेशी मुद्रा की कमी तथा अन्य कारणों से तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई कितनी योजनाओं की क्रियान्विति रुक गई है; और

(ग) इन योजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तीसरी योजना की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में अन्तर्राज्य सम्पर्क स्थापित करने के लिये दिया गया सुझाव निर्माण तथा मंजूरी की विभिन्न स्थितियों में है। चौथी या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में इसके पूरा होने की सम्भावना है।

(ख) और (ग) तीसरी योजना के अन्तर्गत मंजूर की गई कोई भी संचार योजना रुकी नहीं है। कुछ मंजूर की गई संचार योजनाओं के पूरा होने में वित्त साधनों की कठिनाई के कारण विलम्ब हुआ है। आवश्यक विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध किया जा रहा है और समय-समय पर इन लाइनों के लिये कच्चा माल प्राप्त किया जा रहा है।

I. O. C. Contract with Hindustan Organisers

*823. **Shri Mrityunjaya Prasad :**
Shri Kartik Oraon :
Shri N. P. Yadav :
Shri Valmiki Choudhary :
Shri Shashi Ranjan :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Oil Corporation could not terminate the contract with the Hindustan Organisers on the 31st December, 1964 but on the other hand that contract was renewed automatically upto the 31st December, 1968, since the notice for its termination could not be given one year in advance;

(b) when the decision was taken for the termination of the contract and when the termination notice was served and the Hindustan Organisers acknowledged its receipt; and

(c) the reasons for the delay in serving the notice and whether ny respnsibility has been fixed and defaulters punished ?

The Minister of Planning, Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) ; (a) and (b) The answer to the first part of (a) is in the affirmative. The contract has,had to be treated as valid upto 31-12-1968 atleast, because of the interpretation of its terms. Notice of termination of the contract had been given on 14-8-1963, much before twelve months from 31-12-1964, but this was found to be legally ineffective.

(c) Does not arise.

रत्नों का निर्यातक

*824. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री शंकर राव माने :
श्री तुलशीदास जाधव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विभाग ने उन रत्न निर्यातकों के बकाया पी० पी० फार्मों की जांच की थी जो स्वीकृति के आधार पर अथवा क्रयादेश के आधार पर माल भेजते हैं;

(ख) क्या उन व्यक्तियों को जिनके द्वारा भेजा गया माल किसी भी कारण से थोड़े समय के अन्दर नहीं उठाया जा सका, कोई माल भी निर्यात करने की अनुमति नहीं दी गई;

(ग) क्या इस कार्यवाही से निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इससे भविष्य में निर्यात बढ़ाने की संभावनाएं कम हो गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। रिजर्व बैंक इस बात को पक्का करने के लिए कि निर्यात से होने वाली आय की रकमें निर्यात की तारीख से छः महीने की निर्धारित अवधि के अन्दर देश में पहुंच जाये, इन फार्मों की नियमित रूप से जांच करता है। सभी निर्यातकों के मामले में ऐसी जांच की जाती है।

(ख) जी, नहीं। किसी निर्यातक को केवल इस कारण भविष्य में निर्यात करने की मनाही नहीं की जाती कि वह पहले किये गये निर्यात से हुई आय को थोड़ी अवधि के अन्दर देश में नहीं ला सका। जब निर्यातक निर्यात से हुई आय को छः महीने के अन्दर देश में नहीं ला पाता, तब रिजर्व बैंक उससे इसका कारण पूछता है और यदि उसके बताये गये कारण से बैंक को सन्तोष हो जाता है, तो वह समय की अवधि में उचित वृद्धि कर देता है। यदि किसी निर्यातक के बताये गये कारण से रिजर्व बैंक को सन्तोष नहीं होता या यदि निर्यातक निर्यात से हुई आय को बढ़ी हुई अवधि में भी देश में नहीं ला पाता, तो उसे भविष्य में निर्यात करने के लिए रिजर्व बैंक से पहले अनुमति लेनी पड़ती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

महंगाई भत्ता आयोग का प्रतिवेदन

***825. श्री स्वैल : श्री देवकी नन्दन पाटौदिया :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : श्री रा० बरुआ :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता के सम्बन्ध में गजेन्द्रगडकर आयोग के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला; और

(ग) क्या किसी पक्के निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले राज्यों से परामर्श करने का सरकार का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के विचार लिये जायेंगे।

राष्ट्रीय जल संभरण कार्यक्रम

***826. श्री यशपाल सिंह : श्री प० गोपालन :**
श्री रामगोपाल शालवाले : श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री चक्रपाणी : श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में अमरीकी लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक दल ने भारत के राष्ट्रीय जल संभरण कार्यक्रम का पुनर्विलोकन हुआ हैं;

(ख) यदि हां, तो इस दल ने क्या सिफारिशें की है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) : (क) जी हां ।

(ख) इस दल के मुख्य सुझावों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 841/67] ।

(ग) इन सिफारिशों की छान-बीन की जा रही है ।

जीवन बीमा निगम की कार्य प्रणाली

***827. श्री लोबो प्रभु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम में प्रीमियम की ऊंची दरों, कम बोनस की घोषणा, व्यपगत पालिसियों, कामकाज में विलम्ब तथा अकुशलता और हड़तालों तथा प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार का विचार उसके कार्यों की जांच करने के लिये किसी आयोग की नियुक्ति करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस आयोग से जीवन बीमा निगम तथा सामान्य बीमा की तुलनात्मक कार्य-प्रणाली की जांच करने के लिये भी कहा जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी उपक्रमों का बीमा

***828. श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय संस्थाएं जैसे भारतीय वित्त निगम, आई० डी० बी०, स्टेट बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक सरकारी उपक्रमों के ब्लाक और स्टाक का बीमा कराने की शर्त से छूट दे देती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) यह सुविधा केवल सरकारी क्षेत्र तक ही क्यों सीमित रखी गई है और गैर-सरकारी क्षेत्र को भी क्यों नहीं दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) औद्योगिक विकास बैंक (इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट बैंक) सरकारी कम्पनियों को ऋण नहीं देता । औद्योगिक वित्त निगम (इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन) उस स्थिर परिसम्पत्ति के सम्बन्ध में, बीमे की शर्तें से छूट नहीं देता जिसके आधार पर सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए ऋण मंजूर किये जा सकते हों । भारतीय राज्य बैंक सरकारी प्रतिष्ठानों को केवल स्टाक और सामान की जमानत पर ऋण देता है और, यदि इनके आग से क्षति-ग्रस्त होने का भय हो तो इनका बीमा कराने की आव-

श्यकता होती है । वाणिज्यिक बैंक कभी-कभी धातुओं के सम्बन्ध में इस शर्त से छूट दे देते हैं, लेकिन इस मामले में वे सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के बीच किसी तरह का भेद-भाव नहीं करते ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

दीर्घकालीन बिजली योजना

***829. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये सरकार ने कोई दीर्घकालीन बिजली योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो बिजली के तीन श्रोतों अर्थात् ताप-विद्युत, जल विद्युत और परमाणु शक्ति में से किस श्रोत को अपनाने तथा उसका विकास करने का सरकार का विचार है तथा तुलनात्मक लाभ क्या होंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां ।

(ख) देश में बिजली के विकास के लिए देश में तीनों साधनों—जल-शक्ति, कोयला, तेल और परमाणु इंधन का प्रयोग किया जायेगा । किसी क्षेत्र विशेष में किस साधन को अपनाया जायेगा, यह उस क्षेत्र में उपलब्ध होने वाले प्राकृतिक साधनों. विकल्पिक साधनों की सापेक्ष आर्थिक स्थिति और परियोजना के अन्तर्गत उत्पादन आरम्भ होने की अवधि जैसी बातों पर निर्भर करता है ।

प्राइवेट लिमिटेड छोटी कम्पनियों पर कर

***830. श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पब्लिक लिमिटेड बड़ी कम्पनियों की तुलना में प्राइवेट लिमिटेड छोटी कम्पनियों पर अधिक कर लगाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि करों के अधिक बोझ के कारण उनकी प्रगति में बाधा न पड़े, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनियां चाहे वह बड़ी हों या छोटी और ऐसी कम्पनियां जिनमें सरकारी अंश अधिक है, उन कम्पनियों को छोड़ कर जो किसी विशेष औद्योगिक गतिविधियों में लगी है, उन पर पब्लिक कम्पनी जिनमें सरकारी अंश अधिक है की तुलना में अधिक दर पर आय-कर लिया जाता है ।

(ख) गैर-सरकारी और ऐसी कम्पनियां जिनमें सरकारी अंश अधिक है, पर अधिक दर पर कर इस बात को ध्यान में रख कर लगाया गया है जिससे इन कम्पनियों का नियंत्रण करने वाले सम्पन्न व्यक्तियों के समूह के हाथ में धन जमा न हो जाये ।

(ग) इस श्रेणी में आने वाली निम्नलिखित गैर-सरकारी कम्पनियां और ऐसी कम्पनियां जिनमें सरकारी अंश अधिक हैं, को आय-कर विधि के अन्तर्गत आवश्यक अनिवार्य लांभाश का वितरण, उनकी वितरण आय में से कानूनी सांविधिक प्रतिशत दर तक मुक्त कर दिया गया है ताकि यह अधिक लाभ वे अपने उद्योग के विकास में लगा सकें :—

(1) भारतीय कम्पनियां मुख्यतः निर्माण या सामान के बनाने या किसी विशेष औद्योगिक गतिविधियों में लगी हैं ।

(2) भारतीय कम्पनियों की मशीनों और प्लान्टों में सम्बद्ध लेखा वर्ष में 50 लाख या इससे अधिक वही मूल्य की पूंजी लगी है ।

(3) भारतीय कम्पनियों को अपनी कुल बिक्री आगम से या सम्बद्ध वर्ष से निर्यात की गयी वस्तुओं से कुल प्राप्त, या विदेशों में की गई सेवाओं से 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त नहीं हो रहा है ।

राष्ट्रीय जल आयोग

***831. श्री रवि राय** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को ऐसे सुझाव प्राप्त हुए हैं कि राष्ट्रीय जल आयोग को जिसमें विशेषज्ञ हों, विभिन्न शुल्क क्षेत्रों में पानी भेजने का तरीका सुझाने के लिये उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) एक अखिल भारतीय सिंचाई आयोग की स्थापना करने का सुझाव सरकार के विचाराधीन है ।

Income-Tax on Hindu Joint Family

***832. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri O. P. Tyagi :
Shri Shiv Kumar Shastri .
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atam Das :
Shri Arjun Siagh Bhadoria :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to low limit of the exemption from income-tax, Hindu joint families have to divide pretentiously by taking advantage of the law in this regard;

(b) whether it is also a fact that lesser Income-tax is realised as a result thereof which causes loss of revenue;

(c) if so, whether Government are contemplating to make a suitable Income-tax provision without affecting the sound Indian tradition of joint family; and

(d) if so, the details in that regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) No, Sir. The Government do not have any evidence to show that joint Hindu families divide pretentiously due to the limits of total income on which income-tax is not chargeable being regarded as low.

(b) to (d) Do not arises.

सरकारी क्षेत्र के एककों में अनुत्पादी श्रेणियों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति

***833. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय द्वारा सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में व्यावसायिक ढांचे के बारे में किये गये सर्वेक्षण का पता है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि उपर्युक्त प्रतिवेदन के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र के अनुपात में सरकारी क्षेत्र में चपरासी और लिपिक कर्मचारी अधिक और विक्रय कर्मचारी कम हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के एककों में अनुत्पादक श्रेणियों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं तथा बिक्री आदि अत्यावश्यक कार्यों की उपेक्षा की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त स्थिति में सुधार के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) जी हां।

(ख) सरकारी क्षेत्र के व्यावसायिक ढांचे की जिस रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है वह समूचे सरकारी क्षेत्र अर्थात् केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, अर्द्ध-सरकारी तथा स्थानीय संस्थाओं के बारे में है और इस तरह उसमें केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों का, गैर-सरकारी क्षेत्र के उसी प्रकार के प्रतिष्ठानों की तुलना में, ब्यौरा नहीं दिया गया है।

(ग) कुछ प्रतिष्ठानों के संगठनात्मक ढांचे में कुछ असंतुलन हो सकता है, पर यह बात सब पर लागू नहीं होती।

(घ) सरकारी प्रतिष्ठानों को सलाह दी गयी है कि कर्मचारियों की संख्या यथासम्भव कम रखने और कार्यों द्वारा उत्पादन बढ़ाने के विचार से वे औद्योगिक इंजीनियरी से सम्बन्ध रखने वाले विभागों को संगठित करें और कार्य सम्बन्धी अध्ययन का काम भी हाथ में लें।

यमुना जल सम्बन्धी विवाद

*834. **श्री कंवरलाल गुप्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ओखला के नीचे की ओर यमुना नदी के सारे जल का उपयोग किये जाने के बारे में हरियाना सरकार और प्रत्तर प्रदेश सरकार के बीच कुछ विवाद था;

(ख) क्या यह भी सच हैं कि 'सी' बिजलीघर के टावर को ठंडा करने के निमित्त की जा रही जल की सप्लाई और पीने के काम में लाये ज.ने वाले जल की सप्लाई में कटौती की गई है; और

(ग) यदि हां, तो गर्मी के मौसम में जल की पर्याप्त सप्लाई करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) हरियाना स्थित गुड़गावां नहर आगरा नहर से निकलती है। आगरा नहर का मुख्य कार्यालय ओखले में है। गुड़गावां नहर के लिये हरियाना द्वारा जमुना नदी में वजीराबाद के पास मुनाक स्थान पर पानी छोड़ा जाता है और वह ओखले पर आगरा नहर जमा कर गुड़गावां नहर को भेज देती है। मुनाक से ओखला भेजे जाने पर गर्मी के महीनों में इस पानी का प्रयोग टूबो, जैनेरेटरो को ठंडा करने के लिये इन्द्रप्रस्थ बिजलीघर में किया जाता है। जो 'सी' बिजलीघर के नाम से विख्यात है।

मशीनों को ठंडा करने के बाद पानी को नदी में छोड़ दिया जाता है और वह ओखले की ओर बह जाता है।

मई, 1967 के अन्तिम सप्ताह में हरियाना और उत्तर प्रदेश में मुनाक और गुड़गावां नहर में पानी पहुंचने से पहले रास्ते में कम हो जाने पर मतभेद थे। हरियाना सरकार ने पानी को 1 जून, 1967 से गुड़गावां जाने वाले पानी को जमुना में रोक दिया था। इसके बाद 6 जून, 1967 को गर्मी के मौसम के लिये हरियाना और उत्तर प्रदेश में तदर्थ समझौता हो गया था और तब से ही पानी की सप्लाई चालू कर दी गई थी। अब ठंडा करने वाले पानी की कमी नहीं है।

हरियाना पर्याप्त मात्रा में दिल्ली को पीने का पानी सप्लाई कर रहा है। इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा चिकित्सक संघ

*835. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बलराज मधोक :
श्री मधु लिमये :
श्री रवि राय :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री राम सेवक यादव :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार** नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य मंत्रालय जनवरी, 1967 में अपने मंत्रालय और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा चिकित्सक संघ के बीच हुए करार की अवहेलना तथा उल्लंघन कर रहा है;

(ख) क्या उन डाक्टरों की शिकायतों का नये सिरे से पता लगाया है और उन पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की शिकायतें सरकार को अच्छी तरह से मालूम है और सरकार ने डाक्टरों की सभी जायज मांगों को पूरा कर दिया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारी संघ के प्रतिनिधियों तथा इस सेवा के सदस्यों को स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने का पूरा अवसर दिया जाता है तथा अपनी कठिनाइयां व्यक्त करने का पूरा अवसर दिया जाता है और जो कठिनाईयां वे व्यक्त करते हैं उन पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है ।

Loans taken by M/s Jhunjhunwala and Bros., Bombay

***836. Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 601 on the 1st December, 1966 and state :

(a) whether investigation into the case in which M/s Jhunjhunwala and Bros., Bombay took large loans from the United Commercial Bank during 1962-63 and 1963-64 by wrongly claiming the stocks of M/s Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd. as their own has since been completed;

(b) if so, whether the charges made in the said case have been proved and the action being taken by Government in this regard; and

(c) if not, the time by which the investigation would be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) The investigations are in progress.

(b) Does not arise.

(c) The completion of the investigations depends on the co-operation of others and it is not possible to say precisely when the investigations are likely to be completed.

चौथी पंचवर्षीय योजना में पेट्रो-रसायन उद्योगों का विकास

***837. श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में पेट्रो-रसायन उद्योगों के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस पर कुल कितनी राशि खर्च की जायेगी; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में पेट्रो-रसायन उद्योगों के विकास में गैर-सरकारी क्षेत्र कितना सहयोग देगा ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां ।

(ख) गुजरात में कोयली शोधनशाला के पास एक पैट्रो-रसायन समूह की स्थापना की जायेगी और एरोमैटिक निष्कर्षों पर आधारित पैट्रो-रसायन यूनिटों की स्थापना बरौनी में स्थित शोधनशाला के पास की जायेगी । कुछ अन्तिम-उत्पाद यूनिट (end product units) बरौदा, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता तथा दिल्ली जैसे व्यापार केन्द्रों के निकट बनाये जायेंगे/जा रहे हैं । गुजरात पैट्रो-रसायन समूह में पूर्ण रूप से सरकारी क्षेत्र में एक एरोमैटिक संयन्त्र एवं नेफथा भंजक और गैर-सरकारी क्षेत्र का एक अनुप्रवाही यूनिट होंगे । बरौनी एरोमैटिक एक्सट्रैक्शन प्लांट की स्थापना सरकारी क्षेत्र में होगी जबकि अन्य यूनिटों के गैर-सरकारी क्षेत्र में बनाये जाने की सम्भावना है ।

(ग) चौथी योजना के मसौदे में 199 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । इसमें 57 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र और 142 करोड़ रुपये गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये हैं ।

(घ) जैसाकि पहले कहा जा चुका है, गुजरात पैट्रो-रसायन समूह के अनुप्रवाही यूनिट गैर-सरकारी क्षेत्र में होंगे । इसी तरह संश्लिष्ट तन्तु यूनिट, प्लास्टिक निर्माण आदि अन्तिम उत्पाद यूनिटों की स्थापना भी गैर-सरकारी क्षेत्र में की जायेगी ।

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत नये गृह-निर्माण कार्य

***838. श्री मधु लिमये :** **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज : **डा० राममनोहर लोहिया :**

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न आवास बोर्डों तथा राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत नये गृह-निर्माण कार्यों में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा निर्माण-सामग्रा के मूल्यों में तीव्र वृद्धि के कारण हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने सरकार/आवास बोर्डों द्वारा निर्मित मकानों/फ्लेटों के रिहायशी किराये/स्टेंडर्ड किराये बढ़ाने की राज्यों को अनुमति दी है; और

(घ) निर्माण व्यय/निर्माण-सामग्री के मूल्यों को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) आवास योजनाओं की प्रगति में धीमेपन का केवल आंशिक उत्तरदायित्व भवन सामग्री की बढ़ी हुई कीमत है। मुख्य कारण है कि राज्य सरकारें पूरी योजना-अवधि में इन योजनाओं के लिए कुल खर्च को ध्यान में रखते हुए आवास योजनाओं के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था नहीं करती।

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय भवन निर्माण संस्था इस कार्य में संलग्न है तथा उसने निर्माण पर कम खर्च होने के सम्बन्ध में कई सुझाव निर्माण एजेंसियों को दिये हैं। इसके विभिन्न सम्बन्धितों (वेरीयस इन्ट्रेस्ट्स) का एक सम्मेलन अक्तूबर, 1966 में हुआ, जिसमें इस प्रश्न पर भी विचार किया गया, तथा इसने इस मामले की छान-बीन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त कर दी। उसकी सिफारिशें विचाराधीन हैं।

Violation of Foreign Exchange Regulations

*839. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government have unearthed any gang of foreign exchange racketeers which is operating on a country-wide and international scale;

(b) whether it is a fact that some Government servants are also found involved in all such cases; and

(c) if so, the action taken by Government in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) Yes, Sir. The Enforcement Directorate have unearthed a number of cases in which foreign exchange racketeers were found to be operating on a country-wide scale in conjunction with persons outside India.

(b) No case has so far come to the notice of the Government in which any Government servant has been found to be involved in any of these gangs of foreign exchange racketeers.

(c) Does not arise in view of the reply to part (b).

चौथी पचवर्षीय योजना में उर्वरक कार्यक्रम के बारे में बातचीत करने के लिये विश्व बैंक के एक दल का आगमन

*840. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : **श्री यज्ञदत्त शर्मा** :
श्री रा० बरुआ : **श्री श्रीचन्द गोयल** :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक का एक दल चौथी पंचवर्षीय योजना में उर्वरक कार्यक्रम तथा उसके लिये यथासंभव बैंक की सहायता के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये नई दिल्ली आ रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह दल कब आ रहा है; और

(ग) इस दल के साथ किन विशेष विषयों पर बातचीत होगी ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी हां।

(ख) दल भारत में 14 जनवरी, से 23 जनवरी, 1967 तक रहा।

(ग) दल ने सरकार के साथ चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उर्वरक उत्पादन के प्राक्कलनों का पुनरीक्षण किया तथा सरकार के साथ उन तरीकों पर भी विचार-विमर्श किया, जिनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम/विश्व बैंक गैर-सरकारी क्षेत्र में अनुमोदित परियोजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने में सहायता कर सके।

ट्राम्बे उर्वरक कारखाना

3935. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्राम्बे उर्वरक कारखाना में जिसे नवम्बर, 1965 में चालू किया गया था और जिसमें प्रति वर्ष 90,000 टन नाइट्रोजन और 45,000 टन फास्फोट तैयार होने की आशा की जाती थी, 45,000 टन यूरिया और 7,000 टन नाइट्रोजन भी तैयार नहीं हो सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस उर्वरक कारखाने के प्रबन्धकों को सरकार से अथवा भारतीय उर्वरक निगम से पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा;

(घ) क्या इस कारखाने के प्रबन्धकों की शिकायतों की ओर ध्यान नहीं दिया गया; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में तथा यह पुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यकाही की गई है कि आगामी वर्ष में ट्राम्बे उर्वरक कारखाना अपनी पूरी क्षमता से काम करे ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क) वित्तीय वर्ष 1966–67 में नाइट्रोजन का उत्पादन 38,616 मीटरी टन हुआ है; जिसमें औद्योगिक उत्पादन और पी$_2$ ओ$_5$ का 918० मीटरी टन शामिल है।

(ख) मूल रूपांकन में कमियां, नाइट्रोफास्फेट संयन्त्र की दोषयुक्त मशीनरी एवं उपकरण तथा खाके में कुछ कमियां, कभी-कभी बिजली की खराबी या अमोनिया प्लांट में विद्युत-दाब-नति (वोल्टेज डिप्स) और सितम्बर, 1966 में कार्बन स्कब्बर में विस्फोट आदि कमियों के कारण हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं, जहां तक सरकार को मालूम है प्रबन्धकों को कोई शिकायत नहीं है।

(ङ) सारी टूट-फूट का व्यवस्थित अध्ययन किया गया है। पहले साल में चालू एवं देख-भाल के अनुभव का एक विशेष समिति द्वारा पूर्ण विश्लेषण किया गया है। परिवर्तन के लिए अपेक्षित उपकरण आदि की उपलब्धि के लिये आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। और यह आशा है कि अगले दो सालों के अन्दर कारखाना लगभग पूर्ण क्षमता प्राप्त कर लेगा।

तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क

3936. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे देश में, राज्यवार तम्बाकू पर लगे हुए उत्पादन कर तथा शुल्क की दरें क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के तम्बाकू उत्पादकों को विभिन्न कानूनों तथा विनियमों का पालन करना पड़ता है, जो आसाम, उड़ीसा और दक्षिण भारत के उत्पादकों पर लागू नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) समस्त भारत में अनिर्मित तम्बाकू की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की दरें (मूल, अतिरिक्त और विशेष) समान हैं और उनका विवरण वक्तव्य के साथ संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 848/67]**

(ख) जी नहीं, समस्त भारत में तम्बाकू उत्पादकों के लिये केन्द्रीय उत्पादन नियंत्रण सम्बन्धी कानून और विनियमन समान हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

'Excise Duty on Cloth''

3937. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the rates of excise duty on cloth and sugar in 1950–51;

(b) what were the rates in 1966-67; and

(c) the rates for 1967–68 ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) Assuming that the term "Cloth" referred to in part (a) of the question is intended to mean Cotton Fabrics, two statements, Statement I relating to Cotton Fabrics and Statement II relating to Sugar, indicating therein the rates of Central Excise Duty and allied duties during the requisite periods, are placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. L. T. 843/67]**

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता प्राप्त करने के लिये शर्तें

3938. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से ऋण प्राप्त करने के लिये क्या विशिष्ट शर्तें हैं;

(ख) सरकार अब तक इन शर्तों को किस सीमा तक पूरा कर सकी है; और

(ग) इन अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा ऐसी कौन सी विशिष्ट शर्तें रखी जाती हैं जो चौथी पंचवर्षीय योजना को क्रियान्वित करने के लिये भारत पूरी करने में असमर्थ है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) (1) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि अपने किसी सदस्य को, निधि के अन्य सदस्यों की मुद्राओं के रूप में सहायता देती है। सदस्य जो मुद्रा चाहता है उसे वह निधि से खरीद लेता है और उसे उस मुद्रा की राशि के बराबर अपनी मुद्रा निधि को देनी होती है जिसकी रकम निधि द्वारा स्वीकृत सम-मूल्य (पार वेल्यू) के आधार पर निर्धारित की जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के करारनामे के अनुच्छेद V, धारा 3 के अनुसार, निधि का कोई सदस्य, निधि से किसी अन्य सदस्य की मुद्रा खरीद सकता है, बशर्ते कि प्रस्तावित खरीद से, निधि के पास सदस्य देश की जमा मुद्रा में, खरीद की तारीख को समाप्त होने वाली 12 महीने की अवधि में उसके कोटे के 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि न हो और वह उसके कोटे के 200 प्रतिशत से अधिक न बढ़ जाय। जैसा कि ऊपर बताया गया है, निकासियों (ड्राइंग्स) या मुद्रा की खरीद के आपत्कालीन (स्टेंड बाई) प्रबन्ध को, कुछ हद तक उचित ठहराने की आवश्यकता होती है, जो निकासियों की रकम के साथ-साथ बढ़ती जाती है। सदस्य को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के करारनामे के अनुच्छेद VIII या अनुच्छेद XIV के अन्तर्गत लिये गये दायित्वों को भी पूरा करना चाहिए।

सभी निकासियों पर $\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से सेवा-प्रभार (सर्विस-चार्ज) लगता है। इसके अलावा, निधि के पास किसी सदस्य-देश की मुद्रा की, उसके कोटे के 25 प्रतिशत से अधिक जमा होने वाली रकम पर जो प्रभार लगता है, वह 2 प्रतिशत वार्षिक की दर से शुरू होता है। प्रभार की दर निकाली गयी मुद्रा की रकम के अनुपात से और निधि द्वारा सदस्य-देश की मुद्रा रखे जाने की अवधि की लम्बाई के आधार पर बढ़ जाती है। ये शर्तें निधि के सभी सदस्यों के लिए एक-सी हैं।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जो आम तौर पर विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, उत्पादनकारी प्रयोजनों के लिए ऋण देकर अपने सदस्य-देशों के पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों के लिए वित्त-व्यवस्था करने में सहायता देता है। ऋण लेने वाला सदस्य सरकार, कोई राजनीतिक उप-प्रभाग (सब-डिवीजन) या व्यापारिक, औद्योगिक या कृषि सम्बन्धी प्रतिष्ठान हो सकता है; पर यदि ऋण लेने वाला सदस्य-सरकार से भिन्न हो तो सदस्य-सरकार या उसके केन्द्रीय बैंक या इसीके समान किसी अभिकरण द्वारा ऋण की गारंटी दी जानी जरूरी है ; जो शर्तें पूरी की जानी जरूरी होती हैं वे ये हैं, कि ऋण लेने वाला और यदि ऋण लेने वाला बैंक का सदस्य न हो तो गारंटी देने वाला इस स्थिति में होना चाहिए कि वह ऋण के अन्तर्गत अपने दायित्व पूरे कर सके, ऋण लेने वाला बाजार की तत्कालीन स्थितियों में निजी (प्राइवेट) स्रोतों से उपयुक्त शर्तों पर ऋण प्राप्त करने में असमर्थ हो, प्रायोजना या कार्यक्रम आर्थिक पुनर्निर्माण या विकास के लिए हो, उसकी तकनीकी और

आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध की जा चुकी हो, प्रायोजना या कार्यक्रम, जिसकी जांच बैंक द्वारा की जा चुकी हो, ऋण के लिए उपयुक्त पाया गया हो; और प्रायोजना/कार्यक्रम के, जैसा कि वह स्वीकार किया गया हो, पूरा होने का उचित विश्वास हो ।

अभी बैंक दो विभिन्न दरों के हिसाब से ब्याज लेता है : औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों को दिये जाने वाले ऋण पर 7 प्रतिशत के करीब और अल्प-विकसित देशों को दिये जाने वाले ऋण पर 6 प्रतिशत के करीब ।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ 1960 में बनाया गया था । यह विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था है । इसका निर्माण विकासशील देशों को नरम शर्तों पर विकास सम्बन्धी ऋण देने के खास प्रयोजन से किया गया था । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा 50 वर्षों के लिए ऋण दिये जाते हैं; इन ऋणों पर ब्याज नहीं लगता, लेकिन संघ के प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के लिए निकाली गयी और शेष रकमों पर $\frac{3}{4}$ प्रतिशत के हिसाब से सेवा-प्रभार (सर्विस चार्ज) लगता है । जो अन्य शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं वे वैसी ही हैं जैसी अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के मामले में हैं ।

(4) विश्व बैंक की सम्बद्ध संस्था के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, 1956 में इस उद्देश्य से स्थापित किया गया था कि वह सदस्य-देशों, खास तौर से अल्प-विकसित क्षेत्रों के उत्पादनकारी निजी उद्योग-धंधों के विकास को बढ़ावा देकर उक्त बैंक द्वारा किये जाने वाले कामों की अनुपूर्ति करे । अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा सरकारी गारंटी के बिना ही ऋण दिये जाते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा ब्याज की दर जोखिम के अनुसार निर्धारित की जाती है । 1961 में करारनामे में संशोधन कर दिया गया जिसके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम को सामान्य हिस्सा-पूंजी में रकम लगाने की अनुमति मिल गयी है । अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम अपने पूंजी-निवेश के अवितरित अंश पर 1 प्रतिशत वार्षिक की दर से ऋण-निर्धारित शुल्क (कमिट्मेण्ट फीस) लेता है ।

(ख) और (ग) यह तथ्य कि भारत इन तीन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं, खास तौर से विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से लाभ उठाने वाला प्रमुख देश है, इस बात को प्रदर्शित करता है कि भारत ने बहुत सी प्रायोजनाओं और कार्यक्रमों के सम्बन्ध में शर्तें पूरी की हैं । जहां तक चौथी आयोजना का सम्बन्ध है, उसके मामले में भी, जब विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ प्रायोजनाओं और कार्यक्रमों पर विचार किया जायगा, तब यह देखा जायगा कि उनके सम्बन्ध में शर्तें पूरी होती हैं या नहीं । देखने में ऐसी कोई शर्त नहीं आती जो आयोजना को अमल में लाने में आम रुकावट पैदा करे ।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का सम्बन्ध है, उसके द्वारा जैसा कि (क) (1) में कहा जा चुका है, अधिक से अधिक कुछ वर्षों के लिए सीमित मात्रा में शोधन-संतुलन सम्बन्धी सहायता दी जा रही है और इसका सम्बन्ध आयोजना सम्बन्धी प्रायोजनाओं या कार्यक्रमों की वित्त-व्यवस्था से नहीं है ।

बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनायें

3939. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की बड़ी तथा मध्यम दर्जे की कौन-कौन सी तथा कितनी सिंचाई परियोजनायें ऐसी हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है; और

(ख) पूर्ण हो जाने वाली परियोजनाओं से कितने एकड़ भूमि को लाभ पहुँचा है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अभी तक 61 बड़ी और 196 मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाएं पूरी नहीं हुई हैं। एक वक्तव्य जिसमें योजनाओं के नाम दिये हैं, संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 844/67**]

(ख) पूर्ण हो जाने वाली और आंशिक रूप से पूर्ण हो जाने वाली परियोजनाओं से 20 करोड़ भूमि को लाभ पहुँचा है।

गोआ में डुडसागर प्रपात

3940. **श्री शिकरे :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिंचाई और विद्युत के सम्बन्ध में गोआ के डुडसागर प्रपात की क्षमता की जानकारी है;

(ख) क्या जल-विद्युत परियोजना के लिये डुडसागर प्रपात का उपयोग करने के सम्बन्ध में भूतपूर्व पुर्तगाली शासकों द्वारा अन्तिम रूप में तैयार की गई कोई योजना है;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ने 1964 में डुडसागर परियोजना की आरम्भिक जांच पूरी की थी ; केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा इस समय इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। चौथी पंचवर्षीय योजना में डुडसागर परियोजना की विस्तृत जांच की आवश्यक व्यवस्था की गई है।

मनीपुर में मैडिकल कालेज

3941. **श्री मेघ चन्द्र :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर में एक मैडिकल कालेज खोलने की स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो यह कालेज कब तक खोला जायेगा तथा उसके लिये केन्द्रीय सरकार कितना धन देगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) मणिपुर में मैडिकल कालेज खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अहमद ग्रुप की मिलों (बम्बई) के कंवर राजनाथ का आयकर निर्धारण

3943. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के निकट अम्बरनाथ में अहमद ग्रुप की मिलों के कंवर राजनाथ पर वर्षवार कितना आयकर लगाया गया और कितना वसूल किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि आयकर विभाग ने 1965 के आरम्भ में छिपे हुए धन का पता लगाने के लिये उसके मकान आदि पर छापा मारा था और लेखा-पुस्तकें तथा दस्तावेज छीन कर अपने कब्जे में ले लिया था;

(ग) यदि हां, तो क्या जांच करने पर आयकर विभाग ने लेखा पुस्तकों में गलत प्रविष्टियों समेत छिपाई गई बहुत बड़ी धन-राशि का पता लगाया है;

(घ) क्या चल तथा अचल सम्पतियों तथा आय के मूल साधनों का पता लगाने के लिये कोई जांच की जा रही है; और

(ङ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कर निर्धारण वर्ष 1960–61 से 1962–63 तक नियमित कर निर्धारण किया गया है । लगाये गये और वसूल किये गये करों का ब्यौरा इस प्रकार है :

	लगाये गये कर	वसूल किये गये कर
1960–61	1,486	1,486
1961–62	7,450	7,450
1962–63	4,23,804	कुछ नहीं (उच्च न्यायालय के रोके जाने के परिणामस्वरूप)

1963–64 से 1966–67 तक के नियमित कर निर्धारण अवलम्बित है । पेशगी या अनन्तिम निर्धारण करों के रूप में माँगे गये करों में से हुई वसूली का ब्यौरा इस प्रकार है :

	कर लगाये गये या मांगे गये	कर वसूल किये गये
1963–64	5,73,552	4,89,697
1964–65	2,12,680	2,07,303

1965–66	5,19,613	2,00,000
1966–67	1,48,400	118

(ख) जी हां।

(ग) लेखा पुस्तकों के बाहर छिपाई गई पूंजी का कोई पता नहीं लगा है। फिर भी, हुंडी ऋण के रूप में दिये गये 1,13,300 रुपये के उधार का पता लगा है और जिस खाते में वह जमा किया गया है, विश्वास किया जाता है कि वह फर्जी है, और उसे 1962–63 के निर्धारण वर्ष में जोड़ लिया गया है।

(घ) और (ङ) जांच जारी है।

चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र, कलकत्ता

3944. **श्री गणेश घोष :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1963 से मार्च, 1967 तक की अवधि में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र कलकत्ता में कैंसर सम्बन्धी अनुसंधान कार्य के लिये कितनी रकम मंजूर की गई थी;

(ख) उपर्युक्त अवधि में कैंसर सम्बन्धी अनुसन्धान के बारे में कितने शोध–पत्र प्रस्तुत किये गये तथा उनमें से कितने शोध-पत्र निदेशक ने प्रस्तुत किये;

(ग) उस केन्द्र में इस समय कितने व्यक्ति कैंसर का उपचार करने के लिये परीक्षण तथा दवाई के आविष्कार के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य कर रहे हैं तथा उन व्यक्तियों के नाम तथा योग्यतायें क्या हैं; और

(घ) उपर्युक्त अवधि में उस केन्द्र की इमारत के निर्माण के लिये कितनी राशि मंजूर की गई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर) : (क) और (ख) 30.94 लाख रुपये जिनमें विलिंग्डन के निर्माण के लिये 10.19 लाख रुपये भी सम्मिलित हैं।

(ग) इस अवधि में कैंसर अनुसन्धान पर 95 पेपर प्रस्तुत किये गए, जिनमें से 20 निदेशक द्वारा प्रस्तुत किये गये थे।

(घ) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 845/67**]

चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र, कलकत्ता

3945. **श्री गणेश घोष :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र, कलकत्ता के निम्नलिखित उपकरणों को कैंसर अनुसन्धान कार्य के लिये अप्रैल, 1963 से मार्च, 1967 तक की अवधि में कितनी बार प्रयोग में लाया गया :—

(एक) कारपर्शन्स अल्ट्रा-वायलेट माइक्रोस्पेक्ट्रो-फोटोमीटर;

(दो) इन्टरफियरेंस माइक्रोस्कोप;

(तीन) इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप;

(चार) एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी;

(पांच) आटोरेडियोग्राफी;

(छः) अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज;

(ख) उक्त अवधि में इलेक्ट्रोन माइक्रोग्राफी और आटोरेडियोग्राफी के लिये कितनी प्लेटें खरीदी गई और खरीदी गई प्लेटों पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(ग) ये दो उपकरण कब लगाये गये और इस तर्क पर, कि ये दो उपकरण बहुत समय से काम नहीं कर रहे हैं, कितनी प्लेटें अभी तक इस्तेमाल नहीं की गई; और

(घ) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित किसी उपकरण की, जो उक्त अवधि में या उससे पहले खराब हो गये थे, मरम्मत के लिये उक्त अवधि में क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर) : (क), (ग) और (घ) पहले तीन उपकरण अच्छी स्थिति में हैं तथा 1963 से लगातार काम में लाये जा रहे हैं। एक भौतिकीविज्ञ की मांग पर 1961 में जो एक्स-रे क्रिस्टालोग्राफी उपकरण लगाया गया था, वह अब काम नहीं कर रहा है। जर्मनी से स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इस केन्द्र में आये एक पूल अफसर की सहायता से यह उपकरण शीघ्र ही फिर से कार्य करना आरम्भ कर देगा। आटोरेडियोग्राफी के लिये किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है। 1961 में लगाया गया अल्ट्रासैन्ड्रीफ्यूज 1965 तक ड्राइव-यूनिट के खराब होने से पहले सन्तोषजनक कार्य करता रहा। एक नया यूनिट अब आयात कर लिया गया है।

(ख) 1963 से 1967 तक इलेक्ट्रन माइक्रोग्राफी और आटोरेडियोग्राफी के लिये कोई भी प्लेट नहीं खरीदी गई। पहली खरीदी गई प्लेटों से ही काम चलाया गया।

1967–68 के लिये गुजरात की वार्षिक योजना

3946. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967–68 के लिये गुजरात राज्य की वार्षिक योजना अन्तिम रूप में तैयार की जा चुकी है;

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं;

(ग) इस योजना को अन्तिम रूप देते समय किन-किन मुख्य बातों को ध्यान में रखा गया है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने अपनी वार्षिक योजना पर पुनर्विचार किये जाने के लिये अनुरोध किया है;

(ङ) केन्द्रीय तथा राज्य सरकार किस अनुपात में वित्तीय साधन उपलब्ध करेंगी; और

(च) 1968-69 की वार्षिक योजना के लिये अभी से की जा रही तैयारियों का ब्योरा क्या है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) (ख) और (ङ) कार्यक्रम मंत्राकार ने हाल ही में 1967-68 की राज्य की वार्षिक योजना के प्रयोगात्मक प्रारूप के लिये 70 करोड़ रुपये की सिफारिश की है, इसमें से केन्द्र से 25 करोड़ और राज्य सरकार से प्राप्त साधनों से 45 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होने का अनुमान है। सिफारिशें अब योजना आयोग के विचाराधीन है।

(ग) और (च) 15 जून, 1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2486 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित कराया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में गृह-निर्माण योजनायें

3947. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना के अन्तर्गत गुजरात में गृह-निर्माण कार्यक्रमों के लिये कितनी धन-राशि दी गई;

(ख) अब तक कितनी राशि खर्च हुई है;

(ग) यदि पूरी राशि खर्च नहीं हुई है तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) 1966-67 और 1967-68 में गुजरात के लिये कितनी धनराशि नियत की गई; और

(ङ) 1966-67 में कितनी धनराशि खर्च हुई ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ङ) आवश्यक सूचना का विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 846/67]**

(ग) कमी का मुख्य कारण है राज्य सरकार के द्वारा बिजली, सिंचाई, कृषि आदि जैसी परियोजनाओं के सामने आवास योजनाओं को कम प्राथमिकता देना।

गुजरात राज्य बिजली बोर्ड के लिये अतिरिक्त धन

3948. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य बिजली बोर्ड की अतिरिक्त धनराशि के लिये कोई प्रार्थना केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) गुजरात राज्य बिजली बोर्ड को निर्माणाधीन बिजली की लाइन को शीघ्र पूरा करने के हेतु आयातित सामान खरीदने के लिये कितनी विदेशी मुद्रा दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) संचारण परियोजनाओं के हेतु आयातित सामान, जैसे ट्रांस्मिशन, कन्डक्टर, जमीन में लगाने वाले तारें इत्यादि खरीदने के लिये 1.4 करोड़ डालर (105 लाख) रुपये धन-राशि निर्धारित की गई है।

गुजरात में पेय जल सम्भरण की योजनाएं

3949. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में ग्राम्य तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में पेय जल सम्भरण की कितनी योजनायें इस समय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि पिछड़े क्षेत्रों में जल सम्भरण करने की कुछ योजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाये;

(ग) यदि हां, तो उन योजनाओं को पूरा करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) : (क) भारत सरकार का केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य इन्जीनियरी संगठन एक शहरी योजना तथा चार देहाती जल पूर्ति योजनाओं की जांच कर रहा है। ये योजनायें मई और जून, 1967 में प्राप्त हुई थी।

(ख) भारत सरकार को ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सरकारी कामों के लिये गैर-सरकारी प्रेसों का प्रयोग

3950. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुद्रण तथा लेखन-सामग्री नियंत्रक का दिल्ली स्थित कार्यालय निर्धारित दरों पर दिल्ली के गैर-सरकारी प्रेसों में मुद्रण कार्य करवाने के लिये इन प्रेसों की एक सूची रखता है;

(ख) यदि हां, तो इस समय इस सूची में दर्ज प्रेसों के नाम क्या हैं और क्या इन प्रेसों को 3,000 रुपये की जमानत की रकम जमा करने के लिये कहा गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि सभी प्रेसों से टेन्डर नहीं मांगे गये हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और पिछले पांच वर्षों में वर्ष वार, जिन प्रेसों से टेन्डर मांगे गये थे, उनके नाम क्या हैं; और

(घ) गत पांच वर्षों में वर्ष वार, जिन प्रेसों को मुद्रण कार्य दिया गया था उनके नाम क्या हैं, और उन्हें कितना काम दिया गया था और प्रत्येक प्रेस को किस भाषा का काम दिया गया था ?

निर्माण. आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री, (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां। पैनल में केवल दिल्ली के ही नहीं अपितु अन्य स्थानों के भी गैरसरकारी प्रेस शामिल हैं।

(ख) प्रेसों में उपलब्ध साज-सामान तथा उनकी क्षमता के अनुसार 'ए' तथा 'बी' श्रेणी में वर्गीकृत पैनल में प्रेसों की सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 847/67]** पैनल में रखे जाने से पूर्व 'ए' श्रेणी के प्रसों से 5,000 रुपये, तथा 'बी' श्रेणी के प्रेसों से 3,000 रुपये की सामान्य जमानत (सीक्योरिटी) ली जाती है।

(ग) और (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में सफाई

3951. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में सड़कों की सफाई दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा की जाती है तथा ब्लाकों, गलियों तथा उद्यानों की सफाई केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा की जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दोहरा नियंत्रण होने के कारण सफाई का प्रबन्ध संतोषजनक नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में सफाई ठीक रहे यह देखने के लिए मौजूदा प्रबन्धों में संशोधन करने का प्रश्न भारत सरकार के निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय के विचाराधीन है।

बिहार के गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था

3952. श्री सं० कुण्डु : **श्री श्री धरन**
श्री कामेश्वर सिंह : **श्री लखन लाल कपूर :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार** नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन महीनों में केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार को दी गयी सूराख करने वाली (रिंग बोरिंग) मशीनों के परिणामस्वरूप बिहार के कितने गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की गई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और यह प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का वर्ष 1963-64 के संबन्ध में प्रतिवेदन

3953. श्री सिद्धय्या : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष 1963-64 से सम्बन्धित प्रतिवेदन में की गई अनेक सिफारिशों में से केवल कुछ सिफारिशों को ही कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1967 तक कितनी सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं तथा कितनी सिफारिशें अभी कार्यान्वित नहीं की गई है; और

(ग) क्या सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये मैसूर सरकार द्वारा की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही का विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बीमाधारियों की सेवा तथा अनुसन्धान संस्थान, (पॉलिसी होल्डर्स सार्विसिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीच्यूट) कलकत्ता

3954. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बीमाधारियों की सेवा तथा अनुसंधान संस्थान (पालिसी होल्डर्ज सर्विसिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीच्यूट) कलकत्ता द्वारा 23 मार्च, 1967 को जारी किये गये तथा विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए एक वक्तव्य की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) इक्विटी सम्बद्ध पॉलिसी अर्थात् वे पॉलिसियां जिनमें बीमाकृत राशि इक्विटी की कीमत से सम्बद्ध हो, को जारी करना उचित नहीं समझा गया है ।

अवकाश सम्बन्धी नियम

3958. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वर्तमान अवकाश सम्बन्धी नियमों को उदार बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इससे सरकार के खर्च में कितनी वृद्धि होगी ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अवकाश सम्बन्धी नियमों को उदार बनाने के लिये हाल ही में केवल यह बात की गई है कि अब सक्षम प्राधिकारी स्वविवेक से इलाज के लिये इतनी अवधि का हस्पताल-अवकाश दे सकेगा जितना आवश्यक समझा जाये । पहले, रेलवे कर्मचारियों को छोड़कर, जिन के बारे में ऐसे अवकाश की अवधि सीमित नहीं थी, तीन वर्ष की किसी अवधि में अधिकाधिक केवल तीन महीनों के लिये औसत वेतन पर अवकाश दिया जा सकता था ।

(ख) हस्पताल-अवकाश के स्वरूप के कारण यह पता लगाना सम्भव नहीं है कि नियमों को इस प्रकार उदार बनाने से वास्तव में कितना खर्च बढ़ेगा ।

M/S Mckenzies Ltd.

3955. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether M/S Mckenzies Company Ltd. have shown in their Balance-Sheet the manner of repayment of loan taken from the Bank of India Ltd., Bombay and Shreeram Ramniranjan Co. and payment of interest thereon;

(b) how this Company could borrow Rs. 30 lakhs from Shreeram Ramniranjan Co. when they had already mortgaged their movable and immovable property to the Bank of India Ltd,, Bombay;

(c) whether it is a fact that Shreeram Ramniranjan Co. have stood surety for Messrs Mckenzies Co. Ltd. when they are themselves creditors to Messrs Mckenzies and the consideration accepted for standing surety; and

(d) if so, the investigations made by Government into this case ?

The Deputy Pri . e Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) The manner of repayment of loan taken by Mckenzies Co. Ltd., from Bank of India Ltd., Bombay and Shreeram Ramniranjan Co,. has not been indicated in the balance-Sheet and the same is not required, under the law, to be indicated therein. The interest paid to both these parties has been debited to profit and loss account.

(b) The Company has not borrowed a sum of Rs. 30 lakhs from Shreeram Ramniranjan & Co. The company has only a small current account with this firm as will be clear from the fact that the interest paid in the year ending with 31-7-1965 was only Rs. 2,548.

(c) M/S Shreeram Ramniranjan & Co. have stood surety for M/S Mckenzies Co. Ltd. in securing a loan from Bank of India Ltd. This surety is in addition to the movable and immovable assets of the company already pledged with the bank. M/S Shreeram Ramniranjan & Co. have not secured any consideration for standing as surety.

(d) All these aspects will be looked into at the time of making regular assessment.

M/S J. P. and Sons.

3956. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that purchases worth lakhs of rupees are made by Messrs Mckenzies Ltd. and Oriental Timber Trading Corporation (Private) Ltd. from M/S J. P. & Sons;

(b) whether it is also a fact that there is no Company registered as M/S J. P. & Sons;

(c) if so, whether the matter has been investigated into by Government; and

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) According to the present information no purchases have been made from M/S J. P. & Sons by M/S Mckenzies Ltd. while purchases worth Rs, 96,254 were made by Oriental Timber Trading Corporation during the year ended 31-8-1964.

(b) to (d) M/S J. P. & Sons is not a company. It is a proprietory concern.

M/S Mckanzies Ltd.

3957. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that M/S Mckanzies Ltd. are working in partnership with M/S Oriental Timber Trading Corporation Private Ltd;

(b) whether it is also a fact that the Mckanzies Co. has not shown the particulars relating to the partnership account in their latest Balance-Sheet, though it was done in the earlier years;

(c) if so, whether any investigations have been carried out into the affairs of this Company; and

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) The particulars relating to the partnership account have been shown in the latest available Balance-Sheet of M/S Mckenzies Ltd. for the year ending 31st, July, 1965.

(c) and (d) Do not arise.

राजस्थान में पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण

3959. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर–दिसम्बर, 1966 में राज्यों की चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर चर्चा के समय राजस्थान सरकार ने राजस्थान में कुछ पिछड़े क्षेत्र निर्धारित किये थे;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित किये उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं; और

(ग) उन क्षेत्रों का तेजी से विकास करने के लिये बनाई गई योजनाओं के परिव्यय का, जिन पर योजना आयोग विचार कर रहा है, ब्यौरा क्या है ?

योजना. पेट्रोलिय और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) जी हां, इस सम्बन्ध में 30 मार्च, 1967 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या नं० 230 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

(ग) जालोर और सवाई माधोपुर के दो जिलों का तेजी से विकास करने के लिये राज्य की चौथी पंच वर्षीय योजना में 1 करोड़ रुपये की अस्थायी धन राशि निर्धारित की गई है। इस व्यवस्था का व्यौरा उपलब्ध नहीं है।

विदेशी कम्पनियां

3960. **श्री मधु लिमये :** **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री राम मनोहर लोहिया : **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या **वित्त** मन्त्री 7 अप्रेल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 840 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी विदेशी कम्पनियां रिजर्व बैंक तथा अन्य अधिकारियों की अनुमति से अभिकर्ताओं के रूप में कार्य कर रही हैं, अथवा व्यापार के कार्य में लगी हुई हैं;

(ख) उन्हें अनुमति देने का आधार क्या है; और

(ग) व्यापारिक गतिविधियों के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने के अपराध में कितनी विदेशी फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 18 ए के अन्तर्गत, जो 1 अप्रैल, 1945 प्रवंत हुआ था, कोई भी कम्पनी (बैंकिंग कम्पनियों के अलावा) जो भारत के बाहर गठित हुई है, ना ही एक भारतीय कम्पनी जिसका स्वामित्व या नियंत्रण गैर निवासी के हाथ में हो, और कोई भी कम्पनी जिसमें भारत से बाहार के व्यक्ति हों, चाहे पूरी तौर पर या अंशिक रूप से,

किसी व्यक्ति को कम्पनी या व्यापारिक कम्पनी या इससे सम्बद्ध वाणिज्यक सौदे या भारत में तकनीकी या प्रबन्ध मंत्रणाकार किसी व्यक्ति की नियुक्ति स्वीकार नहीं करेगी, जब तक कि केन्द्रीय सरकार या रिर्जव, बैंक आफ इण्डिया से इसके लिये सामान्य या विशेष अनुमति नहीं ले ली जाती। भारत में पहले ही से सीधा व्यापार कर रही उक्त कम्पनियों या फर्मो पर यह धारा लागू नहीं होती। व्यापार के लिये कोई नई फर्मों को चालू नहीं किया जायेगा क्योंकि विदेशी मुद्रा लगाये जाने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी।

1 अप्रेल, 1965 से 31 मई, 1967 की अवधि में अधिनियम की धारा 18 ए के अन्तर्गत ऐसी 18 कम्पनियों को एजेन्सी की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है, उसमें (1) 31 नई नियुक्तियां (2) 1 अप्रेल, 1965 से पूर्व की 121 नियुक्तियों का नवीकरण किया गया है (3) 1 अप्रेल, 65 से पूर्व विभिन्न शर्तों पर 5 नियुक्तियां की गई हैं।

(ख) सामान्यतः जो एजेन्सी सम्बन्धी समझौते पूर्ण हो गये थे और 1 अप्रेल, 65 से पूर्व लागू थे, उन्हें 31 दिसम्बर, 68 तक नये करने की अनुमति दे दी गई है। नई नियुक्ति के सब मामलों में या जिनकी शर्तों में भिन्नता है, वे उन मामलों का उनकी योग्यता के आधार पर निर्णय किया जाता है और बहुत से मामलों में दो वर्ष की सीमित अवधि की स्वीकृति दी जाती है। इन मामलों को स्वीकार करते समय इस प्रकार की प्रणाली अपनाई जाती है—

(1) वह मामला तकनीकी होना चाहिये।

(2) आवेदन कम्पनी भारतीय वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने की स्थिति में हो

(3) छोटे पैमाने पर किये गये आयात के मामलों में आवेदन कम्पनी विदेशों को सप्लाई करने वालों द्वारा इन्डेंन्टिग एजेण्ट नियुक्त की गई हो

(4) जैसा कि ऊपर (क) का उत्तर देते समय उल्लेख किया गया है कि कानून वर्तमान फर्मों को व्यापारिक गतिविधियां करने से नहीं रोकता। व्यापार में नये सिरे से पूंजी लगाने की भी मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है। अतः किसी भी विदेशी फर्म का कोई भी ऐसा मामला नहीं है। जिसके अन्तर्गत परिणाम स्वरूप इस प्रकार का व्यापार करने वाली फर्मों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तंगत कार्यवाही की गई हो। फिर भी, कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें विदेशी फर्मों के विरुद्ध व्यापार में उल्लंघन करने के कारण कार्यवाही की गई है। ऐसी फर्मों की सूची एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Clutivation of Herbs

3961. Shri Mohan Swarup Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether any research is being conducted in the Government Laboratories on herbs with a view to assessing their suitability for medicinal purposes

(b) If so, the names of such herbs;

(c) whether any scheme has been formulated by his Ministry for the cultivation of those plants; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Health and Family Planning (DR. S. Chandrasekhar) : (a) Yes. Besides Government Laboratories, research on the therapeutic usefulness of medicinal plants is being carried out at Universities, Hospitals and Ayurvedic and other Medical Colleges.

(b) A list of the plants selected for investigation is attached. [**Placed in Library, See No. LT- 848–67**]

(c) and (d) : No, However, experimental cultivation of Medicinal Plants is undertaken at the Survey of Medicinal Plants Unit at Hardwar and Ranikhet and the Jawahar Lal Nehru Ayurvedic Medicinal Plants Garden and Herbarium at Kothrud near Poona.

Charas Recovered From an American National.

3962. Shri Hukam Chand Kachwai
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 600 grammes of 'charas' was recovered from an American citizen at Birla Mandir, New Delhi on the 23rd April, 1967 ;

(b) if so, from which place the 'charas' was brought; and

(c) the action taken in this regard ?

The Deputy Prime Minister and The Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) (a) On 22nd April. 1967 Police recovered 600 grammes of 'charas' from an American national who was standing at the bus stop near Birla Mandir, New Delhi.

(b) On interrogation the person disclosed that he had brought the 'charas' from Pakistan.

(c) A case under the Excise Act was registered against the person at Police Station Mandir Marg, New Delhi and he was arrested. On being challaned in the court, the accused confessed his guilt and was convicted and sentenced to undergo rigorous imprisonment for two months and to pay a fine of Rs. 50/-or in default, to undergo further 15 days rigorous imprisonment.

खिलाड़ियों की विदेश जाने वाली टीमों को दी गई विदेशी मुद्रा

3963. श्री जार्ज फरनेन्डोज :
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय खेलों और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये पिछले तीन वर्षों में भारतीय खिलाड़ियों की विभिन्न टीमों के लिये कितनी राशि की विदेशी मुद्रा मंजूर की गई ; और

(ख) इन टीमों ने अपनी विदेश यात्राओं में कितनी विदेशी मुद्रा कमाई ?

उप-प्रधानी मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पिछले तीन वर्षों में दी गई विदेशी मुद्रा के आंकड़े इस प्रकार हैं:—

	(रुपयों में)
1964	1,61,716
1965	26,208
1966	1,54,635

(ख) क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खेल और प्रतियोगिताएं में अव्यापारिक आधार पर भाग लिया जाता है, इसलिये अधिकतर टीमों को कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं करती। फिर भी बास्केट बाल फेडरेशन ने 1965–66 में 8, 160 और अखिल भारतीय लॉन टैनिस ऐसोशियेशन ने 1966–67 में, 3, 25 = लाख रुपये कमाये।

Silver Seized in Bombay.

3964. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai -

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that silver weighing 500 kilograms worth Rs. 2 lakhs was seized by the Central Income-tax authorities in Bombay during the third week of February, 1967; and

(b) if so, the action taken in this regard ;

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Security Men at Janpath Hotel, Delhi

3965. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 1000 security men employed in Janpath, Lodi and Ranjit Hotels are being paid less than their counter--parts in other hotels ;

(b) whether it is also a fact that they have made this demand several times that they should be iven gliveries, housing facility and salaries equal to others;

(c) if so, the reasons for not paying attention to their demands; and

(d) the reasons for the differences which exist between the pay-scales of employees of the Asoka Hotels Ltd. and those in the above mentioned hotels ?

The Deputy Minister in The Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) The security staff in the three hotels in question comprise of 55 Chowkidars and not 1000 security men as stated in the question. The pay scales of these chowkidars are lower than those of the chowkidars in the Ashoka Hotels. In the matter of unifo-

orms and residential accommodation, however, they are treated at par with the chowkidars of the Ashoka Hotel.

(b) and (c) : No representation has been received from the Chowkidars for higher salaries etc.

(d) The wage structure varies from Hotel to Hotel dependent on the class of staff employed, and in a 5-Star Deluxe Hotel like the Ashoka Hotel the wages paid are therefore higher than in the three Hotels of mucn lower categories run by Messrs. Janpath Hotels Ltd.

अकाल कोष की स्थापना

3966. डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रुप से राजस्थान में बार-बार अकाल पड़ने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार अखिल भारतीय आधार पर एक अकाल कोष बनाने का है ताकि देश में जब कभी भी कहीं अकाल पड़े तो उसकी वित्तीय कठिनाइयों को दूर किया जा सके ; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) ओर (ख) मुख्यत: अकाल सहायता उपाय उठाना राज्य सरकारों का दायित्व है और इन पर राज्य सरकारें आरम्भ में स्वयं व्यय करती हैं। भारत सरकार अपेक्षित राज्य सरकारों को उचित वित्तीय सहायता देती है। इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय बजट में प्रति वर्ष उचित धन राशि की व्यवस्था की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर इसमें वृद्धि की जाती है। चूंकि अक.ल सहायता की सब आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा किया जाता है, भारत सरकार का अकाल कोष स्थापित करने का कोई इरादा नहीं है।

चौथी योजना में हरयाणा राज्य की सिंचाई योजनाएं

3967. श्री रामकृष्ण गुप्त क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंच वर्षीय योजना में हरयाना सरकार द्वारा तैयार की गई सिंचाई योजनाओं संबन्धी प्रस्तावों की जांच पड़ताल इस बीच करली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) (क) और (ख) हरयाना की चौथी पंच वर्षीय योजना को अभी अन्तिमरूप नहीं दिया गया है।

राज्यों की बिजली व्यवस्था का समन्वय

3968. श्री रामकृष्ण गुप्त: क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब, हरयाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा मध्य प्रदेश राज्यों की बिजली व्यवस्था का समन्वय करने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : पंजाब, हरयाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली राज्यों की बिजली समन्वय करने के लिये सबसे पहले उत्तर प्रदेश दिल्ली, हरयाना दिल्ली और हरयाना राजस्थान के बीच 220 किलोवाट की लाइन का निर्माण करने का कार्यक्रम है ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य में बिजली का स्थानांतरण सुविधा पूर्वक हो सके। मुरादनगर (उत्तर प्रदेश) और दिल्ली के बीच की लाईन पहले ही पूरी हो चुकी है और आरम्भ में 132 किलोवाट से चालू हो जायेगी। बल्लभगढ़ (हरयाना) दिल्ली और हिसार (हरियाना) जयपुर के बीच लाइनें निर्माणाधीन हैं और आशा है 1967–68 तक पूरी हो जायेंगी। मध्य प्रदेश की बिजली व्यवस्था का राजस्थान और उत्तर प्रदेश से 132 किलोवाट द्वारा पहले ही समन्वय किया जा चुका है।

सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

3969. श्री शारदा नन्द :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री रणजीत सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन सरकारी कर्मचारियों को क्वाटर नहीं मिला हो तो उन्हें वेतन का केवल 15 प्रतिशत ही मकान किराया भत्ता के रूप में दिया जाता है, जबकि उन कर्मचारियों को, जिन्हें क्वाटर मिला होता है, मकान किराया भत्ता तो मिलता ही नहीं और अपने वेतन का 10 प्रतिशत भाग भी देना पड़ता है ;

(ख) इस विषमता के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसे दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) और (ख) सरकार मूल नियम 45 A के उपबन्धों के निहित निर्धारित क्वाटरों का किराया लेती है, जो 150 रुपये प्रतिमास या इससे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों का अधिक से अधिक 10 प्रतिशत और 150 रुपये से कम वेतन पाने वाले पदाधिकारियों का $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत से नहीं होता। वर्गीकृत शहरों में गैर–सरकारी क्वाटरों का किराया इससे भी कहीं अधिक है। अतः सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों को जिन्हें सरकारी क्वाटर उपलब्ध नहीं हैं, राज सहायता के रूप में मकान किराया भत्ता देना स्वीकार किया है। अतः इस मामलों में कोई विषमता नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रोहतक की परिवहन फर्में

3970. **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या वित्त मंत्री 3 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 309 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहतक जिले की परिवहन फर्मों द्वारा किये गये कर अपवंचन के बारे में पता लगाने के लिये उन फर्मों के हिसाब–किताब की जांच इस बीच पूरी की जा चुकी हैं ;

(ख) यदि हां, तो करों का नया निर्धारण क्या किया गया है ; और

(ग) यदि उन पर कोई दण्ड/जुर्माना किया गया है तो कितना ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स रेम्फ्री एण्ड सन

3971. **श्री मधु लिमये :**
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या वित्त मन्त्री 17 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 345 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम की धारा 19 (2) के अन्तर्गत कार्यवाही इस बीच पूरी हो चुकी है;

(ख) मेसर्स रेम्फ्री एन्ड सन को कितना जुर्माना किया गया है; और

(ग) क्या यह जुर्माना वसूल किया जा चुका है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम की धारा 19 (2) के अन्तंगत मेसर्स रेम्फ्री एण्ड सन के विरूद्ध कार्यवाही पूरी होने पर, उक्त अधिनियम की धारा 9,4 (1) (क) और 5 (1) (क) के क्रमश: उल्लंघन करने के कारण तीन कारण बताओ नोटिस दिये गये हैं। न्याय निर्णय की कार्यवाही चल रही है।

(ख) और (ग) इस स्तर पर प्रश्न ही नहीं उठता।

Gandak Project

3972. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government have reduced their share of the Gandak Project for 1967-68; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b) The Central Government is granting hundred percent earmarked loan assistance within the State Plan Ceiling to the State Governments of Bihar and U. P for expenditure on the Gandak Project. Besides, in respect of works benefitting Nepal and forming part of the Project and which are being executed by the Bihar State Government, the financial assistance is in the form of a grant over and above to State Plan ceiling. The tentative allocation of funds for the Gandak Project for the year 1967-68, however, falls short of the requirements notified by the Project authorities. The question of enhancing the allotment for this project for the year 1967-68, having regard to the availability of resources, is under active consideration.

Staff Cars in the Ministries

3973. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of Staff Cars in each Ministry, Ministrywise, giving the makes of cars and air-conditioned cars, if any;

(b) whether Government maintain a daily record of the mileage covered by staff cars in the various Ministries;

(c) the expenditure incurred on them during the year 1965-66 and the mileage covered by them; and

(d) whether it is also a fact that the Ministers and Officers use only staff cars and not their own cars ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (c) The information is being collected from the Ministries/Departments concerned and will be laid on the Table as soon as available

(b) Rules require a record of mileage covered by staff cars being kept in the log book prescribed for the purpose. Entries in the log book have to be made on the commencement and completion of each journey.

(d) No. Sir, While staff cars can be used by Ministers and officers for bonafide official journeys and, on payment at prescribed rates for non-duty journeys also, this is subject to availability and private cars are, in fact, used when staff cars are not available·

Seizure of currency

3974. Shri Onkar Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Fainance be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 204 on the 30th March, 1967 and state :

(a) whether the investigation regarding the seizure of Indian and foreign currency and some incriminating documents has sina been completed;

(b) if so, whether any action has been taken against the culprits; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Directive under section 19 (2) of the Foreign Exchange Regulation Act have been issued to the conserned parties who have received payments under instructions from residents abroad. Some of them have admitted the receipt of such remittances, Adjudication proceeding in terms of section 4 (1) of the Act for unauthorisedly buying/selling of the foreign exchange has also been initiated against one party.

(b) and (c) On completion of investigation, appropriate action under the Foreign Exchange Regulation Act will be taken against those found guilty.

Seizure of Cash and Gold

3975. Shri Onkar Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 223 on the 30th March, 1967 and state :

(a) whether an enquiry regarding the seizure of cash and gold by the Customs and Income-Tax authorities has since been completed;

(b) whether any further clue regarding the unaccounted money has been found out during the enquiry;

(c) if so, the amount thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister (Shri Morarji Desai) : (a) On the Customs side, out of 434 cases relating to seizure of gold and currency, 12 cases have been dropped after investigation, 264 have been adjudicated departmentally and in 8 cases prosecutions have been launched. The remaining cases are under investigation.

On the Income-Tax side, enquiries are still in progress.

(b) Yes, in two cases on the Income-Tax side.

(c) Rs. 15,571/-

Employees Retrenched in the Ministry of Finance (Defence Department)

3976. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of employees of the Ministry of Finance (Defence) who have been retrenched;

(b) the reasons therefor;

(c) wthether they have been provided with alternative employment;

(d) if not, the reasons therefor;

(e) the number of years of service rendered by them on the completion of which they have been retrenched; and

(f) the scheme envisaged for safeguarding their future ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) (a) : There has been no retrenchment in the Ministry of Finance (Defence),

(b) to (f) Do not arise.

Seizure of Opium in District Chittor

3977. Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 57 kilogrammes of opium was seized during the third week of April, 1967 from Alampur village in District Chittor as a result of a raid;

(b) if so, from whether the opium was brought; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) 57·125 kgs. of opium was seized by Police from four persons at Alampura village in district Chittorgarh on 11th April, 1967.

(b) and (c) The four persons from whom the opium was seized, were arrested and the matter is under investigation.

Theft of Files of Income-Tax Department

3978. Shri Rabi Ray :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri S. M. Joshi :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of complaints received during the last ten years regarding the theft and disappearance of the files of the Income-Tax Department;

(b) whether Government have made any investigation into the cases of disappearance of these files; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The number of such complaints received during the last ten years is 25.

(b) and (c) Thorough investigations were made in all such cases and, in appropriate cases, the help of the Police authorities was also taken. Some of the records have been traced out. Many of the files, which could not be traced, were reconstructed with the help of the available material. Suitable departmental action has been taken against those found responsible for the loss of the files.

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में नहर से सिंचाई

3979. श्री ना० स्व० शर्मा : **श्री बृज भूषण लाल :**
श्री शारदानन्द : **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ-राज्य क्षेत्र में नहर से सिंचाई के काम का समन्वय करने के लिए उन के मंत्रालय, हरयाना सरकार तथा दिल्ली प्रशासन के प्रतिनिधियों की एक सलाहकार समिति बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे

3980. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कलकत्ता में वृत्ताकार रेलवे के निर्माण कार्य में और कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) डमडम पौर प्रिन्सिप घाट के बीच बिजली की गाड़ी चलाये जाने के लिये लाइन बिछाने के लिये आरम्भिक इन्जीनियरिंग शक्य सर्वेक्षण किये जाने के आवश्यक प्रबन्ध रेलवे बोर्ड और पश्चिमी बंगाल सरकार की सलाह से पूर्ण हो चुके हैं। रेलवे बोर्ड ने हाल ही में एक वरिष्ठ इन्जीनियर को निर्देशित किया है जिसने सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य आरम्भ कर दिया है।

परिवार नियोजन योजनाओं के अन्तर्गत काम कर रही ग्राम सेविकाएं

3981. श्री क० मि० मधुकर : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम सेविकाओं की सेवाओं का उपयोग परिवार नियोजन योजनाओं में किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : जी हां, अनेक राज्यों में, लेकिन यह उपयोग हाल में ही शुरू किया गया है ।

(ख) इतनी जल्दी इसके परिणाम का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है ।

M/s Jhunjhunwala

3982. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the firms belonging to M/s Jhunjhunwala have given 18 files to different Officers of the Income-Tax Department, Bombay with a view to obtaining their assistance in order to avoid Income-tax to the extent possible;

(b) whether it is also a fact that those files were given to different officers by the Appellate Assistant Commissioner, Bombay: and

(c) if so, the steps taken by Government to finalise the enquiry at an early date ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir. 18 cases of this group were being assessed by different Income-tax Officers in Bombay City because the jurisdiction vested with them under the provisions of the Income-tax Act.

(b) No, Sir.

(c) The cases have since been centralised with one Income-tax Officer.

Transfer of Officers of Income-tax Department

3983. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to unstarred question No. 2€42 on the 24 th November, 1966 and state :

(a) the names of officers of the Income-tax Department, Bombay who have been transferred alongwith the names of places where they have been transferred;

(b) whether it is a fact that the working of the firms and complaints belonging to M/s Jhunjhunwala is being examined by the Central Income-tax Section Bombay after the transfer of these officers;

(c) whether it is also a fact that the Appellate Assisstant Commissioner has helped the firms belonging to Messrs. Jhunjhunwala to evade Income-tax to the tune of crores of rupees; and

(d) if so, the action taken by the Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) Since part (c) relates to an Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, it is presumed that the required information is in respect of Assistant Commissioners only. The following Assistant Commissioners were transferred from Bombay to the places mentioned against them.

1.	Shri T. P. Jhunjhunwala	Delhi
2.	Shri G. R. Raghavan	Madras

(b) The firms and assessees of Jhunjhunwala group are proposed to be centralized with Bombay City II charge and not with the Bombay Central charge.

(c) The Appellate Assistant Commissioner has nothing to do with assessments directly. There is no material to show that any Appellate Assistant Commissioner helped the firms to evade income-tax.

(d) Does not arise.

Firms of M/s Jhunjhunwala

3984. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 15 or 16 Companies or firms belonging to Shri Ramjilal Jhunjhunwala are being shown separately belonging to the various members of his family with a view to avoid Income-tax;

(b whether i is also a fact that such firms shown in the names of other members of his family have been pledged with the Bank of India, the Central Bank and other Banks so that those persons may not be in a position to assert their r ghts of ownership;

(c) whether it is also a fact that a loan has been obtained for the real joint family firm of Shri Ram Niranjan by pledging those firms with Banks wich clearly shows that M/s Jhunjhunwala are partners in one firm only and all other firms exist only in name; and

(d) if so, whether any enquiry has been conducted into the above causes and if so, the result achieved ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) There are a number of concerns in which Shri Jhunjhunwala and the members of his family are interested. Government have no information that these concerns have been shown as separately belonging to the various members of his family with a view to avoid income-tax.

(b) to (d) Investigations are in progress. These matters will be kept in view at the time of making the assessment.

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड

3985. **श्री उमानाथ :**
श्री नायनार :
श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या **पैट्रोलियम श्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान इन्सेक्टिस इड्स लिमिटेड ने बी. एच. सी. कारखाने के लिये अपेक्षित लगभग 35 लाख रूपये के संयंत्र तथा उपकरणों की सप्लाई के हेतु कोटेशन मांगने के लिये खुले टैंडर जारी नहीं किये थे :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड ने मैसर्स टेकनिकल इंटरप्राइजज, न्यूयार्क तथा उसकी सम्बद्ध फ्रांसीसी फर्म को लगभग 35 लाख रुपये के संयंत्र

तथा उपकरणों की सप्लाई के हेतु ठेका देने के लिये जोरदार सिफारिश की थी तथा सरकार की स्वीकृति मांगी थी;

(घ) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड ने उनके कोटेशनों के बारे में पूरा ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया था; और

(ङ) यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) जी हां।

(ख) जब निदेशकों के बोर्ड ने यह फैसला करना चाहा कि सम्भाव्य साधनों से किस प्रकार संयन्त्र एवं मशीनरी की सप्लाई के कोटेशन्स प्राप्त किये जायें, तब यह मालूम हुआ कि इस मंत्रालय के अधीन एक दूसरे सरकारी उपक्रम ने एक समरूप बी. एच. सी. प्लांट के लिए कोटेशन्स प्राप्त किये हैं। अतः निदेशकों के बोर्ड ने उन्हीं कोटेशन्स को इस्तेमाल करने का फैसला किया।

(ग) जी हां।

(घ) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड ने सारे ब्यौरे प्रस्तुत किये किन्तु सरकार द्वारा प्लांट के आदेश देने के सम्बन्ध में फैसला करने से पहले कम्पनी से कुछ स्पष्टीकरणों को प्राप्त करना पड़ा।

(ङ) प्रश्न के उपर्युक्त भागों में दिये गये उत्तर को दृष्टि में रखते हुए किसी अफसर के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली

3986. **श्री उमानाथ :** **श्री सत्यनारायण सिंह :**
श्री नायनार : **श्री प० गोपालन :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड के अलवाय स्थित कारखाने में 300 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता के बेंजीन हैक्साक्लोराइड का एक नया संयंत्र लगाने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूर कर लिया है;

(ख) यदि हां तो हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड की मंजूरी की सूचना कब दी गई थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि अवमूल्यन के पश्चात् बेंजीन हैक्साक्लोराइड्स की पुनरीक्षित अनुमानित उत्पादन लागत भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र के वर्तमान कारखानों में तैयार हुये इसी उत्पादन के विक्रय मूल्य से अधिक है; और

(घ) बेंजीन हेक्साक्लोराइड्स संयंत्र लगाने की इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लिमिटेड को अनुमति देने का औचित्य क्या है, जबकि इसकी अनु-

मानित उत्पादन लागत इसके अन्यनिर्माताओं द्वारा लिये जाने वाले वर्तमान मूल्य से अधिक होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघु रामैया) : (क) जी हां ।

(ख) 3 नवम्बर, 1965 को ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड

3987. **श्री उमानाथ :** **श्री नायनार :**
श्री सत्यनारायण सिंह : **श्री प० गोपालन :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स टैक्निकल एन्टरप्राइज द्वारा हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड को सप्लाई किये गये उपोत्पाद गन्धक के तेजाब का शोधन करने वाले संयंत्र कम्पनी द्वारा उन संयंत्रों के चालू होने के एक वर्ष से अधिक समय बाद अपने कब्जे में ले लिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि कम्पनी द्वारा उन संयंत्रों को अपने कब्जे में लिये जाने से पहले करार में उपबन्धित व्यवस्था के अनुसार संयंत्र सप्लाई करने वाली फर्म ने उन संयंत्रों के काम का प्रदर्शन नहीं कराया था;

(घ) यदि हां, तो इस कम्पनी ने इन संयंत्रों को लेने से पहले उनके काम का प्रदर्शन कराने पर आग्रह क्यों नहीं किया;

(ङ) क्या यह भी सच है कि उपोत्पाद गन्धक के तेजाब का शोधन करने वाले इन संयंत्रों को चालू होने के प्रथम वर्ष में ही 1200 रुपये की दैनिक बचत करनी थी; और

(च) यदि हां, तो हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड द्वारा लगाये गये संयंत्रों से प्रत्येक संयंत्र के वास्तविक कार्य का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) जी नहीं । वे लगभग 10 महीने के बाद लिये गये ।

(ख) कुछ अधिक समय तक परीक्षण-कार्य किया गया क्योंकि उत्पादन को स्थिरता प्राप्त करने में समय लगा ।

(ग) ठेके में व्यवस्था के अनुसार, कम्पनी द्वारा प्रदर्शन परीक्षण किये गये और संयंत्र प्रदायकों द्वारा मंजूर किये गये ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता

(ङ) शोधन संयंत्र को डी० डी० टी० प्लांट से उपलब्ध प्रयुक्त अम्ल से सल्फ्यूरिक ऐसिड और मोनो-क्लोरो-बेंजीन एक साथ प्राप्त करना है। यह अनुमान लगाया गया था कि उपलब्ध सल्फ्यूरिक ऐसिड और मोनो-क्लोरो-बेंजीन का शुद्ध मूल्य प्रति-दिन लगभग 1200 रुपये होगा; इस गति से लगभग 1-1। 2 साल की अवधि में संयंत्र का पैसा बसूल हो जायेगा।

(च) इसकी कार्यान्विति के पहले साल में दिल्ली प्लांट से प्राप्त सल्फ्यूरिक ऐसिड और मोनो-क्लोरो-बेंजीन का मूल्य 4,00,894 रुपये का था और इस प्रकार प्रतिदिन की बचत लगभग 1200 रुपये की होती है। अल्वाय में कार्यान्विति के पहले दो सालों में कुल बचत अनुमानित स्तर तक प्राप्त न हो सकी क्योंकि मैसर्स फर्टीलाइजर्स एण्ड केमीकल्स ट्रावनकोर लि० ने सल्फ्यूरिक ऐसिड नहीं उठाया था; 1966-67 में उपलब्ध सल्फ्यूरिक ऐसिड तथा मोनो-क्लोरो-बेंजीन का कुल मूल्य 4,55,407 रुपये था, जो प्रतिदिन लगभग 1380 रु० की बचत है।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड

3988. **श्री उमानाथ :**
श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री नायनार :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स टैक्निकल एन्टरप्राइजेज ने, जिसे हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड ने प्रयुक्त गन्धक के तेजाब को साफ करने के दो संयन्त्रों की सप्लाई करने का ठेका दिया था, करार के अनुसार पूरे उपकरणों की सप्लाई नहीं की ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संयन्त्र की सप्लाई करने वाली कम्पनी ने करार के अनुसार अपेक्षित फालतू पुर्जों की सप्लाई नहीं की ;

(ग) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड को उन उपकरणों के स्थान पर जिनकी सप्लाई ठेकेदार ने की थी और जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया था लगाने के लिये अन्य उपकरणों को खरीदने पर काफी खर्च करना पड़ा था;

(घ) क्या यह भी सच है कि ठेकेदारों द्वारा सप्लाई किये गये उपकरणों में परिवर्तन करने में हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड को काफी खर्च करना पड़ा था क्योंकि वे हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड को दिये गये नक्शों के अनुसार नहीं बनाये गये थे;

(ङ) क्या उपकरणों की कम सप्लाई किये जाने तथा इस कम्पनी को इन उपकरणों के खरीदने तथा उनमें परिवर्तन करने पर जो अतिरिक्त खर्च करना पड़ा, उसके लिये हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड ने ये संयंत्र सप्लाई करने वालों से कोई राशि वसूल की है; और

(च) यदि हां, तो वसूल की गई राशियों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) जी हां उन्होंने कुल चार टैंकों में से एक टेंक कम दिया है।

(ख) और (ग) आवश्यक फालतू पुर्जों की सप्लाई की गई थी किन्तु उनमें से कुछ खराब और दोषयुक्त पाये गये। प्रदायकों को उनके बदले दूसरे पूर्जे देने या उनके बदलने में आने वाले खर्च की अदायगी के लिये कहा गया है। कुछ अस्वीकार किये गये मदों को तत्काल ही प्राप्त करना पड़ा और इसके बदले प्रदायकों से क्षतिपूर्ति मांगी गई है।

(घ) उपकरण नक्शों के अनुसार बनाये गये थे किन्तु एक संयंत्र में मामूली परिवर्तन करना पड़ा जिसके 2118.08 रुपये के व्यय को प्रदायकों से मांगा गया है।

(ङ) और (च) अब तक कोई वसूली सम्भव नहीं हुई है क्योंकि संयंत्र प्रदायकों ने कम्पनी के दावों को स्वीकार नहीं किया है। कम्पनी अपनी क्षतिपूर्ति को स्वीकार करवाने के लिए यत्न कर रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निर्माण कार्य

3989. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के असैनिक निर्माण कार्यों को साधारणतया सरकारी अभिकरणों जैसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम आदि को सौंपा जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो किन परिस्थितियों में इन्हें गैर-सरकारी ठेकेदारों को दिया जाता है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धकों का मार्ग दर्शन करने के लिये कोई सामान्य प्रक्रिया बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या प्रक्रिया बनाई है ?

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग उन सड़कों और इमारतों को बनाने में पूरी तरह से व्यस्त रहता है जिनकी आवश्यकता सरकार को आयोजना-सम्बन्धी और आयोजना से सम्बन्ध न रखने वाली विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत होती है। राष्ट्रीय प्रायोजना निर्माण निगम (नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन) और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्सन कारपोरेशन) दोनों मिलकर सरकारी प्रतिष्ठानों के लिये आवश्यक होनेवाले इमारती निर्माण-कार्य का बहुत थोड़ा भाग ही पूरा करते हैं। राष्ट्रीय प्रायोजना निर्माण निगम और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को गैर-सरकारी ठेकेदारों से प्रतियोगिता करते हुए, प्रायोजनाओं के लिए निर्माण-कार्यों के आर्डर प्राप्त करने पड़ते हैं।

(ग) और (घ) जब सरकारी प्रतिष्ठान इमारती निर्माण कार्य को विभागीय तौर पर स्वयं ही नहीं करते तो वे इस कार्य के लिये ठेकेदारों का चुनाव, आमतौर से, टेण्डर मांग कर करते है। इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई सामान्य कार्यप्रणाली निर्धारित नहीं की है।

अनिवार्य जमा योजना

3990. **श्री दामानी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी राशि जमा हुई और विभिन्न बैंकों में जमा है; और

(ख) क्या इस राशि को वार्षिकी जमा खाते में जमा करने का कोई प्रस्ताव है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अनिवार्य जमा योजनाओं (कम्पलसरी डिपाजिट स्कीम) के अन्तर्गत, कुल लगभग 40 करोड़ रुपये की रकम इकट्ठी हुई थी, जिसमें से, कुछ योजनाओं के अन्तर्गत की गई वापसियों के बाद, लगभग 29 करोड़ रुपये की रकम मार्च 1967 के अन्त में बाकी रह गयी थी। जिन बैंकों ने ये रकमें जमा की उनके लिये यह आवश्यक था कि वे उन रकमों को रिजर्व बैंक में या सरकारी काम काज करने वाली राज्य बैंक की शाखाओं में भेज दें ताकि उन्हें सरकार के खाते में जमा करा दिया जाय। इसलिये कोई रकम इकट्ठी की जाने और किसी बैंक में जमा रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

(ख) जी नहीं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्यात किये जाने वाले पदार्थों का उत्पादन बढ़ाया जाना

3991. श्री दामानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) वर्ष 1966-67 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम निर्यात किये जानेवाले पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने में कितने सफल रहे हैं; और

(ख) इस प्रगति का विशेष विवरण क्या है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) मांगी गयी सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे यथासमय सभा की मेज पर रख दिया जायगा। इस सम्बन्ध में अतारांकित प्रश्न संख्या 3288 का उत्तर भी देख लिया जाय, जो 22 जून, 1967 को दिया गया था।

सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाना

3992. श्री देवकीनन्दन पटौदिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० बरुआ :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री इसहाक सम्भली :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नम्बियार
श्री प० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री नायनार :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री न० कु० सांधी :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री अगाड़ी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) अमरीका की सहायता से भारत में सहकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में, जिसके लिये पिछले वर्ष बातचीत हुई थी, वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या देश में सहकारी क्षेत्र में और अधिक कारखाने स्थापित करने के लिये किसी विदेशी कम्पनी के साथ भी हाल ही में बातचीत हुई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या शर्तें तय हुई हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) भारत के सहकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित संयंत्र, संयन्त्रों की स्थिति एवं आकार पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिये एक अमरीकी सहकारी दल भारत पहुंचा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Estate Duty Realised from Families of the Former Rulers of States

3993. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number together with names of the erstwhile princely States from whom estate duty has so far been realised on account of the death of members of their families; and

(b) the definition of their relatives and family members and who constitute as "their family members" for the purpose of estate duty ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Information is being collected and will be laid on the table of the House as early as possible.

(b) In the general definition section viz., sec. 2 of the Estate Duty Act, there is no definition of "relatives" and "family members" in relation to either former rulers of States or any other person.

However, different definitions have been given in different sections of the Estate Duty Act in respect of term "relatives" for the specific purposes of those Sections. These are given below :—

(i) For the purposes of Section 17—
"The expression "relative" means a husband, wife, ancestor, lineal descendant, brother or sister".

(ii) For the purposes of Sections 12 and 27—

(1) 'relative' means, in relation to the deceased--

(a) the wife or husband of the deceased;

(b) the father, mother, children, uncles and aunts of the deceased; and

(c) any issue of any person falling within either the preceding sub-clauses and the other party to a marriage with any such person or issue;

(2) reference to 'children' and 'issue' include reference to illegitimate children and to adopted children".

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के अध्यक्ष की नियुक्ति

3994. श्री चक्रपाणि : श्री उमानाथ :
श्री अब्राहीम : श्री अनिरुद्धन :
श्री एस्थोस : श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड का वर्तमान गैर-अधिकारी अध्यक्ष इस कम्पनी से पिछले कई वर्षों से सम्बद्ध है;

(ख) यदि हां, तो किस-किस हैसियत में और कितनी-कितनी अवधि के लिये; और

(ग) इस कम्पनी के अध्यक्ष के पद पर वर्तमान पदधारी की नियुक्ति किन बातों को ध्यान में रख कर की गई ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) जी हां ।

(ख) अप्रैल, 1960 से निदेशक के रूप में और 19 अक्तूबर, 1965 से चेयरमैन के रूप में ।

(ग) वह उद्योग तथा व्यापार से भली-भांति परिचित है । वह केरल के एक प्रसिद्ध लोक व्यक्ति भी हैं ।

आयातित माल तथा मुद्रा का पकड़ा जाना

3995. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ख० प्रधानी :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो महीनों में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गये आयातित माल तथा मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) पकड़ा गया यह माल कितने मूल्य का हैं; और

(ग) सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) अप्रैल और मई, 1967 के दौरान सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गये तस्कर माल की कीमतों का ब्यौरा इस प्रकार है—

	परिमाण	कीमत (रुपये) (लगभग)
सोना	419 किलोग्राम	35,39,000
घड़ियां	24,923	29,85,000

हीरे	7,42,000
सोने और हीरे के	60,000
भारत और विदेशी मुद्रा	21,58,000
अन्य माल	1,97,33,000

(ग) पकड़े गये सामान से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय विनिर्णयन और जहां उचित समझा गया, वहां मुकदमे चलाये जा रहे हैं ।

छात्रों को विदेशी मुद्रा

3996. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1967 से आज तक कुल कितने छात्रों को विदेशों में अध्ययन करने के लिये विदेशी मुद्रा दी गई; और

(ख) उक्त अवधि में उन्हें कुल कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) 1 अप्रैल, 1967 से मई 1967 के अन्त तक जारी किये गये पर्मिटों और उनके मूल्यों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	संख्या	मूल्य
नये पर्मिट	170	20.39 लाख रु०
अध्ययन जारी रखने के लिये नवीकृत पुराने पर्मिट	239	17.38 लाख रु०

बन्ध्यकरण आपरेशन

3997. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में अप्रत्येक राज्य में बन्ध्यकरण के लिये कितने आपरेशन किये गये और इस प्रयोजन के लिये कितने शिविर लगाये गये; और

(ख) प्रत्येक शिविर पर, राज्य-वार, औसतन कितना खर्च आया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

चीन द्वारा हांगकांग में छपवाये गये नोटों का केरल में चलन

3998. **श्री बाबूराव पटेल : श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्री शिवकुमार शास्त्री : श्री रामावतार शर्मा : श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : श्री हुकमचन्द कछवाय : श्री आत्म दास : श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनियों द्वारा हांगकांग में छपवाये गये 500 करोड़ रुपये के मूल्य के नोट केरल में स्थानीय सरकार की सहायता से गुप्त रूप से चला दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो हमारी अर्थ-व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने के लिये किये गये इस कार्य को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि कार्यवाही नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

उड़ीसा में गन्दी बस्तियों को हटाना

3999. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में गन्दी बस्तियों को हटाने तथा उनकी वर्तमान दशा सुधारने के सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक नहीं कि वे गन्दी बस्तियों को हटाने तथा उनके सुधार के लिए अपनी परियोजनाओं को मंजूरी के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत करें । उनके द्वारा अथवा उनके राज्य में अन्य निर्माण एजेंसियों के द्वारा बनाई गई ऐसी परियोजनाओं को स्वीकार करने में वे स्वयं सक्षम हैं । योजना के अन्तर्गत किये गये खर्चे के आधार पर उन्हें प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है ।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

4000. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) उड़ीसा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के छात्रों को, वर्गवार, छात्रवृत्तियां देने के लिये वर्ष 1966-67 में उड़ीसा को कितना धन दिया गया था और वर्ष 1967-68 में कितना धन देने का विचार है; और

(ख) अब ये छात्रवृत्तियां प्रत्येक वर्ग के कितने-कितने छात्रों को मिल रही है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) यह सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होते ही वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Central Institute of Ayurvedic Research and Studies, Jhansi.

4001. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether a dicision has been taken by Government to set up a Central Institute of Ayurvedic Research and Studies at Jhansi;

(b) if so, the expenditure to be incurred thereon; and

(c) if not, when a decision will be taken in this regard ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) It is proposed to set up a Central Institute for Advanced Studies and Research in Ayurvedic Literature at Jhansi.

(b) and (c) The details of the proposal are being worked out.

थान्नीर मुक्कम बांध परियोजना

4002. श्री अ० क० गोपालन : श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री चक्रपाणि : श्री राममूर्ति :

क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थान्नीर मुक्कम बांध परियोजना का काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) यह कार्य कब आरम्भ किया गया था;

(घ) यह काम कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) इस काम को पूरा करने के लिये कितने धन की आवश्यकता है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) कार्य पूरा करने में विलम्ब के कारण इस प्रकार हैं : (1) अनपेक्षित नींव सम्बन्धी कठिनाइयां जिनमें झील की तह की मिट्टी के गहरे अध्ययन की आवश्यकता है; और (2) कार्य को चरणों में आरम्भ करने की आवश्यकता ताकि कोचीन बन्दरगाह पर विपरीत प्रभाव न पड़े ।

(ग) 1958–59 में।

(घ) चतुर्थ योजना के अन्त तक।

(ङ) मूल अनुमान के अनुसार लागत 150 लाख रु० थी। वर्तमान अनुमान के अनुसार लागत बढ़ कर 320 लाख रु० हो जायेगी।

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करना

4003. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने में अन्तग्रस्त विभिन्न प्रश्नों का अध्ययन होता रहा है। अभी कोई पुख्ता निष्कर्ष नहीं निकले हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास

4004. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि नियत की गई; और

(ख) उपरोक्त अवधि में राज्य द्वारा वह राशि किस तरीके से काम में लाई गई ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) आवश्यक जानकारी देने के लिये राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है और उसे प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

जीवन बीमा निगम

4005. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भगवान दास :
श्री उमानाथ :
श्री वि० कु० मोदक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय पंडित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर आश्रितों के लिये व्यवस्था करने के प्रवर्तक थे;

(ख) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने अपनी संस्था में उनके आदर्शों तथा उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिये कुछ नहीं किया है;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम ने उन लोगों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिये कोई कार्यवाही की है, जो थोड़े समय के अन्दर ही सरंडर हो गई पालिसियों के बारे में, जिनके कारण विदेशों में विदेशी मुद्रा की बहुत भारी हानि होती थी, प्रति वर्ष बड़ी राशियों को नया वार्षिकी बीमा करके बहुत बड़ा नया बीमा कारोबार दिखाने में सफल रहे हैं; और

(घ) क्या वार्षिक कारोबार प्राप्त करने तथा इस प्रकार उसे विदेशों में सरंडर करने और उससे वार्षिकी पालिसियां बुक करने का तरीका अब तक चल रहा है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। स्वर्गीय पंडित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर द्वारा 1872 में स्थापित की गई हिन्दू परिवार वार्षिकी निधि सबसे पुराने भारतीय बीमाकर्ताओं में से एक थे।

(ख) उनकी याद को जीवित रखने के लिये जीवन बीमा निगम ने कोई विशेष चीज़ नहीं की है।

(ग) और (घ) अव्यवहित जीवन वार्षिकी सरंडर मूल्य के लिये पात्र नहीं है। जहां तक स्थगित वार्षिकी पालिसियों का सम्बन्ध है उन्हें भुगतान करके आरम्भ से 7 वर्ष बीतने पर विदेशों में सरंडर किया जा सकता है। निगम के सभी पालीसी समझौतों पर रिज़र्व बैंक द्वारा बनाये गये विनिमय नियन्त्रण विनियम लागू होते हैं जिनका उद्देश्य विदेशी मुद्रा के बहाव को रोकना है।

Appointment of Hindi Officer in National Centre for Adult Blind, Dehradun.

4006. Shri Yashpal Singh :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Hindi Officer is proposed to be appointed in the National Centre for the Adult Blind, Dehra Dun; and

(b) if so, the time likely to be taken in making the said appointment ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) Yes.

(b) It will be done as soon as possible.

अलेपुजहा टी० डी० मेडिकल कालेज

4007. श्री नायनार : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अलेपुजहा टी० डी० मेडिकल कालेज (गैर-सरकारी) को कोई सहायता दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितनी सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं।

(ख) इस अवधि में कोई सहायता नहीं दी गई।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

4008. श्री म० ला० सोंधी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1966 को पूरे होने वाले पिछले दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारी वार्धक्यता आयु पूरी करने के बाद सेवा निवृत्त हुए;

(ख) कितने व्यक्तियों की पेंशन और उपदान (ग्रेच्यूटी) उनकी सेवा निवृत्ति की तिथि से पृथक-पृथक एक महीने, तीन महीने और छः महीने की अवधि में नियत कर दी गई थी;

(ग) कितने व्यक्तियों की देय राशि उनकी मृत्यु के बाद नियत की गई;

(घ) क्या सरकार कोई ऐसा उपाय कर रही है जिससे सेवानिवृत्त व्यक्तियों की पेंशन और उपदान के मामले उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि से एक महीने की अवधि में निबटा दिये जायें और यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस बारे में नियमों तथा प्रक्रियाओं में संशोधन करने तथा उन्हें सरल बनाने का है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) वर्तमान नियमों में पहले ही यह उपबन्ध है कि अधिकारी को पेंशन देय होते ही प्राप्त होने लग जाती है। किसी अधिकारी के पेंशन के मामले पर उसकी सेवा निवृत्ति की तिथि से एक वर्ष पहले ही कार्यवाही आरम्भ हो जाना अपेक्षित है। पेंशन सम्बन्धी कागजात लेखा-परीक्षा अधिकारी को समय पर पहुंच जाने चाहिये ताकि वह आवश्यक जांच-पड़ताल कर सके। स्वीकृति महालेखापाल द्वारा सेवानिवृत्ति की तिथि से अधिक से अधिक दो सप्ताह पूर्व जारी की जा सकती है।

(ङ) पेंशन के दावों के शीघ्र निपटान के लिये नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण निरन्तर रूप से होता रहता है और जब भी कोई निर्णय किया जाता है उनमें परिवर्तन किया जाता है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति

4009. श्री विश्वम्भरन : **श्री श्रीधरन :**
श्री कामेश्वर सिंह : **श्री मंगलाथुमाडोम :**

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति का अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) समिति से अपनी अन्तिम रिपोर्ट दिसम्बर, 1967 के अन्त तक पेश करने के लिये कहा गया है।

दिल्ली में बंगलों में नौकर-चाकरों के लिये बने मकान

4010. श्री अब्दुल गनी दार : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के 23 मई, 1967 के अंक में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि नई दिल्ली के लगभग 50 प्रतिशत बंगलों में नौकरों-चाकरों के लिये बने मकान धोबियों, नाइयों तथा मैकेनिकों को रहने के लिये दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने बंगले हैं;

(ग) क्या इन लोगों को निवास स्थान देने से पहले सरकार की अनुमति ले ली गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) नौकर-चाकरों के लिए बने मकान आदि में इस प्रकार के किसी अनधिकृत उपयोग की जानकारी सरकार को नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में मानसिक दृष्टि से कमजोर बच्चों के लिये स्कूल

4011. श्री भोगेन्द्र झा :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मानसिक दृष्टि से कमजोर बच्चों के लिये दिल्ली में बहुत कम स्कूल हैं;

(ख) क्या इन स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है; और

(ग) यदि हां, तो राजधानी में मानसिक दृष्टि से कमजोर बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) दिल्ली में मंद-बुद्धि बच्चों के लिये 5 स्कूल हैं ।

(ख) गम्भीर कमी की सूचना नहीं मिली है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा का विकास

4012. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में उड़ीसा राज्य के विकास के लिये उड़ीसा सरकार के लिये कितनी धनराशि का वास्तविक नियतन किया गया तथा उस राज्य ने कितनी धनराशि खर्च की; और

(ख) इस राज्य को इस कार्य के लिये 1967-68 के लिये कितनी धनराशि नियत करने का विचार है ?

योजना, पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) 1966-67 के लिये उड़ीसा के लिये 51.09 करोड़ रु० के अनुमोदित परिव्यय में से राज्य सरकार के अनुसार अनुमानतः 49.75 करोड़ रु० व्यय हुए हैं । वास्तविक व्यय के आंकड़े चालू वित्तीय वर्ष के मध्य में प्राप्त होंगे ।

(ख) 22 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3338 के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है ।

उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों का विकास

4013. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में उड़ीसा राज्य को पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये उस राज्य के लिये कितनी राशि नियत की गई थी ; और

(ख) उक्त अवधि में इस राज्य ने इस राशि का किस तरह उपयोग किया ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) राज्य की 1966-67 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये कोई पृथक आवंटन नहीं किया गया था तथापि राज्य सरकार से यह बताने के लिये कहा गया हैं कि पिछड़े क्षेत्रों में क्या कार्यक्रम आरम्भ किये गये और उन पर क्या व्यय हुआ । जानकारी उपलब्ध होते ही सभापटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा में कुष्ठ रोग नियंत्रण केन्द्र

4014. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितने कुष्ठ रोग नियंत्रण केन्द्र हैं ;

(ख) इन केन्द्रों में कितने रोगियों के लिये व्यवस्था है ; और

(ग) 1966–67 में सरकार ने इन केन्द्रों को कुल कितनी रकम का ऋण अथवा अनुदान दिया था ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री : डा० श्री० चन्द्रशेखर (क) राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस समय उड़ीसा में 20 कुष्ठ नियंत्रण एकक और 44 सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार केन्द्र चल रहे हैं । इनके अतिरिक्त हिन्द कुष्ठ निवारण संघ खंण्डपाद, जिला पुरी द्वारा चलाया जा रहा एक कुष्ठ नियंत्रण एकक भी भारत सरकार की आर्थिक सहायता से खोला गया है । डेनिश सेव दि चिल्ड्रन आर्गेनाइजेशन ने भी गंजाम जिले के अस्का नामक स्थान पर एक कुष्ठ नियंत्रण एकक खोला है ।

(ख) उड़ीसा के प्रत्येक एकक से यह आशा की जाती है कि वह लगभग 1,500 से 1,800 तक कुष्ठ रोगियों का पता लगायेगे तथा उनका उपचार करेंगे ।

(ग) वर्ष 1966–67 में कार्यान्वित हुयी विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के लिये जिनमें कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं; भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार को 1967–68 में कुल 32·36 लाख रुपये का अनुदान दिया । कुष्ठ केन्द्रों के लिये ही अलग से कितनी सहायता दी गई यह बतलाना सम्भव नहीं है क्योंकि सहायता देने की वर्तमान प्रणाली के अनुसार राज्य सरकारों को सहायता योजनावार न देकर सभी योजनाओं के लिये एक मुश्त दी जाती है ।

इसके अलावा कुष्ठ के क्षेत्र में काम करने वाली एक स्वयंसेवी संस्था को 1966–67 में 2,500 रुपये का एक सहाय्यानुदान दिया गया था ।

योजना आयोग के एक अधिकारी द्वारा स्वागत समारोहों का आयोजन

4015. श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री बलराज मधोक :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का एक अधिकारी योजना आयोग के सचिव-वैदेशिक कार्य मंत्रालय-फंडस हास्पिटैलिटी आर्गेनाइजेशन से अनुमति प्राप्त किये बिना ही अनेकों स्वागत समारोहों, मध्यान्ह भोजों, और रात्रि भोजों का आयोजन करता रहता है ;

(ख) क्या आतिथ्य संगठन की ओर से इन समारोहों में विशेष पेयों की भी व्यवस्था की जाती रही है और इन समारोहों में अधिकतर अतिथि विदेशी मिशनों के लोग; पुराने मित्र-गण एवम सम्बन्धी तथा वर्ल्ड आफ एयरलाइन्स ट्रेवल एजेन्सीज के लोग होते हैं, जिसमें उन की पत्नी काम करती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग) मामले की जांच की जा रही है।

PL-480 FUNDS FOR FAMILY PLANNING

4316. Shri Yashpal Singh :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether negotiations have been made with the Government of U. S. A. for utilisation of PL-480 funds in Family Planning Programme in India; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Ministr of Health and Family Planning (Dr. S. Chandar Sekhar) : (a) and (b) Negotiations for utilisation of PL-480 funds for Family Planning Programme in India are in progress but have not yet been finalised.

Saving oF Excise Duty by Birla Group of Firms.

4017. Shri Yaspal Singh :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to a news-item published in **Patriot** of the 28 th May, 1967 that a firm of Birlas has earned Rupees 2 crores by saving Excise duty by manufacturing sub-standard cloth ;

(b) if so, whether any investigation has been made into the matter ; and

(c) the action being taken in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) Yes sir. It is, however, noclear which mill is referred to in the news item. There is, at present, under investigation a case in which the Technological Institute of Textiles Mill, Bhiwani, is, **Inter alia**, alleged to have manufactured Saris of less than the prescribed length and evaded payment of Central Excise duty due. The matter is under careful investigation and necessary action will be taken in the light of the conclusions reached.

सहायक आयकर आयुक्त

4018. श्री वेणीशंकर शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहायक आयकर आयुक्तों का वेतनक्रम 1100 रुपये से 1600 रुपये तक है जब कि अन्य केन्द्रीय सेवाओं में इसी श्रेणी के अधिकारियों का वेतनक्रम 1300 रुपये 1600 रुपये तक है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां, प्रथम भाग के सम्बन्ध में। यह स्पष्ट नहीं है कि केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों की किन श्रेणियों से अर्थ है।

(ख) दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सहायक आयुक्तों का वेतन क्रम 1100-50-1400 रु० निर्धारित किया गया था। बाद में, आयकर सहायक आयुक्तों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए उसको संशोधित करके 1100-50-1300-60-1600 रु० कर दिया गया था।

आयकर सेवा के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति

4019. श्री वेणीशंकर शर्मा : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर सेवा से किसी भी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर भारत सरकार के मंत्रालयों में नहीं लिया जाता जब कि लेखा-परीक्षा तथा प्रतिरक्षा लेखा विभागों से काफी संख्या में अधिकारियों को लिया जाता है ; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) इस समय आयकर सेवा के 89 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं। उनमें से 80 भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर हैं और 9 विभिन्न निगमों/आयोगों आदि में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

इड्डिक्की पन-बिजली परियोजना के लिये केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड

4020. श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :
श्री प्रदिचन :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इड्डिक्की पन-बिजली परियोजना के लिये एक केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड बनाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) क्या यह सच है कि केरल सरकार तथा विद्युत बोर्ड इस परियोजना के लिए एक केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड बनाने के विचार से सहमत नहीं हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव०) : (क) और (ख) : इड्डिकी पन-बिजली परियोजना के लिये राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों के प्रतिनिधियों का एक नियन्त्रण बोर्ड बनाने के प्रश्न पर केरल सरकार से परामर्श किया जा रहा है।

PURCHASE OF KHADI

4021. Shri Balmaki Choudhary : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the quantity of Khadi purchased by Government during the last five years in pursuance of the decision regarding use of Khadi in different Government departments in order to provide incentive to Khadi ; and

(b) the extent of decrease in its purchase during the last five years and the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) The quantity of Khadi purchased during the last five years, together with its value, is as under :

Year	Quantity (in lakhs)	Value in lakhs)
1962–63	47·55 Metres	Rs. 98·73
1963–64	34.31 ,,	Rs. 78.39
1964–65	92.43 ,,	Rs. 207.64
1965–66	33.23 ,,	Rs. 98.92
1966–67	45.40 ,,	Rs. 118.51

(b) From the figures furnished in reply to part (a) of the question, it will appear that there has been no appreciable decrease in purchase of Khadi during the last five years. Purchases are made according to the requirement of the indentor.

दिल्ली में बंगलों की खाली भूमि में फसलें उगाना

4022. श्री कामेश्वर सिंह : **श्री श्रीधरण :**
श्री श्रीचन्द गोयल : **श्री क० मि० मधुकर :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बंगलों में रहने वाले व्यक्तियों से बंगलों की खाली भूमि को उपयुक्त फसलें उगाने के लिये प्रयोग में लाने के लिये अनुरोध करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार तथा कब तक ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री, (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) : लाल बहादुर शास्त्री के राष्ट्र के नाम ब्राडकास्ट का अनुसरण करते हुए, कि ऐमरजैन्सी के दौरान सभी उपलब्ध भूमि में अन्न के उत्पादन के लिए खेती की जाये, यह निर्णय किया गया था कि जिन मंत्रीयों तथा अन्य लोगों के पास खुली जगह वाले बड़े बंगले हैं उनकी सहमति से

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उद्यान निदेशक (डायरेक्टर आफ़ हार्टीकल्चर) बंगलों से संलग्न खुली भूमि के एक भाग में सब्ज़ियां, गेहूँ आदि लगायें। तभी से मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा योजना आयोग के सदस्यों के बंगलों से संलग्न भूमि में उनके अनुरोध पर प्रति वर्ष अनाज तथा सब्जियां उगाई जाने लगीं। अन्य सरकारी निवास स्थानों में जब कभी तकनीकी परामर्श की आवश्यकता हुई वह दी गयी।

गोविन्द सागर बांध में जलमग्न हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र

4023. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोविन्द सागर बांध में हिमाचल प्रदेश का कितना क्षेत्र जलमग्न हो गया है;

(ख) सतलुज नदी का कितना जलमग्न क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है;

(ग) हिमाचल प्रदेश के कितने क्षेत्र की सिंचाई गोविन्द सागर की नहरों से हो रही है;

(घ) गोविन्द सागर बांध का निर्माण हो जाने के परिणामस्वरूप पैदा होने वाली बिजली में से कितनी बिजली हिमाचल प्रदेश को सप्लाई की जा रही है;

(ङ) क्या यह सच है कि भाखड़ा गांव की भी, जहां यह बांध है, बिजली नहीं दी जा रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) 44461 एकड़।

(ख) 7700 वर्गमील।

(ग) 180 एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा दी जा रही है।

(घ) 11000 किलो वोल्ट ऐम्पेयर।

(ङ) और (च) जी हां। अब तक बिजली के लिये कोई मांग नहीं थी। विद्युतीकरण कार्य अब हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा आरम्भ किया जायेगा।

गोविन्द सागर बांध में जलमग्न क्षेत्र

4024 **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा के गोविन्द सागर बांध के परिणामस्वरूप कितने गांव, कितने मकान और कितनी भूमि जलमग्न हो गई है;

(ख) ऐसे कितने विस्थापित परिवार है, जिन्हें अभी तक घर नहीं दिये गये हैं और परिणामतः जो अभी तक कहीं भी नहीं बस पाये हैं;

(ग) ऐसे कितने विस्थापित काश्तकार हैं जिन्हें बदले में काश्त के लिये भूमि नहीं दी गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि भूमि अर्जित करते समय यह निश्चय किया गया था कि जो लोग विस्थापित होंगे, उन्हें घर और कृषि-योग्य भूमि दी जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो उनमें से कितने लोगों को हरियाणा, पंजाब, तथा अन्य राज्यों में भूमि दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) 375 गांव, 6811 मकान और 4461 एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है।

(ख) से (ङ) जिन व्यक्तियों ने भूमि के रूप में मुआवजा प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की थी और जिनके पास भूमि थी उन्हें कृषि योग्य भूमि और मकान के प्लाट देने का निश्चय किया गया था। भाखड़ा पुनर्वास समिति द्वारा समय समय पर किये तयार की गई योजनाओं के अनुसार सभी भूमि रखने वाले निष्कासित व्यक्तियों को इस प्रकार बसाया गया था :—

हरियाणा	2177 निष्कासित व्यक्ति
पंजाब	कोई नहीं
हिमाचल प्रदेश	3237 निष्कासित व्यक्ति

भूमिहीन व्यक्तियों को फिर से बसाने के लिए कुछ भूमि भी अर्जित की गई थी। कुल 130 व्यक्तियों में से 75 को भूमि आंवटित की जा चुकी है जबकि शेष 55 व्यक्तियों को प्लाट आवंटित किये जा रहे हैं।

Deposits with Banks

4025 Shri Bhogendra Jha :
Shri Vasudevan Nair :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of the total capital invested and the total amount of diposits in all the private banks in country at present ;

(b) the amount out of the total deposits that was invested in the foodgrains trade during 1964-65, 1965-66, 1966-67 and 1967-68 so far and the amount invested in the trade in jute, sugar, cotton and cement separately ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) Total paid-up capital of the banks in the private sector was of the order of Rs. 41.5 crores as on 31st March 1967. This includes Rs. 6.5 crores deposited by foreign banks with the Reserve Bank under Section 11(2) (b) of the Banking Regulation Act, 1949. Total deposits of these banks amounted to Rs. 2469.6 crores on the same date.

(b) The advances of private scheduled banks to wholesale trade in these commodities (except for cement for which information is not available) ontstanding on the following dates are given below :

(Rupees in crores)
Outstanding advances as on

	31.3.64	31.3.65	31.3.66
1. Foodgrains	21.99	15.08	17.51
2. Raw Cotton	40.24	49.93	44.14

3. Raw Jute	...	...	6.34	8.68	7.34
4. Sugar	...	...	12.61	8.67	8.81
5. Textiles	...	...	82.24	91.77	90.78
(include Cotton, Jute, Wool, Silk etc.)					

[Compiled from annual returns received by the Reserve Bank and latest available figures relate to 31.3.1966]

Milk Powder for Leprosy Patients

4026. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Shiv Kumar Shastri :** **Shri Hukam Chahd Kachwai :** **Shri Ram Avtar Sharma :**

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the milk powder received for the leprosy patients is being sold in the markets in Delhi, Bihar and U. P.;

(b) whether Government have also received some complaints to this effect; and

(c) if so, the full details thereof and the action Government proposed to take against the persons concerned ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) and (b) : No such information or complaint has been received.

(c) Does not arise.

अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति की सिफारिशें

4027. **श्री कं० हाल्दर :** क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त की गई अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की है कि अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम के अन्तर्गत दोषी पाये गये व्यक्तियों को सार्वजनिक पद तथा सरकारी नौकरी नहीं दी जानी चाहिए । और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) हां । समिति द्वारा अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों में से यह एक है ।

(ख) समिति की अन्य सिफारिशों के साथ इस सिफारिश पर भी राज्य सरकारों तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के सलाह मशविरे के विचार किया जा रहा है ।

कर ढांचे की जांच के लिये एक संदस्यीय आयोग के रूप में श्री भूतलिंगम् की नियुक्ति

4028. **श्री मोलहू प्रसाद :** **श्री मधु लिमये :** **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री रवि राय :** **श्री जार्ज फरनेंडीज :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक लेखा समिति द्वारा आक्षेप किये जाने तथा संसद् की दोनों सभाओं द्वारा रोष व्यक्त किये जाने पर भी श्री भूतलिंगम् को देश के कर ढांचे की जांच करने के लिये एक सदस्यीय आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि यद्यपि वे प्रति वर्ष एक रुपये का नाम मात्र का वेतन ले रहे हैं, वे दिल्ली में पहले वाले उसी सरकारी मकान में रह रहे हैं, जिसका बाजार किराया प्रतिमास 3,000 रुपए होगा ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि उन्हें टेलीफोन और स्टाफ–कार की सुविधायें मिलती रही हैं तथा उनके द्वारा की गयी अनेक यात्राओं के लिये यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता मिलता रहा है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) ; करों से सम्बन्ध रखने वाले कानूनों को सरल और युक्ति संगत बनाने और उन्हें संहिताबद्ध करने के उद्देश्य से, उनका अध्ययन करने के लिए 25 जनवरी, 1967 से, लगभग एक वर्ष के लिए, एक एक-सदस्यीय समिति नियुक्त की गयी है। श्री एस० भूतलिंगम् इस एक-संदस्यीय समिति के सदस्य हैं। वित्त मंत्रालय के सचिव के रूप में अपने कार्य-काल में, उन्होंने करों के ढांचे को दोषरहित बनाने और कर-संग्रह के काम को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए करों के ढांचे में सुधार करने का काम किया था। उनके सेवा-निवृत्त (रिटायर) हो जाने के बाद, यह निश्चय किया गया कि कर सम्बन्धी कानूनों के अध्ययन का काम किसी और नये आदमी को सौंपने के बजाय श्री भूतलिंगम् को ही यह काम पूरा करने की अनुमति देकर उनके अनुभव का उपयोग करके उसका पूरा-पूरा लाभ उठाया जाय।

(ग) : श्री भूतलिंगम की नियुक्ति विशुद्ध रूप से अवैतनिक है और उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। एक सदस्यीय समिति के रूप में श्री भूतलिंगम की नियुक्ति हो जाने के बाद, उन्हें किराया देकर अपने पास सरकारी निवास-स्थान रखने की अनुमति दी गई थी; 17 मार्च, 1967 को सेवानिवृत्त होने के दिन से तीन महीने से भी कम अवधि तक सरकारी क्वार्टर में रहने के बाद, 11 जून, 1967 को श्री भूतलिंगम ने सरकारी क्वार्टर खाली कर दिया था। बाजार दर से इस मकान का किराया 1075.60 रुपया है।

(घ) : श्री भूतलिंगम को टेलीफोन और स्टाफ-कार सम्बन्धी सुविधायें दी गयी हैं। उन्हें समिति के काम से की जाने वाली यात्राओं के लिए यात्रा-भत्ता लेने का भी अधिकार है। समिति के काम से उन्होंने सिर्फ एक बार सरकारी तौर पर यात्रा की है।

Irrigation and Power Schemes of Madhya Pradesh

4029. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the number of irrigation and power schemes of the Madhya Pradesh Government pending sanction with the Central Government and the details of the amount to be invested in them and the benefit likely to accrue from them ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : Only one Irrigation scheme of Madhya Pradesh of Third Plan, is at present pending sanction. The estimated cost and benefits from this scheme are given below :—

Name of Scheme	Estimated cost (Rs. in lakhs)	Benefits.
1. Harsi development (Sindha diversion)	452.00	59:000 acres.

No Power scheme of Third Plan is pending sanction,

वर्सटड ऊनी धागे पर उत्पादन कर की चोरी

4030. श्री रवि राय :
श्री मधु लिमये :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वर्सटड ऊनी धागे पर उत्पादन कर की चोरी की ओर दिलाया गया है जिसका उल्लेख एक आर्थिक विषयों के साप्ताहिक पत्र (कामर्स 27 मई, 1967) में किया गया था;

(ख) यदि हां, तो वर्सटड ऊनी धागे के कुल उत्पादन के आधार पर उत्पादन कर की कुल कितनी चोरी होने का अनुमान लगाया गया है, इस धागे में विभिन्न काऊंटों का कितना अनुपात है तथा वर्ष 1964-65 और 1965-66 में इन काऊंटों पर सही-सही कितना उत्पादन शुल्क लगाया गया था;

(ग) क्या सरकार ने चोरी होने के दो सम्भव आधारों, अर्थात् कारखाने से चोरी छिपे धागे को बाहर भेजना तथा उत्पादन शुल्क अधिकारियों की सांठगांठ से ऐसे वर्सटड धागे को जिस पर अधिक शुल्क लगता है, पास कर देना, पर विचार कर लिया है; और

(घ) क्या इस मामले में जांच का आदेश दिया गया है और सम्बन्धित निर्माताओं और उत्पादन शुल्क कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) सरकार के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि उत्पादन शुल्क की चोरी हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

ऊन निर्माताओं द्वारा उत्पादन शुल्क का अपवंचन

4031. श्री रवि० राय :
श्री मधु लिमये :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ऊन निर्माताओं द्वारा किये जा रहे उत्पादन शुल्क के अपवंचन की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने ऊन कातने के स्थान की बजाय ऊन साफ करने के स्थान पर ही उत्पादन शुल्क वसूल करने की व्यवहार्यता का विचार किया है; और

(ग) क्या ऐसा परिवर्तन करने से प्रशासनिक व्यय कम हो जायेगा, क्योंकि ऊन साफ करने के कारखाने कम हैं और ऐसा करने से कर्मचारियों की संख्या भी कम हो जाएगी तथा इससे सरकारी उत्पादन शुल्क वसूल करने के उपाय भी कड़े हो जायेंगे ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां । वर्स्टिड के ऊनी धागे के निर्माताओं द्वारा उत्पादन शुल्क की कथित चोरी की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यदि ऐसा परिवर्तन लागू भी किया जाये तब भी प्रशासनिक व्यय में विशेष कमी न होगी क्योंकि अन्य प्रकार के ऊनी धागों और ऊनी वस्त्रों पर उत्पादन शुल्क इकट्ठा करने के लिये कर्मचारी रखने ही होंगे, और अतिरेक कर्मचारियों को ऊन साफ करने के कारखानों में प्रतिनियुक्त करना होगा ।

राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के प्रधान की सेवा अवधि

4032. श्री जेना : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का प्रधान अधिक से अधिक कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है. कितनी बार रह सकता है तथा प्रत्येक बार कितने समय तक रह सकता है;

(ख) उड़ीसा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन कब किया था तथा वर्तमान प्रधान को कितनी बार प्रधान रहने की अनुमति दी गई;

(ग) क्या उन्हें उड़ीसा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड में सरकारी धन के गबन के बारे में 1962 के मुकदमा संख्या जी० आर० 515 तथा जी० आर० 515 ए पर दिये गये निर्णय तथा बोर्ड के प्रधान और खजांची के विरुद्ध न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी का पता है; और

(घ) इस मामले में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) इस विषय पर मसौदा नियमों के अनुसार एक ही व्यक्ति दो-दो वर्षों की दो अवधियों से अधिक राज्य समाज-कल्याण सलाहकार बोर्ड के प्रधान का पद ग्रहण नहीं कर सकता । अपवादात्मक मामलों में दो वर्षों की एक और अवधि दी जा सकती है ।

(ख) उड़ीसा राज्य बोर्ड का पिछली बार दिसम्बर, 1966 में पुनर्गठन किया गया था और उसकी वर्तमान अध्यक्षा अब तीसरी अवधि के लिये अपना पद सम्भाले हुए है ।

(ग) हां ।

(घ) इन दोनों अभियुक्तों ने अपीलें की हैं और यह मामला न्यायाधीन है । इस बीच केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने राज्य सरकार का ध्यान निर्णय में की गई टिप्पणी की ओर आकर्षित किया है ।

एपैटाइट अयस्क परिष्करण संयन्त्र

4033. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीधरण :
श्री क० मि० मधुकर :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फास्फेट वाले खाद की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार एपेटाइट अयस्क परिष्करण संयन्त्र स्थापित करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो परिष्कृत अयस्क पर प्रति टन कितनी लागत आयेगी; और

(ग) लाभप्रद आकार के संयन्त्र पर पूंजी व्यय कितना होगा ?

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सरकार के पास यह सूचना आसानी से उपलब्ध नहीं है ।

औद्योगिक करार

4034. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में (एक) भारत के सरकारी क्षेत्र तथा गैर–सरकारी क्षेत्र के बीच (दो) भारत के सरकारी क्षेत्र तथा विदेशों की सरकारों के बीच और (तीन) भारत के सरकारी क्षेत्र तथा विदेशों के गैर–सरकारी क्षेत्र के बीच कितने औद्योगिक करार किये गये हैं; और

(ख) कुल कितने सहयोग के करार किये गये तथा सरकारी क्षेत्र तथा विदेशों के गर–सरकारी क्षेत्रों के बीच हुए करारो में कुल कितनी पूंजी लगाने की व्यवस्था है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) मांगी गयी सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे, जितनी जल्दी हो सकेगा, सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

दक्षिण दिल्ली में गन्दे पानी की सप्लाई

4035. श्री आत्म दास : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण दिल्ली को गन्दा पानी सप्लाई किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो जनता को इस पानी के प्रयोग से होने वाले रोगों से बचाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस ग्रीष्मकाल में दिल्ली को सतलज नदी से पानी की सप्लाई की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो दक्षिण दिल्ली को गन्दे जल की सप्लाई करने तथा उसे अन्य क्षेत्रों के समान नदी से जल की सप्लाई न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दिल्ली को हरयाणा सरकार की पश्चिमी यमुना नहर के इन्द्री और मुनक एस्केपों से पानी मिल रहा है। हरयाणा सरकार ने इस नहर को भांखड़ा नांगल नहरों से जोड़कर इसमें पानी की मात्रा बढ़ा दी है। भाखड़ा की नहरों में पानी सतलज से आता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पोप के साथ स्वास्थ्य मंत्री की भेंट

4036. श्री स्वैल : क्या स्वास्थ्य मन्त्री तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 मई, 1967 को उनकी धर्मगुरू पोप के साथ हुई बातचीत के बाद भारतीय दूतावास द्वारा जारी की गई रिपोर्ट का खण्डन वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में वास्तविक स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) वैटिकन प्रेस कार्यालय ने कोई खण्डन नहीं किया, लेकिन हिज़ होलीनेस पोप और केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मन्त्री के परस्पर वार्तालाप में प्रयोग किये गए कुछ शब्दों के सम्बन्ध में केवल स्पष्टीकरण किया गया था।

गृह निर्माण ऋण

4037. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भगवान दास :
श्री चक्रपाणि :
श्री नायनार :
श्री कं० हाल्दर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में 'अपना घर बनाओ' योजना के अन्तर्गत (जोनवार) कितने गृह-निर्माण ऋण दिये गये;

(ख) इनमें से कितने ऋण क्रमशः 2,000 रुपये, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये तथा 75,000 रुपये से अधिक राशि के नहीं हैं; और

(ग) इनमें, पश्चिमी बंगाल को कितने ऋण दिये गये ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जीवन बीमा निगम की 'अपना घर बनाओ' योजना 1-1-1964 से चालू हुई थी। 1-1-1964 से 30-4-1967 के बीच ऋणों के लिए स्वीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या और उन पर मंजूर की गई राशि इस प्रकार है: —

खण्ड	ऋणों के लिये स्वीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या	मंजूर किये गये ऋणों की राशि (लाख रुपयों में)
उत्तरी	1251	3,80
दक्षिणी	1095	2,85
केन्द्रीय	394	95
पूर्वी	305	94
पश्चिमी	282	87
कुल	3327	9,41

(ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) 153 आवेदन-पत्रों पर 54 लाख रु०।

सोन बांध

4038. श्री गा० शं० मिश्र : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोन-बांध बनाने का काम बिड़ला की किसी फर्म को सौंपा गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त फर्म इस काम को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं कर सकी है;

(ग) यदि हां, तो इस फर्म ने विलम्ब के क्या कारण बताये हैं; और

(घ) इस काम को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी नहीं। तथापि, बांध के द्वारों और पुलों का ठेका मैसर्स टेक्स्टाइल मशीनरी कारपोरेशन, कलकत्ता को दिया गया था।

(ख) जी, हां, इसे निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सका।

(ग) कच्चे माल और आयात लाइसेंसों का समय पर उपलब्ध न होना।

(घ) द्वारों के अधिष्ठान आदि का कार्य पूरा हो चुका है। बिजली के उपकरणों का शेष कार्य शीघ्र पूरा होने की सम्भावना है।

विद्युत सहकारी समितियां

4039. श्री गा० शं० मिश्र : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री 25 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 463 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 राज्यों में, विद्युत् सहकारी समितियों की योजनाओं का ब्यौरा अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना की क्रियान्विति के लिए राज्य किस आधार पर चुने गये ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) प्रस्ताव यह है कि महाराष्ट्र, मैसूर, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात, प्रत्येक राज्य में एक एक अग्रिम ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति स्थापित करने की सम्भावना की जांच की जाये।

(ग) राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा प्रतिनियुक्त विशेषज्ञों की सहायता से विभिन्न राज्यों को सर्वेक्षण आरम्भ किया गया था। प्रारम्भिक सर्वेक्षण के आधार पर विस्तृत अध्ययन के लिए 5 राज्यों को चुना गया था। यदि कार्यक्रम सफल रहा तो अन्य राज्यों में भी इसको लागू किया जायेगा।

Dam on River Ganga

4040. Shri Maharaj Singh Bharati: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 466 on the 25th May, 1967 and state :

(a) the areas in which survey is being conducted by the Uttar Pradesh Government to determine the sites for the construction of dams on the river Ganga and its tributaries and the areas in which survey has been completed and the results thereof; and

(b) whether the Survey Department of the Central Government is in any way assisting in the above survey ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b) Survey and investigations are in progress for Tehri, Koteshwar-Shivpuri, Vishnu Prayag, Pancheswar, Kishau, Sarju, sites. These are not yet completed. Assistance of Survey Department will be taken when required for surveys of the reserviors.

Ram Ganga Project

4041. Shri Maharaj Singh Bharati: Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 467 on the 25th June, 1967 and state :

(a) the details of the initial estimated cost of Rs. 39·83 crores on the dam, tunnels, colony etc. of Ramganga Project, separatety;

(b) the details of the revised estimated cost of Rs. 92·41 crores, item-wise, and the reasons on account of which the expenditure increased by two and a half times;

(c) whether the labour strike has since ended; and

(d) if so, how it was settled ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b) A statement is attached. **[Pleased in Library, See No. LT-849/67]**

(c) According to the information available nearly 50% of the workers have since resumed their work.

(d) Some of the their demands have been accepted by the Project authorities.

Water from Ganga and Yamuna Rivers

4042. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 465 on the 25th May, 1967 and state :

(a) whether the water of Ganga Canal in Meerut is discharged finally into Agra Canal in Okhla by carrying it through Jadni Escape to Hindon river in Ghaziabad and then through the canal to Yamuna river and if so, the quantity of water of Ganga Canal in cusecs which is discharged into Agra Canal and the quantity supplied to Haryana and Rajasthan therefrom; and

(b) whether it is also a fact that for the whole year except for a few months of rainy season, the entire quantity of water which is supplied to Haryana and Rajasthan from Agra Canal, is obtained from Ganga Canal ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Whenever required by U. P. authorities, some quantity of water is let into the Yamuna river from the Ganga Canal via Jani Escape, the Hindon river and the Hindon cut. The quantity of water varies from time to time depending upon the demand for irrigation in U. P. areas.

(b) No.

मध्य प्रदेश में कुष्ठरोग निवारण केन्द्र

4043. श्री भोगेन्द्र झा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कुष्ठ रोग निवारण कार्य के निदेशक जब कुछ समय पूर्व मध्य प्रदेश में दुर्ग स्थित विसर्जन आश्रम के कुष्ठरोग निवारण केन्द्र का निरीक्षण करने गये थे, तब धाम्बरी और शांतिपुर में काम करने वाले एक अमरीकी मिशन ने इस केन्द्र को बन्द करने की मांग की थी ;

(ख) क्या अमरीकी मिशनरियों के कहने पर आश्रम को कुष्ठरोग निवारण कार्य बन्द करने का आदेश दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का तथा आश्रम को पहले की तरह काम करते रहने की अनुमति देने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जब तक अमरीकी मिशन तथा आश्रम के बीच कार्यक्षेत्र का निर्णय नहीं हो जाता, आश्रम केवल उन्हीं रोगियों का उपचार करता है जो कि अंदा में उसके द्वारा चलाये जाने वाले क्लीनिक में आते हैं । इस विषय पर आगे विचार किया जा रहा है ।

उड़ीसा में गन्दी बस्तियों को हटाने सबन्धी परियोजनायें

4044. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना में उड़ीसा में गन्दी बस्तियों को हटाने की कितनी परियोजनायें आरम्भ की गई थीं;

(ख) कौन-कौन सी तथा कितनी योजनायें क्रियान्वित की गई हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं;

(ग) केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई है; और

(घ) वर्ष 1966-67 और 1967-68 में उड़ीसा में गन्दी बस्तियों को हटाने की कितनी योजनायें थीं और वे कहां-कहां पर थीं तथा उनमें योजनावार कितने व्यय होने का अनुमान था ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) तीसरी योजना की अवधि में गन्दी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार ने निम्नांकित स्थानों पर 721 टैनमैंट बनाने शुरू किये :—

1. अंगुल
2. भुवनेश्वर
3. बरहामपुर
4. बालासोर
5. माद्रखा
6. भवानीपटना
7. बाड़ीगाड़ा
8. बुड़ला
9. कटक
10. धेंकनाल
11. जजपुर रोड
12. जैपुर
13. बोलांगिरि
14. बारगढ़
15. खुर्दा
16. कोरापुट
17. पुरी
18. पारलखिमैंदी
19. राउरकेला
20. साम्बलपुर
21. तालचेड़
22. झारसुगुड़ा

(ग) 15.92 लाख रुपये ।

(घ) 1967-68—11·52 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर निम्नांकित स्थानों पर 240 टैनमैंट :—

क्रम संख्या	स्थान का नाम	टेनमेन्टों की संख्या	अनुमानित लागत (रुपये)
1.	अंगुल	12	53,400
2.	बुड़ल	12	70,200
3.	भद्रक	12	53,400
4.	बयागाड़ा	12	53,400
5.	भंजनगढ़	12	53,400
6.	देवगढ़	12	53,400
7.	हीराकुद	24	1,40,400
8.	खुर्दा	12	53,400
9.	कविसूर्यनागढ़	12	53,400
10.	कन्द्रापाड़ा	12	53,400
11.	नयागार	12	53,400
12.	पटनागढ़	12	53,400
13.	पद्मपुर	12	53,400
14.	राजगंगापुर	12	53,400
15.	सुन्दरगढ़	12	53,400
16.	साम्बलपुर	24	1,40,400
17.	सोनपुर	12	53,400
18.	तितलीगढ़	12	53,400
	जोड़:—	240	11,52,000

1967-68—उड़ीसा सरकार ने अभी प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

1966-67 के लिये उड़ीसा की योजना

4045. श्री रवि राय : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के अधिकारियों के एक दल का भुवनेश्वर में उड़ीसा सरकार के अधिकारियों के साथ उस राज्य की वर्ष 1967-68 की वार्षिक योजना के परिव्यय के बारे में विचार विमर्श पूर्ण हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) 22 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3338 के उत्तर की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। कार्यक्रम सलाहकार द्वारा सिफारिश किये गये 46 करोड़ रु० के

अस्थायी परिव्यय के विकास शीर्षकों को बताने वाला एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 850/67]

Income Tax arrears due from Shri Haridass Mundhra

4046. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Income-tax amounting to more than Rs. 3 crores is still due from Shri Haridas Mundhra;

(b) if so, the years to which this amount relates and the reasons for not realising it so far; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes Sir. An amount of Rs. 3.12 crores is still due.

(b) and (c) The outstanding demand relates to the Assessment Years 1941-42 to 19-2-63. All possible steps provided in the Act, including issue of recovery certificates and attachment of all known assets have been taken to recover the arrear demand. The recovery has not been possible for the following reasons:-

(i) Most of the assets attached are already encumbered and pledged with the Banks to whom he is heavily indebted.

(ii) Attachment of several assets has been challenged in various courts.

(iii) The bank accounts of Shri Mundhra show huge debit balances and there are no liquid assets.

The suits pending in the courts are being contested by the Government and every effort is being made to realise the arrears expeditiously.

Air-Conditioners and Khas Khas Tatties in Government Offices

4047. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the amount spent annually on providing airconditioning equipment and khas khas tatties in Government offices in Delhi; and

(b) whether Government propose to adopt any new cooling system with a view to reducing expenditure on these items ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) The information is being collected and the same will be placed on the Table of the Sabha.

मनीपुर में स्वर्णकार

4048. **श्री मेघचन्द्र :** क्या वित्त मन्त्री 6 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 639 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के स्वर्णकारों को सहायता देने के लिये मार्च, 1967 तक कितनी राशि मंजूर की गई;

(ख) अब तक कितने स्वर्णकारों को सहायता दी गई है; और

(ग) क्या सहायता दी गई है और प्रति व्यक्ति कितनी सहायता दी गई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क)	1963–64	कुछ नहीं
	1964–65	कुछ नहीं
	1965–66	2.00 लाख (1966–67 में उपयोग किये जाने के लिये पुन: मंजूर किया गया ।
	1966–67	कुछ नहीं

(ख) 161

(ग) किसी सुनार को दिये गये ऋण को वास्तविक धन राशि प्रत्येक मामले के गुणावगुण पर निर्भर करती है । उद्देश्य यह है कि विस्थापित सुनार अपने लिये किसी वैकल्पिक धन्धे की व्यवस्था कर सके । ऋणों के अलावा विस्थापित सुनारों के लिये सरकार की पुनर्वास योजनाओं में यह व्यवस्था की है : रोजगार दफ्तरों के माध्यम से रोजगार की व्यवस्था करना, खेती का काम करने के लिये भूमि का आवंटन तथा सुनारों के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति के रूप में शिक्षा सहायता तथा तकनीकी प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था ।

Illegal Abortions in Family Planning and Maternity Centres

4049. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Dr. Surya Prakash Puri :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that illegal abortions are being carried on in the Family Planning Centres and Maternity Centres at some places in the country;

(b) whether Government have received some complaints in this regard;

(c) if so, whether Government have ascertained the number of such cases; and

(d) if so, the details thereof and the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) No such report has been received by Government.

(b) No.

(c) and (d) Do not arise.

ट्राम्बे उर्वरक कारखाने को क्षति

4050. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री रवि राय :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे कारखाने में स्थायी रूप से लगाई गई किन्हीं मशीनों अथवा चल मशीनों को कोई क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो कौनसी मशीनें क्षतिग्रस्त हुई हैं; उनकी मरम्मत पर लगभग कितना खर्च आयेगा और यह क्षति किस कारण पहुंची है; और

(ग) इस क्षति के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) और (ख) नवम्बर, 1965 में जब कारखाना शुरू हुआ, तभी से कार्य के दौरान में संयन्त्र और मशीनरी में कई बार रूकावटें एवं नुकसान हुये; किन्तु ये एक जटिल रसायन संयन्त्र के लिये सामान्य हैं। कब कब ये घटनाएं पेश आई, उनके कारण तथा उनकी मरम्मत के खर्च आदि से सम्बन्धित सूचना आसानी से उपलब्ध नहीं है।

(ग) भारतीय उर्वरक निगम ने उपर्युक्त टूट-फूट एवं क्षति के लिए किसी के विरूद्ध कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा है।

Excise duty on Shoes

4051. Shri Yajna Datt Sharma : Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that excise duty imposed on shoes in 1967-68 General Budget is also being charged on such stock as was manufactured before the presentation of the Budget;

(b) if so, whether Government have seized such stocks at Amritsar and excise duty is being levied on them; and

(c) whether under Law, Government are entitled to levy duty on stocks manufactured before the presentation of General Budget ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir, if such stock is cleared from the factory on or after 26-5-1967.

(b) Yes, Sir, stocks which were cleared from the factory without authority after the presentation of the budget have been seized at Amritsar. The case is under investigation.

(c) Yes, Sir, excise duty in this case, on the stocks manufactured before the presentation of budget can be collected if they are cleared from the factory on or after 26-5-1967.

पेंशन पाने वाले व्यक्ति

4052. **श्री नीति राज सिंह चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र से कितने व्यक्ति पेंशन प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) सेवा निवृत्त होने के बाद कोई व्यक्ति औसतन कितने समय तक पेंशन लेता है;

(ग) पेंशन के मामले तैयार करने में औसतन कितना समय लगता है;

(घ) क्या देश में कीमतों के बढ़ जाने के कारण केन्द्र ने पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पेंशन की राशि अथवा महंगाई भत्ते में समय-समय पर वृद्धि की है;

(ङ) यदि हां, तो कितनी और किस तारीख से;

(च) क्या पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के महंगाई भत्ते में उतनी ही वृद्धि की गई है, जितनी कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 31 दिसम्बर, 1966 को (रेलवे को छोड़कर) केन्द्र से पेंशन पाने वाले व्यक्तियों की संख्या 6,08,778 थी।

(ख) वास्तविक औसतों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। राशिकरण सारणी के आधार पर 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत होने पर एक व्यक्ति के पेंशन प्राप्त करने की औसत अवधि 10.62 वर्ष है।

(ग) ऐसी हिदायते हैं कि किसी कर्मचारी के सेवा-निवृत होने से 12 से लेकर 18 महीने पहिले पेंशन निश्चित करने के लिये कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जानी चाहिये। इस अवधि में पेंशन के मामले करीब करीब निबटा दिये जाते हैं।

(घ) और (ङ) 200 रुपये प्रति मास तक पेंशन पाने वाले पेंशनरों को 1 अक्तूबर, 1963 से पेंशन में 5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक प्रति मास तक तदर्थ वृद्धियां की गई। ये वृद्धियां 1958 में दी गई उन अस्थायी वृद्धियों के अलावा थीं जो 100 रुपये प्रति मास तक वाली पेंशनों के मामलों में 10 रुपये से लेकर 12.50 रुपये तक थीं।

(च) और (छ) जी, नहीं। सरकारी कर्मचारियों की, जो इस समय सेवा में हैं, स्थिति पैंशनरों से भिन्न है। पेंशनर, सिद्धान्त रूप में, उन रियायतों के अधिकारी नहीं हैं जो कि सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं।

सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद

4053. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होशंगाबाद के सिक्योरिटी पेपर मिल में अब तक कुल कितनी पूंजी लग चुकी है; और

(ख) इसको पूरा करने के लिये और कितनी पूंजी लगाने का विचार है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) इस प्रायोजना में लगभग 12 करोड़ रुपये की पूंजी लगेगी जिसमें से 8.08 करोड़ रुपये की रकम मार्च, 1967 के अन्त तक खातों में दर्ज की जा चुकी है।

टोंस नदी पर जलाशय बांध

4054. **श्री राम किशन** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाना, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने यमुना नदी की सहायक नदी टोंस पर एक जलाशय बांध बनाने के निमित्त वित्तीय सहायता देने के लिये केन्द्रीय सरकार से कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) टोंस नदी पर किशाऊ बांध परियोजना का परियोजना प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस परियोजना के योजना में शामिल हो जाने तथा कार्यान्विति के लिये मंजूरी मिल जाने के बाद ही परियोजना के लिये वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने का प्रश्न उत्पन्न होगा ।

Complaints against Officers of Government of India Press, Aligarh

4055. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Avtar Sharma :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2815 on the 1st December, 1966 and state :

(a) whether investigation into the complaints against the former Officers of Government of India Press, Aligarh have been complted;

(b) if so, the results thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) Yes.

(b) and (c) The reports of investigation are under examination in consultation with the Central Vigilance Commission wherever necessary. Examination of a few reports has been completed and necessary action taken wherever required.

Government of India Press, Aligarh

4056. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Works, Housing** and **Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that those employees of the Government of India Press. Aligarh, who have put in a number of years of service, have not still been made permanent;

(b) whether it is also a fact that junior employees have been made permanent but senior employees are still temporary;

(c) if so, whether Government have issued an order for taking some action in this connection; and

if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) Confirmations are made according to seniority and fitness subject to availability of vacant permanent posts.

(b) Senior employees are left out for confirmation only when found unfit. Their cases are reviewed as and when further vacancies are available.

(c) Yes.

(d) Does not arise.

Fertilizer Plants

4057. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the number of fertilizer plants functioning in India;

(b) the names of the countries with whose collaboration these plants have been set up; and

(c) the amount being spent on the functioning of these plants annually ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) :

(a) (i) Nitrogenous fertiliser plants	8
(ii) Superphosphate plants	26

(b) It is presumed that in referring to collaboration the Hon'ble Member has in mind participation in equity. In this context, the answer is that there has been no collaboration in any of these cases.

(c) The information is being collected and will be laid on the table of the House in due course.

अन्दमान के पदाधिकारियों के लए मकान

4059. श्री प्र० सिं० सहगल : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान प्रशासन के अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों के के पास रहने के लिये बड़े मकान हैं;

(ख) 700 रुपये से 1300 रुपये तक वेतन पाने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी है तथा प्रत्येक अधिकारी को मिले हुए मकान का न्याधार क्षेत्रफल और महाता क्षेत्रफल पृथक-पृथक कितना है;

(ग) 1300 रुपये से 2250 रुपये तक वेतन पाने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी है तथा प्रत्येक अधिकारी को मिले हुए मकान न्याधार क्षेत्रफल और अहाता क्षेत्रफल पृथक-पृथक कितना है;

(घ) क्या इन अधिकारियों को उनके मंत्रालय के दिनांक 29 मई, 1963 के पत्र संख्या 6/25/60-डब्ल्यू–1 में दी गई हिदायतों के अनुसार मकान दिये गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) (क) जी हां।

(ख) और (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 851/67]**

(घ) 700–2250 रु० की वेतन श्रेणी में आने वाले 38 अधिकारियों में से 22 अधिकारी जितने के वे पात्र हैं उससे बड़े बंगलों में रह रहे हैं, 4 अपनी पात्रता से कमी के वास में रह रहे हैं तथा 12 अपनी पात्रता के अनुकूल वास में रह रहे हैं।

(ङ) अन्दमान में अधिकांश रिहायशी वास युद्ध-पूर्व अवधि में बनाया गया था तथा उसका कुर्सी क्षेत्रफल 1947 के पश्चात् समय-समय पर भारत सरकार के द्वारा निर्धारित कुर्सी क्षेत्रफल से कहीं अधिक है। सभी मकान लकड़ी की दीवारों तथा लकड़ी के लठ्ठों से बनाये गये हैं तथा कमरे इस प्रकार बनाये गये हैं कि इन मकानों को दो अथवा तीन स्वतंत्र फ्लेटों में परिवर्तित करना संभव नहीं। और फिर, ये मकान पुराने हैं, अतएव इनमें बड़े पैमाने पर संवर्धन। परिवर्तन करना मितव्ययी नहीं। विभिन्न टाईप के वास के अहाते के क्षेत्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

अन्दमान लोक निर्माण विभाग के मुख्य इन्जीनियर के कब्जे में मकान

4060. श्री अ० सिं० सहगल : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान लोक निर्माण विभाग के मुख्य इन्जीनियर ने अपने मकान के प्राप्य किराये की राशि को घटाने के लिये अपनी नई बनी रिहायशी इमारत का पुनर्मूल्यांकन करवाया है ;

(ख) यदि हां तो पुनर्मूल्यांकन से पहले इस इमारत की वार्षिक प्राप्य किराये की राशि कितनी थी और अब कितनी तय की गई है; और

(ग) इसका पुनर्मूल्यांकन किये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) अन्दमान लोक निर्माण विभाग के मुख्य इन्जीनियर के लिये कोई नया रिहायशी भवन नहीं बनाया गया है। जिम

मकान में वे रह रहे हैं वह 1959 से मुख्य इन्जीनियर का निवास-स्थान है। उसके किराये को कम करने के उद्देश्य से उस भवन का पुनर्मूल्यांकन करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्दमान द्वीप समूह के मुख्य आयुक्त का निवास-स्थान

4061. श्री अ० सिं० सहगल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान द्वीप समूह के भूतपूर्व मुख्य आयुक्त ने ऊंची दर पर आयकर देने से बचने के हेतु किराये की रकम कम कराने के लिए गवर्नमेंट हाउस का अन्दमान लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनर्मूल्यांकन कराया था;

(ख) यदि हां, तो पुनर्मूल्यांकन से पहले किराया-मूल्य कितना था तथा बाद में कितना हो गया था;

(ग) पुनर्मूल्यांकन के बाद सरकार को आयकर की कितनी राशि का नुकसान हुआ;

(घ) कितनी इमारतों का पुनर्मूल्यांकन किया गया और उमसे आयकर की कितनी राशि का नुकसान हुआ; और

(ङ) इस सरकार का विचार इस मामले में जांच करने तथा आयकर के अपवंचन करने तथा सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने का है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। अन्दमान स्थित गवर्नमेन्ट हाउस का जो कि युद्ध से पहिले बना था, लोक निर्माण विभाग के नियमों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया गया था जिनके अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि पूंजीगत लागत का प्रत्येक पांच वर्ष के बाद पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। किराया मूल्य पूंजीगत लागत के अनुसार पुनः निश्चित किया गया था।

(ख) किराया मूल्य मूल्यांकन से पहिले 132·90 रुपये था और पुनर्मूल्यांकन के बाद 143·50 रुपये था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) अन्दमान स्थित उन सरकारी इमारतों की कुल संख्या की जानकारी, जिनका 1965 में पुनर्मूल्यांकन किया गया था, सरकार के पास इस समय उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी एकत्र की जायेगी और यथा सम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी। पुनर्मूल्यांकन के कारण होने वाली आयकर की हानि का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि पुनर्मूल्यांकन से केवल सही किराया मूल्य ही निश्चित किया जाता है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये मकान

4062. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री गा० शं० मिश्र :

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर मकान बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

"इस वर्ष कोई बालक न हो" नारे के बारे में लोगों का दृष्टिकोण

4063. श्री स्वैल : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके 'इस वर्ष कोई बालक न हो' नारे के प्रति लोगों ने कोई उत्साहवर्द्धक दृष्टिकोण दिखाया है;

(ख) उन्होंने इस नारे को कार्यरूप देने के लिये क्या-क्या उपाय किये हैं; और

(ग) क्या उनका विचार परिवार समिति करने के लिये कोई विधान लाने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) 'इस वर्ष कोई बालक न हो' नारे का मुख्य तात्पर्य परिवार नियोजन की आवश्यकता की ओर जनता की दिलचस्पी बढ़ाना तथा ध्यान को केन्द्रित करना था ।

(ख) नारे का काफी प्रचार किया गया है । नारे को प्रभावशाली बनाने के लिए लूप पहनाने की सुविधाओं तथा प्रचलित गर्भरोधकों के मुफ्त वितरण के रूप में व्यवहारिक सेवायें पहले से ही प्रदान की जा रही हैं ।

(ग) अभी नहीं ।

अनिवार्य वेसेक्टोमी अथवा ट्यूबेक्टोमी

4064. श्री यशपाल सिंह : **श्री रवि राय** :
श्री राम गोपाल शालवाले : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने सभी नागरिकों के लिये चाहे वे किसी भी जाति अथवा धर्म के हों, वैसेक्टोमी, अथवा ट्यूबेक्टोमी आपरेशन करना अनिवार्य करने के लिए तुरन्त कानूनी अथवा सांवैधानिक कार्यवाही करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) यह मामला विचाराधीन है ।

अफीम की तस्करी में भूतपूर्व पुलिस कर्मचारी का शामिल होना

4065. श्री बाबूराव पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंदसोर जिले में रत्नगढ़ के एक भूतपूर्व पुलिस कर्मचारी श्री लालता प्रसाद ने अफीम को चोरी-छिपे लाकर उसे बेच कर अत्यधिक धन इकट्ठा किया ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कर लगाने के प्रयोजन से उसके मामले की जांच की है तथा गत पांच वर्षों में अब तक उस से कितना कर लिया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने स्वापक पदार्थों को चोरी-छिपे लाने के अपराध के सिलसिले में और जांच भी की है;

(घ) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) यह कहा जाता है कि श्री लालता प्रसाद के पास कुछ धन है। इस बात की जांच की जा रही है कि उसके पास वस्तुतः कितना धन है और यह किस जरिये से आया है।

(ख) जांच चल रही है। उससे कोई कर वसूल नहीं किया गया है, क्योंकि कर-निर्धारण का काम पूरा नहीं हुआ है।

(ग) जी, हां।

(घ) जांच चल रही है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृत्रिम गर्भाधान

4066. श्री शिवचन्द्र झा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कृत्रिम गर्भाधान सम्बन्धी परीक्षणों पर बहुत धन खर्च कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो परिवार नियोजन अभियान के संदर्भ में इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा॰ श्री॰ चन्द्रशेखर) : (क) मनुष्यों में कृत्रिम गर्भाधान के लिए धन खर्च नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नामरुप उर्वरक कारखाना

4067. श्री वि॰ ना॰ शास्त्री : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नामरूप उर्वरक कारखाने में कब उत्पादन आरम्भ होने लगेगा :

(ख) इस कारखाने की अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी : और

(ग) समस्त परियोजना पर अब तक कितना धन खर्च किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघु रमैया) : (क) नवम्बर/दिसम्बर 1967 तक।

(ख) अमोनियम सल्फेट	1,00,320 मीटरी टन
यूरिया	55,110 ,, ,,.

(ग) 31 मार्च, 1967 के अन्त तक 1751.50 लाख रुपये अस्थायी व्यय हुआ है।

आसाम की कम्पनियों द्वारा करों का भुगतान

4068. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि कुछ ऐसी व्यापारिक कम्पनियां जिनका मुख्यालय आसाम के बाहर है, आसाम में व्यापार करने तथा मुनाफा कमाने पर लगने वाला आयकर तथा अन्य कर मुख्यालय में देती है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कर का कुछ अंश आसाम राज्य को देने का है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां, आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर-निर्धारण का काम उस आयकर अधिकारी द्वारा किया जाता है जिसका कर दाता के मुख्य व्यापार स्थान पर क्षेत्राधिकार हो। यदि किसी राज्य में रहने वाले किसी कर दाता का मुख्यालय अथवा मुख्य व्यापार स्थान किसी दूसरे राज्य में हो, तो उससे कर उस राज्य के आयकर अधिकारी द्वारा लिया जाता है जिसमें उसका मुख्य व्यापार स्थान है और वह कर भी उसी राज्य में देता है। यह विशेष बात आसाम के लिये कोई नई बात नहीं है।

(ख) और (ग) व्यापारिक फर्मों द्वारा जो कि कम्पनियां हैं, दिये जाने वाले आयकर में कारपोरेशन कर निहित है, जिसमें राज्यों का कोई हिस्सा नहीं होता। व्यापारिक फर्मों द्वारा जो कि कम्पनियां नहीं हैं, दिया जाने वाला आयकर भाज्य पूल का एक अंग हैं जिसमें राज्यों का हिस्सा होता है। प्रत्येक राज्य का अंश वित्त आयोग की सिफारिश पर निश्चित किया जाता हैं। आसाम का वर्तमान अंश चौथे वित्त आयोग द्वारा निश्चित किया गया था, जिसने वितरण का यह सिद्धान्त अपनाया था कि जनसंख्या के आधार पर 80 प्रतिशत और वसूली के आधार पर 20 प्रतिशत। राज्य से बाहर वसूल किये जाने वाले आयकर का प्रभाव थोड़ा ही होगा और हर हालत में चौथे वित आयोग ने अपनी वितरण की योजना में इसका ध्यान रखा होगा।

अतः आसाम को और अधिक अंश देने का प्रश्न नहीं उठता।

भव्य फ्लैट

4069. श्री डी० चं० शर्मा : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ती मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार तथा विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यू एन सी टी ए डी) के जनवरी,1968 में होने वाले प्रस्तावित अधिवेशन के प्रतिनिधियों के लिये नई दिल्ली में करजन रोड़ पर पुराने कांस्टीट्यूशन हाउस की भूमि पर कुछ भव्य फ्लेट बनाये जा रहें है।

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को आरम्भ करने के क्या कारण हैं;

(ग) इस अधिवेशन को दिल्ली में बुलाने की क्या आवश्यकता थी जबकि वर्तमान होटलों में प्रतिनिधियों के लिये अपेक्षित निवासस्थान नहीं था; और

(घ) सरकारी धन के इस अपव्यय को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, अथवा करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ) दिल्ली में तैनात अथवा अस्थाई सरकारी तौर पर आये अधिकारियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, कांस्टीट्यूशन हाउस के स्थान पर सामान्य पूल में एक होस्टल बिल्डिंग बनाने की मंजूरी 1963 में सरकार ने दी थी। कार्य इसलिए शुरू नहीं किया जा सका, क्योंकि एक बार इस स्थान पर एक होटल बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। अन्त में यह निर्णय किया कि यू० एन० सी० टी० ए० डी० के सम्मेलन के लिए, समय पर स्थान उपलब्ध करने के लिए उच्च प्राथमिकता पर होस्टल बनाया जाये। स्थान सामान्य मानकों के अनुसार बनाया जा रहा है। यह नहीं कहा जा सकता कि इस कार्य में जनता के धन की बर्बादी है। इस होस्टल में यू० एन० सी० टी० ए० डी० सम्मेलन के जो डेलीगेट रहेंगे उन्हें जो कुछ विशेष सुविधायें दी जायेंगी उसके लिए उनसे अतिरिक्त प्रभार वसूल किया जायेगा।

यू० एन० सी० टी० ए० डी० सम्मेलन के लिए सरकार ने आतिथेय की सुविधायें देना इसलिए स्वीकार किया क्योंकि इस देश में ऐसे महान तथा महत्वपूर्ण सम्मेलन होने से बड़े लाभ की सम्भावना है। सम्मेलन के डेलीगेटों के लिए रिहायशी वास के निर्माण में जिसको कि सरकारी कर्मचारियों के लिए वैसे भी आवश्यकता है, शीघ्रता करना कोई व्यर्थता नहीं होगी।

पर्वती स्थानों में प्रतिकर भत्ता

4070. श्री हेमराज : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय स्थानों में प्रतिकर भत्ते के भुगतान के बारे में जांच पूरी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) और (ख) पहाड़ी क्षेत्र (प्रतिकारात्मक) भत्तों की वर्तमान योजना में रूप-भेद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चाय का मानक

4071. श्री हेमराज : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्था चाय बोर्ड के सहयोग से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत चाय का मानक निर्धारित करने के लिये कोई परीक्षण कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो परीक्षण का क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री : (डा० चन्द्रशेखर) (क) और (ख) चाय के मानक खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में पहले ही निर्धारित हैं। तथापि कांगड़ा चाय के लिए अलग मानक आवश्यक है या नहीं, यह देखने के लिए भारतीय मानक संस्था और चाय बोर्ड से परामर्श लेते हुये अध्ययन किये जा रहे हैं।

Shopping Facilities for Employees of Government of India Press, Aligarh

4072. Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Ram Autar Sharma :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Onkar Lal Berwa :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sanitation, electricity shopping and education facilities for children are lacking in the residential quarters constructed for the workers of the Government of India Press Aligarh ; and

(b) If so, the steps being taken by Government to remove these difficulties ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Honsing and Supply (Shri Iqbal Singh) (a) and (b) : Schools/colleges and shopping centre are available within a distance of one Kilometer of the Colony. These facilities are considered adequate. Street lights have been provided in the Colony. Domestic electricity is also being supplied to 250 out of 280 quarters in the Colony. The remaining 30 quarters are also expected to be supplied with electricity shortly. The difficulty is due to shortage of electric meters with the local Electric Supply Company. The quarters have been provided with water borne sanitary system and the sewrage system are also working quite satisfactorily.

आयकर-निर्धारण के अनिर्णीत मामले

4073. श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री स० कु० तापड़िया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों में आयकर निर्धारण सम्बन्धी मामलों की फाइलें बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी बढ़ी हैं;

(ग) क्या बढ़े हुए काम को निबटाने के लिये उसी अनुपात में आयकर अधिकारियों की संख्या बढ़ाई गई है; और

(घ) आयकर निर्धारण के अनिर्णीत मामलों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) जी, हां।

(ख) करदाताओं की संख्या पिछले दो वर्षों में 5,75,335 और अधिक बढ़ गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) (एक) कम्पनी के मामलों में और उच्चतर आय के मामलों में बकाया और वर्तमान कर–निर्धारण के मामलों को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 1969 को लक्ष्य तिथि निश्चित की गई है।

(दो) कम्पनी के मामले और उच्चत्तर आय के मामले अलग अलग कर दिये गये हैं और इन मामलों के निपटारे के लिए पृथक पृथक सर्किल बना दिये गये हैं।

(तीन) अल्प आय के मामलों में जांच में अधिक सख्ती न बरतने की हिदायतें पहिले ही विद्यमान हैं। बोर्ड ने हाल में पुनः इस बात पर बल दिया हैं कि अल्प आय के मामलों के निपटारे में उदार दृष्टिकोण अपनाने का आवश्यकता है। आयुक्तों को यह निदेश दिया गया है कि वे आयकर अधिकारियों को यह हिदायत दें कि वे अल्प आय के किन्हीं मामलों में, जिन्हें वे ठीक समझें, बिना जांच के भी आयकर के विवरणों को स्वीकार कर लें।

(चार) आय कर विभाग में कार्य के कार्यकारी वितरण की एक नई प्रणाली चालू की जा रही है। इसके अन्तर्गत इस समय 716 आयकर अधिकारी आयेंगे। इस योजना के अन्तर्गत कर–निर्धारण और उसकी वसूली के कार्य विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये जाते हैं, क्योंकि इससे केवल कर–निर्धारण का काम करने वाले आयकर अधिकारी अधिक काम निपटा सकेंगे।

Reduction in Customs Duty Receipts

4074. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether there has been some reduction in customs duty receipts after the introduction of the Gold Control Order ;

(b) if so, the yearly reduction therein ;

(c) whether it is also a fact that the prices of gold have risen one and a half times after the introduction of the said Order ; and

(d) if so, whether Government propose to sell gold through banks ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No Sir. In fact the general Customs duty receipts have been increasing every year. The question of increase or decrease of duty on gold itself does not really arise as there has been a prohibition on the import of gold now for several years.

(b) Does not arise.

(c) Soon after the introduction of Gold Control in January, 1963, the price, in fact showed a downward trend for some time. The price of gold today is undoubtedly more than what it was in January, 1963, but this can be ascribed to various factors such as operation of the forces of supply and demand and general rise of the price index alround.

(d) At present there is no proposal to sell gold through banks.

Goldsmiths

4075. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that after the passing of Gold Control Rules, means of livelihood of 2,00,000 goldsmiths have been adversely affected and a number of goldsmiths have committed suicide due to unemployment ;

(b) if so, the number of goldsmiths who have committed suicide so far and the number of goldsmiths who have so far been provided with employment ;

(c) whether Government propose to consider the question of giving the same treatment to goldsmithery as being meted out to other cottage industries ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) It was estimated that about 2,70,000 goldsmiths were affected as a result of the introdution of Gold Control in January, 1963 inasmuch as these goldsmiths could only manufacture 14 carat ornaments from old ornaments. As stated in reply to Starred Question No.280 answered in the Rajya Sabha on 28-8-1963,17 goldsmiths were reported to have committed suicide between 10th January, 1963. and 19th-August, 1963. In September, 1963, Defence of India (Ninth Amendment) Rules 1963 were notified. In consequence thereof 2.15.494 goldsmiths obtained certificates and were thus able to resume manufacture of new ornaments of like purity from old ornaments. After this concession it was unlikely that the operation of the Gold Control as such would have resulted in suieide or death of any goldsmith. Apart from this concession, 1,00,942 goldsmiths have sanctioned loans to settle in alternative occupations. 24,131 goldsmiths are reported to have been provided with alternative employment through employment exchanges, etc. In addition, affected goldsmiths and their children were also given assistance in educational and technical training facilities.

(c) No other proposal is under consideration.

(d) Does not arise.

Civil Hospitals in Delhi

4076. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state :

(a) whether it is fact that the number of Civil hosptitals in Delhi are inadequate to meet the requirements of Delhi ;

(b) if so, whether Government have any scheme to open additional hospitals ; and

(c) if so, the places where these hospitals will be opened and when ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) According to the information available there were about 800J beds in the various hospitals of the Union Territory of Delhi against the estimated requirement of 12,000 beds at the end of the Third Plan period to cater to the medical needs of the territory.

(b) The question of increasing the bed strength in the existing Government hospitals and opening of hospitals in the areas where no medical facilities are available is constantly under consideration of the Government.

(c) During the Fourth Five Year Plan it is proposed to add more beds as per details given below, subject to availability of funds:—

Safdarjang Hospital	395	
Willingdon Hospital	360	
Irwin Hospital	48	beds for burns ward.
G. B. Pant Hospital	200	
Lady Hardinge Medical College and Hospital	200	
Kalavati Saran Children's Hospital	42	Paediatric bed.
Isolation beds for T. B. at Narela and Kilokri	75	
Mental Hospital Shahdara	100	
Hindu Rao Hospital	200	
Township Hospitals (Kalkaji, Malviya Nagar & Moti Nagar)	50	
Patel Nagar Hospital	30	

It if also proposed to establish a 50J bedded hospital in West Delhi, a 200 bedded Hospital for Children in the Irwin Hospital and a 100 bedded hospital in Kishan Ganj area subject to availability of funds.

Purchase of Steel Furniture by Planning Commission

4077. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Planning commission had purchased steel furniture during 1965-66 and 1966-67 inspite of ample wooden furniture available with them ;

(b) if so, the total cost thereof and the items of furniture purchased ;

(c) the authority with whose permission this expenditure was incurred :

(d) whether it is alsoa fact that the Audit has raised objections to the expenditure ; and

(e) if so, the action taken thereon.

The Minister of Planning Petroleum and Chemicals and Socials Welfare (Shri Asoka Mehta) : (a) Adequate wooden furniture was not available to meet the requirments of additional staff. Hence, steel furniture was purchased during 1965-66 and 1966-67 in accordance with the instructions of the Ministry of Works & Housing.

The total cost of the furniture purchased during the 2 years amounted to Rs. 93, 756.15 P. A list of items of the furniture is laid on the Table of the House.**[Placed in Library, See No. L. T. 852/67]**

(c) The purchases were made from time to time with the permission of the authorities competent to sanction the expenditure involved.

(d) The Audit did not raise any objection to the purchase of steel furniture as such, but it drew attention to large expenditure on Contingencies in March, 1966 of which purchase of some furniture formed an item.

(e) The circumstances under which the expenditure was incurred were explained to Audit from whom no further comments have been received so far.

Compositors in Government Presses

4078. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of the grades of Compositors that exist in the Government of India Presses ;

(b) whether the post of highly skilled (Grade I) Compositors is filled up by promotion or by selection ; and

(c) the percentage of the posts out of them which are reserved for Scheduled Castes and Scheduld Tribe candidates ?

The Duputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : Two grades viz :

(i) Grade I

(ii) Grade II

(b) Posts in grade I are filled by promotion according to seniority subject to fitness.

(c) Orders for reservation of posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates are not applicable to promotions made on the basis of seniority.

मैसर्स अमीनचन्द प्यारेलाल सार्थ-संघ के आयकर सम्बन्धी दायित्व

4079. श्री रवि राय :
श्री मधु लिमये :

क्या वित्त मंत्री 3 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 417 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोक लेखा समिति द्वारा अपने पचासवें प्रतिवेदन में की गई इन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, कि सरकार द्वारा किये गये पक्षपात के फलस्वरूप इस्पात के निर्यात

आयात व्यापार में अमीनचन्द प्यारेलाल सार्थ–संघ के हिस्से में काफी वृद्धि हुई, क्या सरकार ने 1958–59 के पश्चात् के वर्षों में अमीनचन्द प्यारेलाल सार्थ-संघ के आयकर सम्बन्धी दायित्वों का कोई निर्धारण/पुर्नानिर्धारण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्पश्चात् प्रति वर्ष कितना आयकर निर्धारित किया गया ;

(ग) 1950–59 के वर्षों में निर्धारित तथा पुर्नानिर्धारित आयकर तथा किये गये जुर्माने में से कितनी राशि सरकार ने वसूल कर ली है;

(घ) क्या लोक लेखा समिति द्वारा अपने पचासवें प्रतिवेदन में उल्लिखित विभिन्न अन्य कम्पनियों और फर्मों के बारे में 1950 से लेकर आज तक की अवधि के लिये आयकर का ऐसा ही पुर्नानिर्धारण कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

उप–प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (च) मामले की जांच की जा रही है । एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

तेल के लिये कच्छ के रण का सर्वेक्षण

4080. श्री भा० सुन्दरलाल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल की उपलब्धता के बारे में गुजरात में कच्छ के रण का कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) जी हां ।

(ख) अब तक कोई दिलचस्प संरचनात्मक चिन्ह नहीं पाये गये हैं ।

Land Acquired for Dams

4081. Shri Molahu Prasad :
Shri Rabi Ray :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the total acreage of land acquired by the Central Government from 1948 to 1967 to build dams and canals in the country ;

(b) the area of cultivable land out of it ; and

(c) the percentage increase in agriculural production due to these dams and canals ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) - (a) to (c) No land has been acquired direct by the Central Government to build dams and canals. The lands required for the purpose have been acquired by the State Governments and the Union Territory Administrations concerned.

Separate statistics of agricultural production from canal irrigated areas are not available.

Re. Employment of Gazetted and Non-Gazetted Employees of the Ministry of Health and Family Planning after Retirement

4082. **Shri Molahu Prasad : Shri Rabi Ray : Shri Maharaj Singh Bharati : Shri Ram Sewak Yadav :**

Will the Mintster of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of those Gazetted and Non-Gazetted employees who after retirement from his Ministry and its attached and Subordinate Offices were re-employed in autonomous bodies and attached offices of the Ministry between April, 1965 and March, 1967 ;

(b) the number of officials and employees who are likely to retire between June, 1967 and March, 1968 from service in his Ministry, its attached and Subordinate Offices ; and

(c) the number of those whose cases for re-employment are under consideration in the Ministry ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : In so far as the employees of the Minister of Health and Family Planning, and the Directorate General of Health Services are concerned, the information is given below :

	Gazetted	Non-Gazetted
(a)	3	3
(b)	9	5
(c)	1	1

The information in respect of the Subordinate offices is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

Re Quirements of Kerosene Oil of U. P.

4083. **Shri Molahu Prasad : Shri Rabi Ray : Shri Maharaj Singh Bharati : Shri Ram Sewak Yadav :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the average monthly requ rement of Kerosene Oil of U. P. ;

(b) the quantity of Kerosene Oil being supplied to that State for distribution at present ; and

(c) the schemes formulated to meet the requirements of Kerosene Oil of U. P.

The Minister of State in the Ministry of Petroleum And Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) The average sales of kerosene in the U. P.

during April, 1966 to March, 1967 were 17,277 tonnes per month; this may be assumed to be the present requirements.

(b) and (c) The present allocation of 21,300 tonnes per month is adequate to meet the requirements.

चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के क्वाटरों में पंखे

4084. श्री बलराज मधोक : क्या निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी बस्तियों में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों में छत के पंखे लगाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत से क्वार्टरों में पंखे लग गये हैं परन्तु उनमें विंग्ज (पंखड़ियां) नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उन पंखों में, जो लग चुके हैं, पंखड़ियां कब तक लग जायेंगी ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के टाईप I के 12,432 क्वार्टरों में से अधिकांश में सभी प्रकार से पूर्ण छत के पंखे लगा दिये गये हैं, तथा शेष क्वार्टरों में, चालू वित्तीय वर्ष में कार्य के पूरा होने की संभावना है।

आय का निर्धारण

4085. श्री वेणीशंकर शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों में व्यावसायिक शुल्क और दलाली के कमीशन से भारत के सभी करयोग्य वर्गों की कुल कितनी आय निर्धारित की गई; और

(ख) सरकार ने यह जानकारी एकत्रित करने पर कितना धन व्यय किया ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Power Supply From Matatilla Dam to Madhya Pradesh

4086. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that power is not being supplied from Matatilla Dam to Madhya Pradesh in spite of the fact that poles were installed and wires fitted there in as early in 1965 ; and

(b) if so, steps taken by Government to ensure the supply of power expeditiously to Madhya Pradesh through Matatila Dam by the Uttar Pradesh Government ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b) Madhya Pradesh Electricity Board constructed a 11 KV line from Newari to Paruasagar in Madhya Pradesh and asked Uttar Pradesh State Electricity Board to extend supply of Matatila power at Newari. The Uttar Pradesh State Electricity Board have not agreed to the proposal because (i) it involved construction of 11 KV line by them at additional capital cost and (ii) according to the recommendations of the Central Zonal Council as accepted by the two States, the M P. share of the Matatila power is to be supplied at the 66 KV terminal of the Matatila power station. However as desired by the Madhya Pradesh Electricity Board, the U. P. State Electricity Board are currently supplying Mataila power at two points viz. Jhansi and Matatila. The question of supply of Matatila power at other two points as requested by Madhya Pradesh Electricity Board and also at Newari is under consideration of the Government of Uttar Pradesh.

बिहार में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी

4087. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री क० मि० मधुकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने राज्य में अकाल की भयानक स्थिति के बारे में प्रधान मंत्री को एक चार सूत्री ज्ञापन भेजा है ;

(ख) क्या इन मांगों में ये बातें सम्मिलित हैं : (एक) राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान ही 12 औंस राशन की सप्लाई, (दो) अकाल पीड़ितों को अनुग्रह सहायता, (तीन) तीन महीने के वेतन का अग्रिम भुगतान जो 36 किस्तों में वापस लिया जायेगा और (चार) स्थिति सुधरने तक कर्मचारियों के वेतनों से वसूल की जाने वाली राशियों को माफ करना;

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) बिहार में काम करने वाले अकाल पीड़ित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) यह आशा की जाती है कि राज्य सरकार राशन की दरों की उस असमानता को दूर करने के लिये कार्यवाही करेगी। केन्द्रीय सरकार ने बिहार के 17 सूखा पीड़ित जिलों में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को तीन महीने का वेतन, अधिकतम 500 रुपये पेशगी देना मंजूर किया है; जिसे 24 बराबर किस्तों में वसूल किया जायेगा। यह रियायतें उन कर्मचारियों के लिये भी है जो इन क्षेत्रों के रहने वाले हैं लेकिन उनकी नियुक्ति बाहर की गई है, यदि उनके परिवार सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में रहना जारी रखते हैं। मद (2) और (4) के भाग (ख) में उल्लेखित मांगों पर भी विचार किया गया है लेकिन उन पर सहमत होना सम्भव नहीं है।

Gold Smugglers in Bombay

4088. Shri Sita Ram Kesri :
Shri P. N. Solanki :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Customs Department, Bombay, have apprehended a gang of gold smugglers, including a number of prominent businessmen on the 13th June, 1967 ;

(b) whether that gang has also been found to be having motor cars, houses and telephones at their disposal ;

(c) if so, the names of the persons apprehended in that gang and the names of prominent businessmen among them ;

(d) whether the motor cars, houses and telephones found at the disposal of the gang have been confiscated ; and

(e) whether Government propose to take necessary steps to check gold smuggling ?

The Dupty Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The Customs Department, Bombay, apprehended a gang of gold smugglers including a number of businessmen on the 3rd June, 1967. There was no such case on the 13th June, 1967.

(b) Some of the members of this gang own flats, offices, motor cars and telephones.

(c) The names of the persons apprehended so far are :-

1. Chiman Lal Narainji Joshi
2. Bheru Lal Udaichand :
3. Bhanwar Lal Sawal Chand Bafna :
4. Rajabali Hirjee Meghani :
5. Madan Lal Nanakchand Sharma :
6. Syed Ahmed Hussain Baba Mia
7. Samarthmal Phool Chand Shah:
8. Hira Lal Harak Chad Shah :
9. Mahesh Nanji Thakkar :
10. Jayashankar Prabhashankar Pandya
11. Aboobakar Ahmed, and
12. Aswin Mohan Lal Gandhi :

Of these, the first nine persons are established businessmen of Bombay.

(d) Two motor cars have been seized. The Customs Act does not provide for the seizure of houses and telephones.

(e) A statement showing the important steps taken to check smuggling of gold is placed on the Table of the Sabha.

Statement

Among the important steps taken to check smuggiing are :systematic collection and follow-up of information, rummaging of suspected vessels and aircraft, patrolling of vulnerable sections of the coastline and land frontiers and launching of prosecution in suitable cases in addition to departmental adjudication. In the field of legislation the Customs Act now provides for imposition of heavier sentences of imprisonment by courts of law. In the case of seizures of gold, diamonds and watches provision has also been made in the Customs Act for placing the burden of proof that these goods are not smuggled on the persons from whom they are seized. Among the important economic measures taken, the two significant ones are : (i) replacing by a special currency in 1959 of the India currency notes circulating in the Persian Gulf area which provided an

easy means of financing illegal gold transactions and (ii) introduction of the Gold Control.

ठेकेदारों के कार्य-निष्पादन की अवधि को बढ़ाना

4089. **श्री लोबो प्रभु :** क्या निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ठेकों की कार्य–निष्पादन की अवधि को बढ़ाना एक आम प्रथा बन गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे ठेके की लागत बढ़ जाती है; और

(ग) क्या समय का हिसाब लगाने में गलती होने के कारण अवधि बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है अथवा किसी अन्य कारण से ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बंगलौर में पेय जल सप्लाई योजना

4090. **श्री लकप्पा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने मैसूर राज्य में बंगलौर नगर निगम को बंगलोर शहर में पेय जल की व्यवस्था में सुधार करने के लिए अनुदान अथवा ऋण देने के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस योजना में किस प्रकार सहायता करने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना को भारत सरकार से सौ प्रतिशत ऋण मिल सकता है। राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के शहरी अंश के अन्तर्गत जलपूर्ति योजनाओं के लिए केन्द्र की ओर से ऐसी ही सहायता दी जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार सेक्शन आफिसरों की सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति

4091. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय वेतन आयोग ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (बिल्डिंग, रोड़ तथा इलेक्ट्रिकल गाइड) के उन सेक्शन आफिसरों के लिये जिनकी अपर्याप्त अवसरों के कारण असिस्टेंट इंजीनियरों के ग्रेड में पदोन्नति नहीं की जा सकी थी सलैक्शन ग्रेड की सिफारिश की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वेतन आयोग की सिफारिशों को देखते हुए सरकार ने 1 जुलाई, 1959 से सेक्शन आफिसरों के 94 नये पद बनाये हैं अथवा इन पदों को सलैक्शन ग्रेड के पदों में बदल दिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि 94 व्यक्ति सलैक्शन ग्रेड के सेक्शन आफिसरों के रूप में इन पदों के बनाये जाने/बदले जाने की तिथि से अर्थात 1 जुलाई, 1959 से कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन व्यक्तियों को सलैक्शन ग्रेड का वेतन 1 जुलाई, 1959 से अर्थात इन पदों के बदलने की तिथि से न देकर 3 अक्तूबर, 1963 से क्यों दिया जा रहा है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) सामान्य अथवा सलैक्शन ग्रेड के सेक्शन आफिसरों के द्वारा किये गये कार्यों (ड्यूटीज़) में कोई अन्तर नहीं। केवल 94 ही नहीं अपितु ऐसा करने वाले सभी सेक्शन आफीसर 1 जुलाई 1959 से सेक्शन आफिसर का कार्य कर रहे हैं। 3 अक्टूबर 1963 तक सलैक्शन ग्रेड में, जिसमें कि अधिक महत्वपूर्ण कार्य अथवा उत्तरदायित्व शामिल न हो, स्थानापन्न नियुक्ति पर मूल वेतन (सब्स्टेन्टिव पे) से अधिक वेतन देय नहीं था। इस नियम में 3 अक्टूबर, 1963 से छूट दे दी गई थी, अतएव सलैक्शन ग्रेड में स्थानापन्न सेक्शन आफिसरों को 3 अक्टूबर, 1963 से सलैक्शन ग्रेड का वेतन दिया जा रहा है।

रोगनों तथा वार्निशों पर उत्पादन शुल्क

4092. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वार्निशों/रोगनों/एनेमल पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की प्रति लिटर दर एक ही है चाहे उनका मूल्य अथवा किस्म कुछ भी हो ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बड़े पैमाने के निर्माताओं द्वारा तैयार की जाने वाली वार्निशों के मूल्य छोटे पैमाने के निर्माताओं द्वारा तैयार की जाने वाली वार्निशों के मूल्यों से अधिक हैं और इसलिये उत्पादन शुल्क की एक जैसी दर छोटे निर्माताओं के हितों के विरुद्ध है ;

(ग) क्या इस भेदभाव के विरुद्ध अमृतसर के रोगन तथा वार्निश के लघु निर्माताओं से सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) वार्निश का मूल्य बहुत सी बातों जिनमें कच्चे माल की लागत, निर्माण का तरीका और निर्मित उत्पाद की किस्म भी शामिल है, पर निर्भर करता है । जिन निर्माताओं का वार्निश का कुल उत्पाद एक वित्तीय वर्ष में 450 किलोलिटर से अधिक नहीं होता, उन पर वार्निश की सफाई करने के सम्बन्ध में घटी दर पर शुल्क लगाया जाता है ।

(ग) और (घ) जी हां ।

चूंकि लघु पैमाने के निर्माताओं को बड़े निर्माताओं के मुकाबले घटी दर पर शुल्क देना होता है । लघु पैमाने के निर्माताओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता । अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

रोगन और वार्निश पर उत्पादन शुल्क

4093. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ऐसे कारखानों के बारे में, जो जुलाई 1963 से पहले स्थापित किये गये थे और जिनका वार्षिक उत्पादन पचास मीटरिक टन अथवा पचास किलो लिटर वार्निश से अधिक है, रोगन और वार्निश पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाने से छूट की सीमा समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप रोगन और वार्निश तैयार करने वाले छोटे पैमाने के एकक बन्द हो गये हैं और इसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल गई है;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में अमृतसर के छोटे पैमाने के निर्माताओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है और उन छोटे पैमाने के निर्माताओं की सहायता करने के लिये सरकार ने और क्या अन्य कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां । वास्तव में ऐसा किया गया है कि क्रमवार रियायती दरें जो इन कारखानों पर लागू होती हैं वह 6 जुलाई, 1963 और उसके बाद स्थापित यूनिटों पर रियायती कम दरों में परिवर्तित हो गई हैं ।

(ख) सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ग) जी हां ।

(घ) छोटे पैमाने के निर्माताओं को अभी भी बड़े पैमाने के निर्माताओं की तुलना में घटी दर पर शुल्क देना पड़ता है । इस सम्बन्ध में अब कोई कार्यवाही करनी आवश्यक नहीं है ।

R·servation For Scheduled Caste Students in Maulana Azad Medical College.

4091. Shri Molahu Prasad :
Shri Sheopujan Shastri :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 156 seats are reserved for Scheduled Ca tes students in the Maulana Azad Medical College, New Delhi;

(b) whether it is also a fact that the Scheduled Caste student seeking admission must be a dependent or a relation of a Member of Parliament or of a Central Government employee; and

(c) if so, the reasons for this restriction ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) (a) 15% of the 125 seats in the College are reserved for Scheduled Caste students who are residents of Delhi and have passed Higher Secondary Examination from Delhi Board or an examination equivalent to Higher Secondary from Delhi Centre or Pre-Medical Examination from Delhi University.

(b) and (c) There is no such restriction in case of Scheduled Caste students, who are themselves residents of Delhi. Those, however, who are the sons/daughters and/or wholly dependent brothers/sisters of Central Government servants, posted in Delhi, or sons/daughters and wholly dependent brothers/sisters of Members of Parliament are also treated on a par with residents of Delhi.

Reservation of Seats for S. C. and S. T. Students in Maulana Azad Medical College

4095. Shri Molahu Prasad :
Shri Sheopujan Shastri :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state.

(a) whether it is a fact that 156 seats for the Scheduled Caste and 52 seats for Scheduled Tribe students are reserved in the Maulana Medical College;

(b) if so, the percentage of students belonging to aforesaid castes who have got admission every year since 1958; and

(c) if the quota has been completed from Delhi, whether there in any provision for the admission of students from other States ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) 15% and 5% of the 125 seats in the College are reserved for Scheduled Caste and Scheduled Tribe students, respectively, who are residents of Delhi and have passed the Pre-medical Examination from Delhi University or the Higher Secondary Examination from the Delhi Board or an examination equi alent to Higher Secondary from the Delhi Centre.

(b) No Scheduled Caste student got admission to the College from 1958 to 1961. The following are the number and percentage of admissions of Scheduled Caste students from 1962-63 onwards.

Year	No. admitted	Percentage of admission.
1962-63	3	3%
1963-64	6	4.8%

1964-65	9	7.2./·
1965-66	5	4·/.
1966-67	5	4./·

No candidate belonging to the Scheduled Tribes has been admitted in the Medical College (as a resident of Delhi) in any year since 1958 either on account of want of candidates or their not possessing the requisite qualifications necessary for admission.

(c) No. In case students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for admission against all the reserved seats, the seats not availed of are allotted to others.

भारत में बने थर्मामीटर

4096. **श्री प्र० न० सोलंकी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में बने थर्मामीटर के सम्बन्ध में यह गारन्टी नहीं दी जाती कि वह हर स्थिति में ताप–मान ठीक बतायेगा; और

(ख) यदि हां, तो उसे अपेक्षित मानक का थर्मामीटर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर) : (क) क्लीनिकी थर्मामीटर बनाने वाले निम्नलिखित तीन एकक औद्योगिक (विकास एवं विनियम) कानून के अधीन पंजीवद्ध हैं तथा इन निर्माताओं द्वारा बिक्री किये जाने वाले प्रत्येक थर्मामीटर की शुद्धता की गारन्टी रहती है ।

1. जिन्तन क्लीनिकल थर्मामीटर मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, सुरेन्द्र नगर (गुजरात)
2. हिक्स थर्मामीटर कम्पनी ब्रुकलैण्डज. मंसूरी ।
3. नेशनल इन्स्ट्रूमैण्ट्स लि० जादवपुर, कलकत्ता–32 ।

इनके अतिरिक्त लघु उद्योग क्षेत्र में काफी निर्माता है और यह पता चला है कि ये निर्माता भी अपने थर्मामीटरों के सही होने की गारन्टी देते हैं ।

(ख) भारतीय मानक संस्था ने क्लीनिकी थर्मामीटरों के मानक तैयार किये और इनकी शुद्धता बनी रहे इस उद्देश्य से औषध एवं अंगराग नियम 1945 में एक ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिसके अनुसार वह थर्मामीटर जिन पर भारतीय मानक संस्था का प्रमाणक चिन्ह नहीं होगा उन्हें इन नियमों के उपबन्धों के अनुकूल लाइसेन्स लेना होगा ।

यमुना नदी का सूख जाना

4097. **श्री विश्वनाथ राय :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि यमुना नदी धीरे-धीरे विशेषरूप से इस वर्ष सूखती जा रही है;

(ख) क्या इस कारण दिल्ली अथवा नई दिल्ली के कुछ भागों में पानी की कमी हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या किसी अन्य साधन से पर्याप्त मात्रा में पानी प्राप्त करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं। दिल्ली में यमुना में पानी हर ग्रीष्म ऋतु में कम हो जाता है यह ग्रीष्म कोई अपवाद नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) हरयाणा सरकार के सौजन्य से इन्द्री द्वारक (एस्केप) से काफी पानी मिल रहा है।

नई दिल्ली में पंचकुई रोड़ पर सरकारी क्वार्टर

4098. श्री वीरभद्र सिंह।
श्री प्रताप सिंह :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में पंचकुई रोड़ पर ब्लाक 85 के क्वार्टरों को, जो पहिले गिराये जाने के लिये खाली कराये गये थे, सम्पत्ति निदेशालय ने पुनः अलाट कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये क्वार्टर अत्यधिक जीर्णावस्था में है तथा उनमें पानी और बिजली जैसी मूल सुविधाओं की भी व्यवस्था नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उनका पुनः अलाटमेंट करने के क्या कारण हैं तथा सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) ये क्वार्टर डी० आई० जेड० एरिया में हैं तथा यह निर्णय किया जा चुका है कि इस क्षेत्र का दिल्ली की बृहद-योजना के अनुसार पुनर्विकास किया जाये। गिराये जाने तथा पुनर्निर्माण का कार्य निधियों की उपलब्धता पर सुविधाजनक प्रक्रमों (फेज़ेज़) में किया जा रहा है। प्रथम प्रक्रम में 85 ब्लाक के 611 क्वार्टरों को गिराया गया तथा उस स्थान पर टाईप I के 720 क्वार्टर बनाये गये। इसके बाद के प्रक्रम में, इस ब्लाक के भी अनेक क्वार्टरों को गिराया जाना निर्धारित किया गया था तथा तथानुसार उन्हें खाली करा लिया गया। किन्तु 1965 के पाकिस्तानी आक्रमण को ध्यान में रखते हुए, कठिन आर्थिक स्थिति के फलस्वरूप यह निर्णय किया गया कि खर्चा कम किया जाये। तदनुसार

यह निर्णय किया कि आवश्यक मरम्मतों को तुरंत करके इन क्वार्टरों को दो, तीन वर्ष के लिए निवास योग्य बना दिया जाये। कुछ अतिरिक्त नलों को लगा कर पानी की सप्लाई की स्थिति में सुधार किया जा रहा है। बिजली नहीं है और न इसकी कोई व्यवस्था ही है, क्योंकि यह अनुभव किया गया कि इस थोड़ी सी अवधि के लिए खर्चा करना उचित नहीं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में संशोधन

4099. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने अपने दसवें तथा बाहरवें प्रतिवेदन में कहा है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सामाजिक आर्थिक दशा के बारे में बुनियादी आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण इन जातियों की सूची में संशोधन करने के लिये विभिन्न प्रस्तावों पर उचित ढंग से विचार करना असंभव है;

(ख) क्या उन्होंने सुझाव दिया है कि जब तक 'वैज्ञानिक नमूना सर्वेक्षण' नहीं किये जाते तथा निश्चित आधार निर्धारित नहीं किये जाते तब तक विभागीय समिति से कोई लाभ नहीं होगा ;

(ग) क्या उन्होंने सिफारिश की है कि इस कार्य के बारे में पूर्ण तथा विस्तृत अध्ययन के लिये विशेषज्ञों तथा अन्य प्रतिनिधियों की एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की जाये; और

(घ) यदि हां, तो उपयुक्त सिफारिशों के बावजूद भी इस कार्य के लिये पदाधिकारियों की सलाहकार समिति (लोकुर समिति) नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) (क) से (घ) हां ; सलाहकार समिति नियुक्त करने से पूर्व सरकार ने सभी संगत बातों पर, जिनमें आयुक्त का मत भी शामिल है, विचार कर लिया था।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी लोकुर समिति

4100. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यद्यपि स्वयं लोकुर समिति के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों में से प्रत्येक जाति द्वारा की गई सामाजिक शिक्षा सम्बन्धी तथा आर्थिक प्रगति का पता लगाने के लिये समय-समय पर विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है, इस समिति ने केवल बाहरी दृष्टि से पर्याप्त उन्नतिशील दिखाई देने वाली कुछ जातियों के नाम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों से किस आधार पर निकालने के लिये कहा है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) लोकुर समिति ने किसी जाति को काफी प्रगती होने के आधार पर छोड़े जाने की सिफारिश नहीं की थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी लोकुर समिति

4101. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लोकुर समिति ने किस आधार पर पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले ऐसे विस्थापित व्यक्तियों को जो पश्चिम बंगाल से बाहर बसे हुए हैं, परन्तु पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियां मानी जाने वाली जातियों के लोग हैं, सूची में सम्मिलित करने के विरुद्ध मत व्यक्त किया है;

(ख) समिति के इस मत की पुष्टि करने के लिये कि इन व्यक्तियों के मामले में जाति भेद वस्तुतः नहीं के बराबर है, कभी कोई विस्तृत तथा क्रमबद्ध सर्वेक्षण अथवा जांच की गई थी ;

(ग) क्या सरकार लोकुर समिति द्वारा प्रस्तावित सुझावों के फलस्वरूप पश्चिम बंगाल के बाहर इन लोगों को बसाने के समूचे कार्यक्रम पर होने वाले बुरे प्रभाव के बारे में अवगत है; और

(घ) क्या सरकार का विचार यह शर्त रखने का है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का कोई भी व्यक्ति, जो किसी ऐसे अन्य राज्य में जाता है जहां पर उसकी जाति अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित नहीं है, कम से कम एक पीढ़ी तक अनुसूचित जाति/आदिम जाति का व्यक्ति माना जायेगा, जैसा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के 8वें प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) लोकुर समिति की रिपोर्ट से संगत उद्धरण अनुबंधित है । **[पुस्तकालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 853/67]**

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण का समूचा प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

(घ) नहीं ।

बम्बई में सोने तथा मुद्रा का अवैध संचय

4102. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965 से 1967 तक अब तक प्रतिवर्ष कितने मूल्य का अवैध रूप से संचय किया हुआ सोना तथा मुद्रा पकड़ी गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Change in Names of Squares in Government Colonies in New Delhi

4103. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state:

(a) whether Government propose to change such names as French Square, O. C. Chinmaria, Nicholson Square, Baird Road, Hastiugs Road, Taylor Square by Indian names;

(b) if so, when this work is likely to be completed; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and supply (Shri Iqbal Singh): (a) to (c) The D. I. Z. area has to be redeveloped in accordance with the recommendations in the Master Plan of Delhi. All the existing quarters will be demolished and new quarters built in phases. In the process, the existing Squares will disappear. Till then, it is not considered necessary to change existing names which have been in use for a period of over 30 years. Naming of roads is, however, the concern of the local body.

देहाती तथा शहरी लोगों के जीवन स्तर में समानता

4104. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में देहाती तथा शहरी लोगों के जीवन स्तर में समानता लाने के लिए गत वर्ष क्या कार्यवाही की गई ;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा इस कार्यवाही के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) और (ख) देहाती लोगों के जीवन स्तर में जब ही उन्नति हो सकती है जबकि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो, उद्योगों का विकास हो, कृषि के काम आने वाले और ग्रामीण और लघु उद्योगों में काम आने वाले ओजारों का निर्माण हो, परिवहन में विकास हो और कृषि के लिये बिजली उपलब्ध हो । कृषि विकास और उद्योग कार्यक्रम गांवों में बिजली लगाने, गांवों में संचार व्यवस्था स्थापित करने, गांवों में कार्य करने प्राथमिक और उच्चतर शिक्षा, मुख्य-स्वास्थ्य केन्द्रों, परिवार नियोजन, पिछड़े वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों इत्यादि के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है और इससे ग्रामीण जनता के हित में वृद्धि होगी । इस कार्यक्रम का ब्योरा 1966-67 की वार्षिक योजना में मिलेगा ।

केवल एक वर्ष में इसके परिणामों का अनुमान लगाना कठिन है । कुछ वर्षों में इन कार्यक्रमों से देहाती तथा शहरी लोगों के जीवन स्तर में असमानता को हटाने में सहायता मिलेगी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आयुर्वेद के स्नातकों के वेतनक्रम

4105. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आयुर्वेद के स्नातकों के लिये समान वेतनक्रम निर्धारित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राज्य सेवाओं के वेतन-मान निर्धारित करने के मामले में राज्य सरकारों को ही निर्णय लेना है।

दिल्ली का विकास

4106. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी क्षेत्र में बस्तियों का विकास करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये हाल में गृह-कार्य मंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल तथा हरियाना और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) उन निर्णयों को क्रियान्वित करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां। किन्तु उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बैठक में भाग नहीं ले सके।

(ख) और (ग) यह तय किया गया कि भविष्य में रिहायशी तथा औद्योगिक बस्तियों के बेतुके विकास को रोका जाये तथा उन्हें नियमित किया जाये, ताकि क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास संकट में न पड़े। हरियाना तथा उत्तर प्रदेश के परिधि नगरों (रिंग टाउन्स) तथा दिल्ली की नगरीय सीमा के मध्य अनतिक्रम्य "हरी पट्टी" (इनबिओलेबल "ग्रीन बेल्ट") को बनाये रखना इसलिये आवश्यक है ताकि नगरों को उपनगरों से, निरंतर नगरीय अव्यवस्थित प्रसार से, तथा राजपथ के सहारे नगर के बाहर की ओर फैलाव से बचाया जा सके।

पंजाब सरकार के लिये धन का नियतन

4107. **श्री बूटा सिंह :**
श्री प्र० सिं० सहगल :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने 1967–68 के लिये और अधिक देने के लिये केन्द्र से मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस मांग के प्रति केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता : (क) और (ख) जी हां। राज्य सरकार ने 1967–68 के राज्य की वार्षिक योजना के लिये केन्द्रीय सरकार से 6 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता का अनुरोध किया है।

(ग) राज्य सरकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी अनिर्धारित राशि उपलब्ध नहीं है जिसमें से राज्य सरकार को अतिरिक्त सहायता दी जा सके।

चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के लिये नियत उद्योग

4108. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के लिये कौन कौन से बड़े उद्योग नियत किये गये हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं में कितनी शुद्ध पूंजी लगाने का विचार है ?

योजना, पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 854/67**]

Donations by Co-Operative Banks in U. P.

4109. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Cooperative Banks of Uttar Pradesh had donated Rs. 1.28 lakhs to the Birthday fund of Shri C. B. Gupta, former chief Minister of Uttar pradesh;

(b) if so, the basis on the rule under which this amount was donated and whether Cooperative and private banks are authorised to donate money in this manner;

(c) if so, the limit upto which donation can be made by them; and

(d) if not, the action taken by Government in the matter so far ?

The Deputy Prime Minister and Minisiter of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) Administration of the cooperative banks comes under the jurisdiction of the state Government. The question of any action by the Central Government does not arise.

(b) and (c) whether the cooperative banks can make donations and if so, to what extent, are matters governed by the provisions of the law relating to cooperative societies in force in the respective states. As regards banking companies, they can make donations, subject to the provisions of the Companies Act. to the National Defence Fund or any other fund approved by the Central Government for the purpose of national defence, to

the charitable and other funds not directly relating to the business of the company of the welfare of its employees, and to any political party or individual or body for political purposes. There is no limit prescribed for donation to the National Defence or similar Funds; for other purposes, the amount is restricted in any financial year to a sum of Rs. 25,000 or 5% of the average net profits during the immediately preceding three financial years, whichever is greater, except that, for charitable and other funds, the limit may be relaxed in a general meeting of shareholders,

बुनियादी पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

4110. श्री गा० शं० मिश्र :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 और 1966–67 में बुनियादी पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने के लाइसेंस लेने के लिये कौन कौन सी फर्मों ने उनके मन्त्रालय में आवेदन पत्र दिये थे; और

(ख) कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा किन किन फर्मों के आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये और इसके क्या कारण थे ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघु रामैया) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा प्राकृतिक गैस का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण

4111. श्री गा० शं० मिश्र :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अब तक किन किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है और प्राकृतिक गैस उपलब्ध होने के बारे में उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है;

(ख) अब तक कितने स्थानों पर प्रकृति गैस के निक्षेप पाये गये हैं और उनमें से कितने स्थानों से गैस निकालना लाभप्रद होगा; और

(ग) देश में प्राकृतिक गैस के क्रय-विक्रय की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघु रामैया) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने निम्नलिखित अवसादीय क्षेत्रों में भूगर्भीय एवं भूभौतिकी सर्वेक्षण किये हैं:—

(1) गुजरात के केम्बे तथा कच्छ क्षेत्र

(2) राजस्थान का जैसलमेर क्षेत्र

(3) पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के कछारी मैदान

(4) दक्षिण-पश्चिमी बंगाल

(5) असम की ब्रह्मपुत्र वादी

(6) असम में त्रिपुरा एवम् काचर की पहाड़ियां

(7) उड़ीसा का महानन्दी डेल्टा

(8) आन्ध्र प्रदेश का गोदावरी-कृष्णा डेल्टा

(9) मद्रास का कावेरी थाला

(10) केरल का तटीय क्षेत्र

(11) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप

क्षेत्रीय दलों ने असम, गुजरात, कावेरी क्षेत्र और पंजाब में गैस के लिए भूगर्भीय स्थितियों को अनुकूल बताया है ।

(ख) 16 स्थानों पर या तो केवल प्राकृतिक गैस या तेल युक्त प्राकृतिक गैस विद्यमान है । इन स्थानों में से दो का पूर्णतया अन्वेषण किया गया है । अन्य क्षेत्रों में और अन्वेषण की आवश्यकता है ।

(ग) उत्तारन स्थित तापीय विद्युत केन्द्र तथा गुजरात राज्य उर्वरक कारखाने को अंकलेश्वर की गैस सप्लाई की जाती है । यह भी प्रस्तावित है कि इस गैस को बड़ौदा नगर निगम और बड़ौदा के उद्योगों को सप्लाई किया जाए । तापीय विद्युत केन्द्र, धुवारन को कैम्बे क्षेत्र से गैस की सप्लाई की जा रही है । असम में गैस की सप्लाई विद्युत जनन के लिए की जा रही है और शीघ्र ही उर्वरक उत्पादन के लिए भी सप्लाई की जायेगी ।

राजस्थान में बन्ध्यकारण आपरेशन

4112. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1966 से अब तक राजस्थान में कितने बन्ध्यकरण आपरेशन किये गये;

(ख) इस अवधि में कितने लूप पहनाये गये; और

(ग) क्या राजस्थान में डाक्टरों की कमी होने के कारण इस राज्य में परिवार नियोजन कार्य की गति धीमी हो रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) जनवरी, 1966 से अप्रैल, 1967 की अवधि में राजस्थान में किये गये नसबन्दी आपरेशनों और पहनाये गये लूपों की संख्या इस प्रकार है:-

(1) नसबन्दी ऑपरेशन–7,126

(2) लूप का प्रयोग–21,113

(ग) जी, हां।

चार नई परियोजनाओं के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ से सहायता

4113. **श्री न० कु० सांघी :** **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री वेदव्रत बरुआ : **श्री प्र० न० सोलंकी :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की चार नवीन विकास परियोजनाओं के लिये हाल में 40 लाख डालर की सहायता देने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) जून, 1967 में, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम की प्रबन्ध समिति ने नीचे लिखी प्रयोजनाओं के विदेशी विशेषज्ञों की सेवाओं, विदेशस्थित भारतीयों की प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था और उनके लिए विदेशी उपकरणों की खरीद तथा दूसरे और-और खर्चों के लिए, 42,48,600 डालर की रकम निर्धारित की है जिनका विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है:–

1. उच्च-व्यावसायिक प्रशिक्षण शाला, कलकत्ता (10,51,200 डालर)

इस शाला में, प्रशिक्षित कारीगरों के लिए ढलाई, ऊष्म-प्रक्रिया (हीट ट्रीटमेंट), झलाई (वेल्डिंग) और मशीनों के रखरखाव आदि जैसे विषयों में उच्च औद्योगिक व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए, श्रेणियों के कक्षों (क्लास रूम) वर्कशापों, प्रयोगशालाओं, एक पुस्तकालय और दूसरी उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था होगी। प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यों के अलावा, यह शाला, प्रशिक्षण की नयी प्रणालियों, तकनीकों, पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण सामग्री आदि का भी विकास करेगी।

2. हैदराबाद में औजार-केन्द्र की स्थापना (9,61,500 डालर)

इस शाला में, कर्मचारियों को, औजार, डाइयां और सांचे बनाने के काम का प्रशिक्षण दिया जायेगा; छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए परामर्श सेवाओं की व्यवस्था की जायगी, जिसमें डिजाइन और मशीनी औजार तैयार करने के सम्बन्ध में सहायता देने का काम भी शामिल होगा। यह शाला, डाइयों, जिगों और दूसरे औजारों के हिस्सों को मानकित करने के लिए कुछ उपायों की सिफारिश भी करेगी। यह शाला, सीमित आधार पर, डाइयों, जिगों फिक्सचरों, मापकयंत्रों आदि का उत्पादन भी शुरू करेगी।

3. राष्ट्रीय शिक्षुता (अप्रेण्टिसशिप) योजना (11,40,500 डालर)

इस प्रायोजना का उद्देश्य केन्द्रीय तकनीकी सेवाओं की स्थापना करना और दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में चार क्षेत्रीय शिक्षुता (अप्रेण्टिसशिप) मुख्यालयों की स्थापना करना है, ताकि देश की शिक्षुता योजना के विस्तार के लिए आवश्यक अप्रेण्टिसशिप सलाहकारों, सर्वेक्षकों प्रशिक्षण अधिकारियों, इन्स्ट्रक्टरों और दूसरे तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके।

4. भारतीय अनाज संग्रहण शाला, हापुड़ (10,95,400 डालर)

यह प्रायोजना, अन्न को गोदामों में रखने के सुधरे तरीकों का विकास करेगी और उनका प्रदर्शन भी करेगी और इस क्षेत्र में इस मुख्य उद्देश्य से कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगी कि इस समय होने वाली हानि और अनाज की बर्बादी कम हो जाय।

M/S Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd.

4114. Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Raghubir Singh Shastri ; Shri Shiv Kumar Shastri : Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2281 on the 24th November, 1966 and state :

(a) whether Government have since conducted an enquiry through Income-tax Department into the case in which it is reported that M/S Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd. and M/S Mckenzies Ltd., Bombay in order to evade income- tax in Government contracts, obtain signatures of their employees on blank vouchers and thereafter fill large amounts therein and also show false purchases to diminish profits;

(b) if so, the details thereof, and

(c) if not, the time by which the enquiry will be completed ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) Enquiries are in progress.

(c) Enquiries are expected to be finalised soon.

Evasion of Income-Tax by M/S Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd

4115. Shri Raghubir Singh Shastri : Shri Hukam Chand Kachwai : Sbri Ram Gopal Shalwale : Shri Shiv Kumar Shastri : Shri Jagannath Rao Joshi

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2284 on the 24th November, 1966 and state :

(a) whether the Income-tax authorities have since looked into the case in which M/S Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd. Bombay showed in their ledgers the sale of a particular brand of paper at the rate of Rs. 3 per kilo to one of its own firms for taking loan from the Central Bank of India Ltd. and the same brand of paper was sold to other firms at the half rate and thus they accounted half of the aforesaid amount in their

ledgers with a view to evade Income-tax and thus on the one side they succeeded in obtaining loan from the Bank and on the other side in evading the Income-tax, and

(b) if so, the result thereof, and

(c) the action taken in the matter ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) The matter is still under investigation.

---

23 जून 1967 को कार्यवाही-वृतान्त से निकालने के बारे में

RE : EXPUNCTIONS FROM PROCEEDINGS DATED 23-6-67

अध्यक्ष महोदय : अब सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र ।

Dr Ram Monohar Lohia (Kannauj) : Sir, I rise to raise a point of order under Rules 380, 381 and 349.

अध्यक्ष महोदय : किस बारे में ?

Dr. Ram Manohar Lohia : Some words were expunged from the proceeding held on 23rd June regarding Dr. Dharma Teja......

अध्यक्ष महोदय : वह मामला इस समय सभा के समक्ष नहीं है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Sir I am bringing this matter before you when one item of business is already over and another one is being entered upon. It was most unfair to expunge those words, hence I request you to treat them as a part of the record because the only alternative left to me is......

अध्यक्ष महोदय : कल श्री मधु लिमये ने इस मामले को उठाया था । दुर्भाग्यवश डा० राम मनोहर लोहिया उस समय इस सभा में उपस्थित नहीं थे, मैं नहीं समझता कि मुझे उस विनिर्णय को, जो अन्य पीठासीन अधिकारी ने, चाहे वह जो भी हो, दिया हो, बदलने अथवा रद्द करने का अधिकार है । किन्तु इस सम्बन्ध में मैं अपना विनिर्णय कल ही दे चुका हूं चाहे वह ऐसे मामले से ही सम्बन्धित क्यों न हो, जो कि न्यायाधीन है, पीठासीन व्यक्ति सदस्य को भाषण देने से रोक सकता है । आदेश को करने अथवा उसे कार्यवाही-वृतान्त से निकालने का कोई प्रश्न नहीं है, मैं किसी भी नियम के अन्तर्गत पूर्व पीठासीन अधिकारी के आदेश में न तो फेर-बदल ही कर सकता हूं और न ही उसे कार्यवाही-वृतान्त से निकाल सकता हूं ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Sir, I am not requesting you to rescind the order of the Deputy speaker. The only submission I am making is to expunge what was permitted by another presiding officer and bring back to life what was expunged under the orders of the then Presiding Officer. Because several persons-at least five or six-occupy the chain during the day and if we stick to this rule that we cannot revise or rescind the earlier order or expunge what has been done or permitted by the then Presiding officer, then in the circumstances, the possibility of the whole proceeding going wrong can not be ru'ed out. So, Sir, it is not so late to establish a convention as to revise or rescind the earlier ruling where the proceedings have been allowed to go wrongly a previous Presiding Officer.

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको सुन लिया है। यदि आप इस तरह किसी न किसी मामले पर रोजाना बहस उठाते रहे, तो मैं नहीं जानता कि इसका अन्त कहां पर होगा। यदि वह मेरे कल के विनिर्णय पर सन्तुष्ट नहीं हैं, तो वह भी मधु लिमये से मालूम कर सकते थे। इस मामले में जो कुछ किया गया था वह चाहे उससे, जो कि मैंने कल कहा था, थोड़ा सा भिन्न ही क्यों हो। इन मामलों में कुछ प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना जरुरी है। इन विषयों को उठाने का एक तरीका है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि कोई भी सदस्य कोई विषय उठाये, ऐसा करना सदस्य का अधिकार है, लेकिन उसका एक ढंग है, यदि मैं कानुनी तौर पर ऐसा कर सकता हूँ, तो मुझे उस पर विचार करने दीजिये। मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा कर भी सकता हूं अथवा नहीं। अपनी शक्ति को ध्यान में रखते हुए मैं इस बारे में जांच करूंगा।

Dr. RamManohar Lobia : All right. Sir I request you to give due consideration to it.

अध्यक्ष महोदय–अवश्य।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वर्ष 1967–68 में केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये गये बाजार ऋणों के बारे में अधिसूचना

वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं, वर्ष 1967–68 में केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये गये बाजार ऋणों के बारे में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ० 4 (14)–डब्ल्यू एण्ड एम /67 की एक प्रति, जो दिनांक 28 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 813/67]**

पंजाब पुनर्गठन (पुनर्गठित नियमों की हानियों का अनुभाजन) नियम आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृ० चं० पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत पंजाब पुनर्गठन (पुनर्गठित नियमों की हानियों का अनुभाजन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 15 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2068 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 814/67]**

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 937 की एक प्रति जो दिनांक 24 जून, 1967 के भारत

के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 815/67]**

(3) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रतिः-

(एक) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (तेरहवां संशोधन) नियम 1967 जो दिनांक 10 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 886 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 1967 जो दिनांक 10 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 887 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 816/67]**

(4) आर्थिक समीक्षा, 1966-67, जो 24 मई, 1967 को सभा-पटल पर रखी गई थी, के 'अशुद्धि-पत्र' की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 817/67]**

भारत सरकार और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बीच करार

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघु रामैया) : मैं, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 24 के अन्तर्गत भारत सरकार और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बीच हुए करार की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 818/67]**

अनुदानों की मांगे 1967-68 (जारी)
DEMANDS FOR GRANTS 1967-68 Contd.

वाणिज्य मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : वाणिज्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा तथा मतदान तथा कटौती प्रस्ताव पेश किये गये।

श्री म० सुदर्शनम : (नरसारावपेट) अध्यक्ष महोदय, रुपये का अवमूल्यन हुए एक वर्ष बीत चुका है किन्तु इससे निर्यात बढ़ने की जो आशाएं थी, वे पूरी नहीं हुई हैं, वास्तव में भुगतान सन्तुलन स्थिति हल से उत्पन्न समस्याओं का दिखाई नहीं देता, इसका एक कारण प्रकृति-प्रकोप भी है--जैसा कि सूखे की स्थिति—

श्री स० मो० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, कल पीठासीन अधिकारी ने यह विनिर्णय दिया था कि कोई भी सदस्य अपने नोट पढ़कर भाषण नहीं दे सकता। किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि वह विनिर्णय अब लागू नहीं है जब कि माननीय सदस्य इस समय अपने नोट पढ़कर भाषण दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : विनिर्णय तो जरूर है कि, कोई सदस्य अपना भाषण पढ़ नहीं सकता, किन्तु नये सदस्यों के मामले में तनिक उदार होना आवश्यक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विनिर्णय में कोई परिवर्तन हो गया है।

श्री म० सुदर्शनम : हमारे लगभग 80 प्रतिशत निर्यात कृषि-आधारित है जिसके मामले में हमें खेती पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा, हमारे देश में पटसन से निर्मित वस्तुओं तथा चाय पर इतना अधिक निर्यात शुल्क लगाया गया है कि इससे अन्य देशों को अपनी उपज तक निर्यात बढ़ाने के मामले में प्रोत्साहन तथा सहायता मिली है, यह दुर्भाग्य की बात है। जहां तक सूती कपड़े का सम्बन्ध है, देश में उसका उत्पादन बढ़ाने के लिये पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई हैं और न ही उसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिये पर्याप्त समुचित पत्र उठाये गये हैं।

पश्चिम एशिया में संकट के परिणाम स्वरूप इस समय एक नई स्थिति पैदा हो गई है। स्वेज नहर के अस्थायी तौर पर बन्द हो जाने तथा अन्य विभिन्न कारणों के फलस्वरूप भारत में थोड़े समय बाद ही कीमतें बढ़ जायेंगी। दूसरी ओर निर्यात के मामले में हमें यह भी देखना है कि कीमतें विश्व बाजार दर से अधिक न बढ़ें। इसलिये यह जरूरी है कि हम निर्यात शुल्क के बोझ पर फिर नये सिरे से विचार करें और निर्यात से सभी प्रकार के कर हटा दें। निसिद्ध वस्तुओं को छोड़ कर शेष सभी वस्तुओं के आयात के लिये निर्यातकों को उनकी निर्यात आय से कुछ प्रतिशत देने की यदि कोई योजना निकाली जाये, तो उससे प्रतियोगिता को बल मिलेगा जिससे निर्यात बढ़ेंगे। प्रत्यक्ष कर को फिर से प्रोत्साहन देना जरूरी है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. DePuty Speeker *in the chair*]

निर्यात बढ़ाने के मार्ग में रुकावट डालने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह कि भाड़े की दरें ऊंची हैं। भाड़े की दरों के ऊंची होने के कारण भारत में बना इंजीनिरिंग सामान अमरीकी तथा यूरोपीय बाजारों में बिक नहीं पा रहा है। एक दूसरा दोष यह भी है कि उपभोक्ता-प्राथमिकताओं का कोई सुव्यवस्थित अध्ययन नहीं किया जाता। विदेशी मुद्रा की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है। वाणिज्यिक दूतावासों में अब भी वही परम्परागत नौकरशाही दृष्टिकोण है और उनका काम असन्तोषजनक है। जहां तक राज्य व्यापार निगम का सम्बन्ध है, उसने निर्यात बढ़ाने में कोई सहायता नहीं दी है बल्कि उसने यह सिद्ध कर दिया है कि वह किसी व्यक्तिगत निर्यातक अथवा गैर-सरकारी संगठन के निर्यात सम्बन्धी प्रयास में एक निश्चित रुकावट है। राज्य व्यापार निगम में होड़ सम्बन्धी गतिविधियों के कारण निर्यात को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयत्न निष्फल हो रहा है, वास्तव में, निर्यात संवर्द्धन

के मामले में जब तक राज्य व्यापार निगम और गैर-सरकारी क्षेत्र के बीच विवेकपूर्ण समन्वय नहीं होता तब तक हमारे निर्यात व्यापार में गतिरोध ही रहेगा।

राज्य व्यापार निगम को सरकारी विभाग के रूप में विदेशों में निर्यात सम्बन्धी व्यापारिक सौद करने में सरकार का आश्रय, प्रभाव तथा अधिकार प्राप्त हुए भी उसका कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र के मुकाबले में काफी असन्तोषजनक रहा है, इसके विपरीत, लाल फीताशाही, कल्पना और विक्रय-कला की कमी, क्रयादेशों के पालन करने में शिथिलता, बदलती उपभोग-अभिरुचि के अनुकूल निर्यात करने की असमर्थता इन सबसे अधिक पदाधिकारियों का ओछापूर्ण (स्नौबिश) रवैये के कारण राज्य व्यापार निगम ने केवल अपनी ही नहीं अपितु गैर-सरकारी क्षेत्र की भी वे मंडिया खो दी है, जहां इस समय हमारा व्यापार चलता था। इसका एक विशिष्ट उदाहरण यह है कि इस निगम ने अपनी गलतियों के कारण अमरीका में मद्रास ब्लीडिंग' नामक कपड़े का बाजार गवा दिया है।

एक आवश्यकता इस बात की है कि पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ हमारे व्यापार सम्बन्ध सामान्य किये जाने चाहिए। पहले भी इन देशों के साथ हमारे व्यापार का विकास अवाध विदेशी मुद्रा क्षेत्रों की जगह होता था। कुछ मामलों में, पूर्वी यूरोपीय देश हमारी परम्परागत निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का पश्चिम यूरोप को कमीशन पर फिर से निर्यात करते रहे, यह बात छिपी नहीं है कि हम पहले कभी-कभी उन देशों से आयात करते थे जो रुपयों में भुगतान लेते थे और इसके परिणामस्वरूप देशी उद्योग को कठिनाई उठानी पड़ती थी और माल भी घटिये दर्जे का बनता था।

मध्य-पूर्व में हाल संकट के कारण और संयुक्त अरबगणराज्य को देरी से जहाज भेजने के कारण तम्बाकू के निर्यातक बड़ी मुशीबत में हैं और घाटा उठा रहे हैं। इस सम्बन्ध में भारत सरकार को सम्बन्धित अरबगणराज्य अधिकारियों से बातचीत करके तम्बाकू के लदान की शीघ्र व्यवस्था करवानी चाहिए और इसी प्रकार साख-पत्रों के बारे में भी आवश्यक कार्यवाही तुरन्त की जानी चाहिए अन्यथा इन तम्बाकू निर्यातकों का अस्तित्व खतरे में है।

"कैनेड़ी राउन्ड ऑफ टैरिफ नीगोसिएशन" के परिणामों के बारे में भारत में व्यापारियों को अभी तक नहीं बताया गया है। इस सम्बन्ध में जानकारी शीघ्र दी जानी चाहिए।

वाणिज्य मंत्रालय आयातों को नियंत्रित करने तथा उससे देशी उद्योग के विकास पर प्रभाव डालने के मामले में भारी जिम्मेदारी वहन करता है। व्यापारी समुदाय से नियमित बैठकों के माध्यम से सम्बन्ध बना रहना जरूरी है और इस प्रयोजन के लिये एक किस्म की स्थायी समिति नियुक्त की जानी चाहिए ताकि आयात उदारता के कारण देशी उद्योग पर जहां प्रभाव पड़ा है उसकी सरकार को शीघ्र जानकारी प्राप्त हो सके और स्थिति में सुधार के लिये उचित उपाय किये जा सकें।

हाल की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक यह है कि रोम सन्धि के तुरन्त बाद ब्रिटेन यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल होने संभाव्यता का पता लगाता रहा है और अन्ततोगत्वा उसे उसमें प्रवेश करने की सफलता भी मिल चुकी है। चूंकि इसका भारतीय व्यापार पर

बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है अतः हमें ब्रिटेन को इस बात के लिये राजी करना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल के उन साझीदारों के साथ, जिनके साथ उसका पिछले सैकड़ों वर्षों से काफी व्यापार होता रहा है, अपने व्यापारिक हित सुनिश्चित करें।

श्री दिनकर देसाई (कनारा) वाणिज्य मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन को पढ़कर बड़ी निराशा हुई है। इस प्रतिवेदन से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि हमारा आन्तरिक अर्थतंत्र, व्यापार तथा वाणिज्य व्यावहारिक रूप से गिरता जा रहा है और अवनति की स्थिति में हैं। वास्तव में आसानी से यह कहा जा सकता है कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति के बाद हमारा सम्पूर्ण अर्थतन्त्र विस्तृत होने के बजाय संकुचित हो रहा है। जब हम स्वतन्त्र हुए थे, हमारे पास 15 करोड़ रुपये का स्टर्लिंग बैलेंस था और पंचवर्षीय योजनाओं के लिये हमें पर्याप्त विदेशी सहायता मिली हैं। इन सब राशियों को खर्च कर चुकने के बाद आज स्थिति यह है कि हमारा समूचा अर्थतंत्र लड़खड़ा रहा है। निर्यात में गिरावट आ रही है, इससे सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रशासनिक तथा अनुत्पादी योजनाओं पर काफी रुपया बर्बाद किया गया, इसी का परिणाम है कि आज विदेशी व्यापार बुरी हालत में है। इस सरकार ने केवल अर्थतंत्र का ही बेड़ा गरक नहीं किया है बल्कि देश को भी तबाह कर दिया है।

व्यापार की दिशा में नजर डालने पर हम देखते हैं कि हमारे व्यापार का प्रसार उचित रूप से नहीं किया गया है। हमारा 60 प्रतिशत व्यापार तो केवल अमरीका, ब्रिटेन तथा रूस के साथ होता है और शेष 40 प्रतिशत व्यापार दुनियां के अन्य देश के साथ। राजनैतिक दृष्टि से यह खतरनाक है क्योंकि हमें अधिकांश विदेशी व्यापार में केवल एक अथवा दो देशों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। व्यापार का पहला सिद्धान्त हमेशा यही है कि उसे यथा संभव अधिकाधिक देशों के साथ किया जाये।

किन्तु हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं—उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे देश में आज मूल्य-ढांचा बहुत ऊंचा है और कई वस्तुओं के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य से ज्यादा होने के कारण हम उनका निर्यात नहीं कर सकते, यदि मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार हो, तो निर्यात के लिये हम नये देशों की खोज कर सकते हैं। इसके लिये अफ्रीका तथा एशियाई देशों में विस्तृत क्षेत्र है, अफ्रीकी देशों का आज औद्योगिक विकास हो रहा है और हम उन्हें औद्योगिक मशीनरी की सप्लाई कर सकते हैं।

मंत्री महोदय कृषि पर आधारित परम्परागत वस्तुओं के बारे में तो ईश्वर को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं क्योंकि वर्षा के कमी के कारण कृषि को भारी क्षति पहुँची है किन्तु इंजीनियरिंग उद्योग के सम्बन्ध में वह किस पर दोष लाद सकते हैं? निर्यात गिरने का एक कारण यह भी है कि हमने कोई समेकित योजना नहीं बनाई है, देश में उचित आयोजन नहीं हुआ है। उदाहरणार्थ फैरो-मैंगनीज को ले लीजिये, जो कि निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु है। देश में फैरो-मेंगनीज के कुछ-एक कारखाने हैं जिनमें से एक मैसूर राज्य के उत्तर कनारा जिले में डांडेली में स्थित है जिसे बन्द हुए आज तीन सप्ताह गुजर गये हैं। वहां ढेरों फैरो–मैंगनीज पड़ा हुआ है किन्तु वे निर्यात नहीं कर सकते क्योंकि उत्पादन-लागत बहुत अधिक है उसके बन्द होने

का दूसरा कारण यह है कि मैसूर सरकार इस कारखाने के लिये बिजली की सप्लाई बहुत ऊंची दर पर कर रही है ।

फैरो-मैगनीज का निर्यात असंभव हो गया है, क्योंकि फैरो-मैगनीज कारखाने को मैसूर सरकार द्वारा बहुत ऊंची दर पर बिजली सप्लाई की जाती है और इसके परिणामस्वरूप उस की उत्पादन लागत बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि गत तीन वर्षों से फैरो-मैंगनीज का कारखाना बन्द पड़ा है ।

निर्यात की दृष्टि से काजू एक महत्वपूर्ण वस्तु है। जहाँ तक मुझे याद है गत वर्ष हमने 37 करोड़ के मूल्य की काजू की गिरी का निर्यात किया था और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची में इसका चौथा स्थान था। परन्तु हमारा काजू का निर्यात कम होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त ध्यान देने वाली बात यह है कि आधे से अधिक काजू की गिरी हम अफ्रीका से मंगाते हैं और फिर उसे पुराने कारखानों में तैयार करते हैं तथा उस के बाद उसका निर्यात करते हैं। डालर कमाने का यह अत्योत्तम साधन है। परन्तु अब अफ्रीका में काजू की गिरी तैयार करने के आधुनिक कारखाने लगाये जा रहे हैं। इस का परिणाम यह होगा कि हमें कच्चे काजू प्राप्त नहीं हो सकेंगे तथा हमारा निर्यात रूप हो जायेगा। अतः हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम देश में काजू का उत्पादन बढ़ायें। में माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या इस बारे कोई व्यापक योजना बनाई गई है। मैं समझता हूं कि इस बारे में कोई व्यापक योजना नहीं बनाई गई हैं। काजू की पैदावार मैसूर केरल और गोआ में की जा सकती है। यदि हम काजू के उत्पादन के लिये संकलित योजना बनाये तो पांच से दस वर्ष तक की अवधि में हम पर्याप्त मात्र में काजू का तत्पादन कर सकते हैं, और हमें अफ्रीका के देशों से निर्यात पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश में भी काजू का उत्पादन किया जा सकता है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में कोई योजना बनाई गई है।

मैंने फैरो-मैगनीज तथा काजू के दो उदहारण दिये हैं जिनके बारे में कोई समायोजित योजना नहीं बनाई गई है। इसका परिणाम यह होता है कि केन्द्रीय सरकार कुछ करती है और राज्य सरकारें कुछ और करती है। यही कारण है कि हमारा विदेश व्यापार आज इस दयनीय स्थिति में है।

अन्त में मैं खादी के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। खादी तथा ग्रामोद्योग सम्बन्धी रिपोर्ट के एक अध्याय में बताया गया है कि सरकार स्वदेशी भावना को बढ़ावा देने के लिये खादी को प्रोत्साहन दे रही है। स्वतंत्र होने से पहले यह बात कुछ समझ में आने योग्य थी कि स्वदेशी की भावना पैदा करने के लिये हमें खादी की आवश्यकता है। परन्तु अब इसका कोई अर्थ नहीं है। हम हर वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। बैंगलोर में विमान बनाये जा रहे हैं। अतः यह तर्क कि खादी का उत्पादन स्वदेशी भावना पैदा करने के लिये किया जा रहा है सारहीन है। इस समय खादी लाभदायक वस्तु नहीं है। खादी के नाम पर करोड़ों रुपये बर्बाद किये जा रहे हैं। खादी बोर्डों का प्रबन्ध मनमाने ढंग से किया जा रहा है। मैसूर खादी बोर्ड ने गत दस वर्षों से अपने लेखे पेश नहीं किये हैं। यह बड़े शर्म की बात है। यह मामला मैसूर

विधान सभा में भी उठाया गया था तथा वहां के मुख्य मंत्री ने कहा था कि वह किसी से गत दस वर्षों के लेखे तैयार करवायेंगे। इसका अर्थ तो यह हुआ कि वह लेखे मनमाने ढंग से बनाये जायेंगे। अतः मैं वाणिज्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रश्न पर गौर किया है और लोक लेखा समिति से अनुरोध करता हूँ कि वह मैसूर खादी बोर्ड के लेखों की जांच करे। इसी प्रकार आन्ध्र खादी बोर्ड भी अपने लेखे पेश नहीं करता है। प्रति वर्ष खादी बोर्डों को करोड़ों रुपये का ऋण दिया जाता है जिस की वसूली कभी नहीं की जाती। क्या किसी उद्योग को चलाने का यह सही ढंग है। वास्तव में खादी बोर्ड हारे हुए कांग्रेसियों के लिये सहारे का एक साधन बन गये हैं। आप यह देख सकते हैं कि खादी बोर्डों के सब सदस्य तथा कर्मचारी हारे हुए कांग्रेसी हैं।

मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि जब तक हम उत्पादन पर अधिक खर्च नहीं करेंगे, हम अपने निर्यात को नहीं बढ़ा सकते। यह सब योजना प्रणाली पर निर्भर है परन्तु हमारी योजना दोष पूर्ण है। चौथी पंचवर्षीय योजना का $1\frac{1}{2}$ वर्ष समाप्त हो चुका है, तो भी हम अपनी योजना नहीं बना सके। संसार के छोटे छोटे देश अपनी योजनायें बना रहे हैं, परन्तु भारत जैसे बड़े देश की कोई योजना नहीं है। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि विभिन्न वस्तुओं का निर्यात उत्पादन से सम्बन्धित किया जाना चाहिये। इस समय उत्पादन कार्यक्रम और निर्यात-कार्यक्रम में कोई समन्वय नहीं है। तब तक हमारा उत्पादन नहीं बढ़ता हमारा निर्यात नहीं बढ़ सकता। परन्तु इसके साथ साथ हमारा उत्पादन भी तब तक नहीं बढ़ सकता, जब तक कि हमारी उत्पादन लागत को कम न किया जाये और उत्पादन लागत जब तक कम नहीं हो सकती जब तक सारे मूल्य ढांचे को न बदला जाये। अतः मुद्रा स्फीति सब बिमारियों की जड़ है। इसने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है। इसे खत्म किया जाना चाहिये और इसके लिये एक समूची योजना का बनाया जाना आवश्यक है। हमें अच्छी किस्म की वस्तुओं का निर्यात करना चाहिये। आज बहुत से देशों से ये शिकायतें प्राप्त हो रही है कि भारतीय सामान की किस्म पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस बात का ध्यान रखा जाये कि केवल अच्छे किस्म के उत्पादों का निर्यात किया जाये, क्योंकि अन्ततः निर्यात की सफलता निर्यात किये जाने वाले माल की किस्म पर निर्भर है। यदि व्यापारी इस सम्बन्ध में बेइमानी करते हैं और अच्छी किस्म का सामान नहीं भेजते तो पूरे विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये।

श्री बेदब्रत बरुआ (कलियाबोर) : इस चर्चा के दौरान राज्य व्यापार निगम से लेकर कुटीर उद्योगों तक बहुत से संगठनों की आलोचना की गई है। कुटीर उद्योगों अथवा छोटे पैमाने के उद्योगों का हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। रोजगार की दृष्टि से तथा बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये हमें कुटीर उद्योगों एवं छोटे पैमाने के उद्योगों के योगदान पर जोर देना होगा। राष्ट्रीयकरण हमारी समस्त आर्थिक नीतियों का उद्देश्य एवं अन्त नहीं है। हमारी आर्थिक नीति का उद्देश्य कम पूंजी लगाकर अच्छे रोजगार एवं अधिक रोजगार देना है। अतः कुटीर उद्योगों अथवा छोटे पैमाने के उद्योगों का हमारी अर्थ व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है और सरकार ने इस पर जोर देकर अच्छा काम किया है।

कल वाणिज्य मंत्रालय की मांगों पर हुई चर्चा के दौरान राज्य व्यापार निगम के आयात तथा निर्यात व्यापार के कार्यों की जो आलोचना की गई थी, वह भेदभाव पूर्ण एवं खेदजनक

थी। तश्कर व्यापार को रोकने, विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग को बन्द करने तथा बीजक में अधिक राशि अथवा कम राशि दिखाकर बेईमानी करने आदि के कदाचारों को रोकने के लिये राज्य व्यापार निगम ने व्यापार कार्य आरम्भ किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण मध्यान्ह भोजन के उपरान्त जारी रखें।

इसके पश्चात लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha their adjourned for Lunch Till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात 2 बज कर 4 मिनट पर म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha Re-assembled after Lunch at For minutes past Fourten of the clock

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair* }

श्री बेदव्रत बरुआ : राज्य व्यापार निगम सराहनीय काम कर रहा है। कुछ वर्ष पहले इसने केवल 9 करोड़ रूपये की धनराशि से काम आरम्भ किया था। इस समय इसका व्यापार 151 करोड़ रुपये का है। इस राष्ट्रीय संगठन को हमारे समर्थन तथा शुभकामनाओं की आवश्यकता है क्योंकि इसके जरिये हम उनके कदाचारों एवं आयात निर्यात व्यापार की त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस बात पर न केवल हमारे देश में बल्कि संसार भर के लोग विश्वास करते हैं कि व्यापार प्रबन्ध को सुचारु बनाने तथा निर्यात को बढ़ाने की जो आशायें निजी व्यापार से की गई थी, वह उन्हें पूरा नहीं कर सका है। अतः निर्यात के मामले में राज्य व्यापार निगम महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

कल एक माननीय सदस्य ने राज्य व्यापार निगम की आलोचना करते हुए कहा था कि मूल्यों में वृद्धि होने का कारण राज्य व्यापार निगम द्वारा ऊंची कीमतों पर खरीद करना है। परन्तु यदि विदेशी बाजार से निगम कुछ वस्तुए इकट्ठी खरीदता है, तो उसे लाभ होता है, जो किसी निजी व्यापारी को नहीं हो सकता और आंकड़ों से यह बात सिद्ध होती है कि राज्य व्यापार द्वारा इक्ट्ठी वस्तुओं के खरीदने में देश को लाभ हुआ है इस आलोचना में कुछ सचाई हो सकती है कि राज्य व्यापार निगम कुछ वस्तुओं का निर्यात करने में सफल नहीं हो सका, परन्तु इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे उन वस्तुओं का प्राथमिकता प्राप्त वस्तुएं न होना, उन वस्तुओं एवं उनके कच्चे माल का समय पर उपलब्ध न होना तथा बन्दरगाहों पर माल के लदान की कठिनाई होना इत्यादि इत्यादि/मैं इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता कि राज्य व्यापार निगम के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार की जो बातें

कही गई है, वे निराधार है। कुछ भूलें हो सकती हैं, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हमें ऐसे राष्ट्रीय संगठन को कोई सहयोग एवं समर्थन नहीं देना चाहिये। यह बात स्वीकार करनी होगी कि इसे राष्ट्रीय सगठन होने के कारण आयात और निर्यात के मामलों में प्राथमिकता निर्धारित करनी होती हैं। अधिकतर आलोचना इसके सरकारी क्षेत्र के संगठन होने के कारण की गई है और कुछ लोग सरकारी क्षेत्र को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। इस बात की परवाह किये बिना कि यह उद्यम सरकारी क्षेत्र का है अथवा निजी क्षेत्र का आलोचना निष्पक्ष होनी चाहिये। दोनों ही क्षेत्रों में त्रुटियां हैं और उन्हें दूर किया जाना चाहिये। याद रखने की बात तो यह है कि गैर-सरकारी क्षेत्र का भी हमारे जीवन में एक स्थान है और किसी भी सरकार के लिये सारे गैर सरकारी उपक्रमों का राष्ट्रीय करण करना संभव नहीं है। इसके साथ साथ सरकारी क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्र में कुछ सहयोग होना चाहिये। राज्य व्यापार निगम गैर सरकारी क्षेत्र को व्यापार में विभिन्न प्रकार से सहायता दे सकता है। ऐसे मामले हुए हैं जब कि गैर सरकारी व्यापारी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से माल नहीं खरीद सके हैं तथा उन्होंने राज्य व्य पार नि म से सहायता मांगी है और राज्य व्यापार निगम ने उन की सहायता की है। राज्य व्यापार निगम के अधिकारी संसार के विभिन्न देशों में हैं, जो गैर सरकार उद्यम की सहायता करते हैं। अतः राज्य व्यापार निगम का कार्य गैर सरकारी क्षेत्र के हितों के अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं।

सरकार कपड़ा उद्योग का युक्तिकरण करने की बात कह रही है। पिछले वर्ष 36 नये मिलें खोले गये हैं तथा तकुओं की सख्या में 25,000 तकुओं की वृद्धि हुई है कपड़ा उद्योग में प्रतिस्पर्द्धा की भावना पैदा नहीं की जा सकती क्योंकि इससे बेरोजगारी फैलेगी हमारी नीति यह है कि हम यह सुनिश्चित करें कि मजदूरों को हानि न हो। तथापि कपड़ा उद्योग का युक्तिकरण आवश्यक है। अतः कपड़ा उद्योग में युक्तिकरण इस ढंग से लागू किया जाना चाहिये जिससे जन साधारण को लाभ पहुँचे। कुछ मिल सीमान्त हैं, और ये सब से कम कुशल एकक है, किन्तु किमतें ये ही तय करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि आर्थिक दृष्टि से कम लाभप्रद कारखानों की देखभाल करें तथा उन्हें शेष कारखानों के स्तर पर लाने का प्रयत्न करें।

कपास के मूल्य के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि इस व्यापार में तीन प्रकार के व्यक्ति काम कर रहे हैं एक है निर्माता–जो कपास से कपड़ा बनाता है। मैं यह तो नहीं कहता कि इस व्यापार में कदाचार ही कदाचार है, परन्तु यह मानने की बात हैं कि निर्माता को निर्धारित मूल्य से 15 प्रतिशत अधिक मूल्य देना पड़ता है दूसरा है बिचौलिया और तीसरा उत्पादक। कपड़े के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिये सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कपड़ा मिलों को कपास के निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य न देना पड़े और किसान को भी लाभकारी मूल्य मिल सके। ऐसा करने के लिये यह आवश्यक है कि बिचौलिये व्यापारी को खत्म किया जाये, क्योंकि मूल्यों में वृद्धि बिचौलिये के कारण होती है। सरकार को स्वयं बिचौलिये का स्थान लेना होगा तथा कपास का वितरण अपने हाथ में लेना होगा और इस बारे में एक संगठन बनाना होगा। मैं समझता हूँ कि ऐसा करने के बाद ही किसानों और निर्माताओं द्वारा ऊंचे मूल्य की मांग की जाने के कारण ओर इस प्रकार की एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होने

के कारण कपड़े के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृति को रोका जा सकेगा। एक ऐसा संगठन बनाया जाना चाहिये जहां सारी कपास इकटठी की जा सके तथा उसका स्तर नियत किया जा सके और उसे चाय की भांति नीलामी से बेचा जा सके।

कपड़ा आयुक्त का काम सन्तोष जनक नहीं रहा है जिस किसी को कपड़ा आयुक्त को कार्यालय में कोई काम पड़ा, वहीं वहां से अप्रसन्न हो कर लौटा है। इस कार्य की जांच की जानी चाहिये।

चाय देश के लिये विदेशी मुद्रा अर्जित करती है। चाय को भी अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में लंका तथा इन्डोनेशिया से प्रतियोगिता प्रतिस्पर्द्धा करनी होती है। वर्ष 1965 तक हम चाय के सब से बड़े निर्यातक थे, परन्तु वर्ष 1965 में हमें यह स्थान श्री लंका को प्राप्त हो गया। चाय उद्योग की कुछ समस्यायें है। इनकी और सरकार को ध्यान देना चाहिये। जहां तक मेरे राज्य का सम्बन्ध है, हमारी एक विशेष समस्या है। आसाम से आने वाली चाय पर जो इंगलैंड भेजी जाती है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश शुल्क लगाया जाता है। जो राज्य चाय का उत्पादन करता है, उसे पश्चिम बंगाल को प्राप्त होने वाली धनराशि के बराबर भी भाग नहीं मिलता और चाय की प्रतिस्पर्धा की क्षमता पर अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में विपरीत प्रभाव पड़ता है। सरकार को इस सम्बन्ध में जांच करनी चाहिये।

कपास के मूल्य की तरह पटसन के मूल्य भी अस्थिर हैं। इससे एक बड़ी हानी यह होती है कि जब पटसन के मूल्य अधिक होते हैं कि किसान पटसन पैदा करता है तथा जब इसके मूल्य गिर जाते हैं तो वह सोचता है कि उसने पटसन पैदा करके गलती की है उसे चावल पैदा करना चाहिये था और फिर उसी खेत में वह चावल पैदा करने लग जता है। इस प्रकार भाव के उतार चढ़ाव के साथ वह अपनी पटसन और चावल की पैदावार भी बदलता रहता है। पटसन ने भाव में स्थिरता होनी चाहिये।

अब में एक महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो आसाम से सम्बन्धित है। आसाम में एक सहकारी पटसन मिला है।

पहले तो दो वर्ष तक पटसन आयुक्त ने इसके लिये लाईसेंस नहीं दिया तदुपरान्त कुछ सालों तक वित्त निगम द्वारा ऋण, नहीं दिया गया। इसी बीच अवमूल्यन की घोषणा कर दी गई, जिस के परिणामस्वरुप हम पर 11 करोड़ रुपये की लागत आई। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सहकारिता की राष्ट्रीय नीति को बढ़ावा देने का क्या यही तरीका है।

अन्त में मैं कहना चहता हूं कि हमारे वाणिज्य तथा व्यापार में इस प्रकार का संतुलन होना चाहिये कि न तो साम्यवादी देश और न ही पश्चिमी देश हम पर दबाव डाल सकें।

Shri Madhu Limiye (Monghyr): The performance of the Commerce Ministry has not been up to the expectation in the past and as a result there of we have to suffer heavy losses in our export-import trade.

When India was declard independent, it was suggested that all the tea-gardens owned by Britishers should be nationalised as we had heavy sterling balances at that time and Compensation for nationalisation could have been easily paid out of that. But unfortunately it was not doneat that time and subsequently our sterling balances has been exhasted on import of foodgrains and other luxery articles. Now the difficulty is that the British te Planters are earning huge profits and sending that amount to foreign amount to foreign countries. They are not investing their profits in tea-gardens in our country but they are planting new tea gardens with this money in East African countries. I know that this Government is not going to nationalise these tea gardens. My submisstion is that if they are not in a position to nationalise them, atleast it should be made legal binding upon the British Tea lanters to invest their profits in planting new plants and modernising their tea gardens. They should not be allowed to take this profit out of the country.

Secondly I would like to point out that there is vast difference of price at which tea is available in the country and the price at which it is being sold in the international market. I suggest that steps should be taken to remove this gap, so that we may get tea in our country at reasonable prices.

Next I would like to point out that machines have been made by an Italian firm for processing cashew Kernels. So far we have been importing raw cahew nuts from East Afr can countries and then exporting them after processing. But as factories are being set up in East African countries foy processing cashew nuts, it will not be possible for us to import raw cashew nuts from those countries after a couple of years. So we should prepare a comprehensive p an to increase the production of cashew Kerne is internally.

So far as State Trading Corporation is concerned, I would like to point out that the institution is a slur on the name of socialism. It has done no good work. During he last Lok sabha a question was raised about the sulphur scandal in which this State Trading Corporation was involved. The State Trading Corporation had given a contract for the supply sulphar to such an American firm that had not standing at all. At the time when this question was raised it was assured that a through enquiry would be made in this regard and those held responsible would be given suitable punishment. But nothing has been done so far. I have been asking time and again from the hon'ble Minister and now I again ask as to what penalty has been imposed on the company and the officials who have entered into a contract worth Rupees three and half lakhs in such an irresponsible manner,

During September last a delegation from Hungry visits India and negotiations took place with regard to the export of yarn. Business community was not inclined to sell yarn at the rate prescribed by the delegation. Irrespective of this fact, the Chairman of S.T.C. visited Hungary. He must have been entertained luxuriously but what was the result ? The hon'ble Minister has now informed that a loss of Rs.685,'00 is anticipated. I had then asked "Whether any enquiry has been ordered into this transaction" and the answer was "No, Sir." There are other matters also in which S.T,C. is involved. These is no improvement in the working of this Ministry. In my opinion the Textile Commissioner, Jute commissioner and the Controller of Imports and Exports should be sent to jail under the Prevension Detention Act and the Defence of India Rules. I have already given one Prima facie case and there will be many more cases under which they can be sent to jail.

In the case of Nylon-flament, the Taxtile Commissioner has issued all the licences of Bombay Dhanraj Mills alone which was likely to be liquidated. On this ground done the

Taxtile commissioner could be put into jail and in this manner he will reveal all the facts Madhusudan Gordhan Dass Company had been working in the name of Dhanraj Mills which is universal Import and Export Agency. The Controller of Imports and Exports has favoured this firm out of the way which is quite illegal. No action has been taken in this regard so far.

Similar is the case of Jute Controller. The Jute Commissioner had purchased Mesta worth Rs. 16 crores during 1965-66 which is said to be imported under open General Licence. In this connection I may state that the company in Thailand is same as in India. It is not a Thai company but an Indian company. Once they promise to Send Masta on a particular date but thereafter the ydo not fulfil their commitment and they will say that it is not avilable. Mesta which was purchased earlier will be show in the books that the same was purchased at a higher price, in this manner scarce foreign exchange had been spent. This matter has not so far been investigated. I, therefore, demand immediate suspension of Jute Commissioner and suggest the Minister to take concrete steps in this direction.

In case of cotton, the cultivators of Gujarat and their Cooperative Societies had written to the Taxtile Commissioner that our cotton, which is likely to be confiscated, is not ours but the same belongs to Mill owners. The investigations in this respect have so far not been complited. The Second thing is that cotton which was imported under border deal, its time limit was upto August only but it was violated, the licences were predated and the cotton was given to Mill-owners who had sold it to Birlas etc. I want that this matter should be investigated. This cotten should be confiscated and distributed amongst all the Mills which would help in solving the cotton crisis.

I would also like to inform the House that this Import Entitlement Scheme has done much harm to the country. I had sent a list of 200 bogies firms to the Goverment, Shri Manubhai Shah was behind these firms which had no exports at all but export were shown against their name and on at that basis import licences were issued to them. Similarly there has been great bungling in the import of eather and books.

Then under the Import Entitlement Scheme watches and their parts were imported from Switzerland. The article worth one rupee was shown worth 2 annas. The person concerned has earned few crores of rupees. Attention of Ministry of Finance was invited in this connection but I am not aware of the action thereon. The Commerce Ministry has become corruption Ministry.

The Government has no policy of their own in regard to the export duty and excise duty on tea. We had been told that there would be increase in exports devaluation but it has been provided otherwise.

There has been all admiration for the working of S. T. C. but I have just now quoted the incidence of exploitation of market of Hungary. In the case of supply of defective tyres Shri Bhagat, Minister of State in the Ministry of Defence has told that a departmental committee is being appointed to investigate the matter. This is the way of that matters are postponed. We should give serious thought to this matter. Instead of indulging into self praise commerce Ministry should look into its deficiencies and take concrete steps to remove them and improve the situation.

In fact we are depending too much on Britain all walks of life. The hon'ble Minister has himself admitted that there is no basic change in the trade policy. I want that our trade should increase with East European countries but at the same time we should not ignore the principles of trade.

There are certain countries of commen market who want to have trade relations with them. Britain and America have been treating Japan as their enemy but we should have treated Germany and Japan alike. We should have taken steps to improve our relations with these countries. After 20 years of inpependence we should not depend on Britain and I want to know when our Government will establish trade relations with all countries of the world ? The Government should depute people of integrity especially to negotiate with T. E. C.

श्री हिम्मत सिंहका (गोड्डा) : अवमूल्यन से निर्यात में वृद्धि होने की आशा थी परन्तु दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं सका । मेरे विचार से निर्यात में कमी का कारण दो वर्ष सूखा पड़ने से विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में कमी है नहीं तो निर्यात से वृद्धि के लिये अवमूल्यन से सहायता अवश्य मिलती । बहुत सी महत्वपूर्ण वस्तुएं कृषि पर आधारित है इसलिये कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सभी संभव प्रयास करने चाहिये । उर्वरक उपलब्ध करना अधिक पानी की व्यवस्था करना, अच्छे बीज, खाद्य आदि उपलब्ध करना आदि कार्य समय पर किये जाने चाहिये । यदि ऐसा किया जाय तो प्रति एकड़ पैदावार बढ़ेगी । यदि हम इस देश के आंकड़ों का मुकाबला अन्य देशों के आंकड़ों के साथ करें तो पता चलता है कि तीन या चार गुना पैदावार अभी और बढ़ाई जा सकती है । उत्पादन में वृद्धि हो जाने से लागत में भी कमी होगी । सरकार को उन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिये जो हमारी वस्तुओं के मूल्यों के साथ को इस योग्य नहीं होने देती कि वे अन्य देशों में वस्तुओं के मूल्यों के साथ होड़ ले सकें । पाकिस्तान ने अपने निर्यात में काफी वृद्धि करली है और कोई कारण नहीं कि भारत निर्यात में वृद्धि न कर सके । हमारे देश में अच्छे उद्योगपति है, धन अच्छी प्रकार से लगाया जाता है परन्तु जिस नीति का अनुसरण किया जा रहा है वह अधिक लाभप्रद नहीं है । पाकिस्तान के पास अच्छी प्रकार का पटसन है और उसका मूल्य भी कम है उसके साथ साथ वहां की सरकार भी निर्यात करने वालों को कुछ प्रोत्साहन देती है । यदि वे कुछ निर्यात करते हैं तो उसके बदले में उन्हें आयात की अनुमति मिल जाती है और लाइसेंस भी लाभ पर बेचे जा सकते हैं । इसलिये वे भारत से सस्ते मूल्य पर बेच सकते हैं । और इस प्रकार विदेशों में भारत की हानि हो रही है । इसलिये सरकार का विदेशों के साथ मुकाबला करने के लिये विभिन्न उपायों पर विचार करना चाहिये ।

[श्री एस० एम० जोशी पीठासीन हुए]

दूसरी बात यह है कि हम पटसन और पटसन की बनी वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगा रहे हैं । मेरे विचार में वस्तुओं के मूल्यों में कमी करने पर विचार करना चाहिये जिससे वे स्पर्धा के योग्य बन सकें ।

चाय पर भी उत्पादन शुल्क लगा हुआ है । इसलिये हम श्रीलंका तथा अन्य देशों का मुकाबला नहीं कर सकते और चाय के निर्यात में कमी हो रही है । इस मामले पर भी विचार किया जाना चाहिये ।

सरकार को निर्यात का व्यापार लाभप्रद बनाना चाहिये । देश के अन्दर वस्तुओं के जो मूल्य मिलते हैं वह अन्य देशों की अपेक्षा बेहत्तर है । इसलिये ऐसी कार्यवाही करने की आव-

श्यकता है जिससे यदि निर्यातोन्मुखी वस्तुओं का मूल्य अधिक हो तो सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये और राज्य सहायता या किसी अन्य तरीकों से मूल्यों का कुछ अंश पूरा करना चाहिये जिससे वे विदेशी बाजारों में स्पर्धा कर सकें। व्यापारियों तथा उद्योगपति को भी चाहिये कि वे किस्म में सुधार करें।

हमारे देश की अर्थ व्यवस्था के विचार से निर्यात का व्यापार बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक हम अपने निर्यात में वृद्धि नहीं करते तब तक वस्तुओं का आयात नहीं कर सकते। क्योंकि हम आयात का भुगतान भी केवल निर्यात से ही कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास सोना आदि तो है नहीं जिसे हम दे सकें। युद्ध के वर्षों में जितनी स्टरलिंग मुद्रा जमा थी वह समाप्त हो गई है और आज हमारा देश सदा से कहीं अधिक ऋणी है। इसलिये उत्पादन में वृद्धि करना बहुत आवश्यक है और सरकार को भी कुछ ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये जिससे निर्मातावर्ग स्पर्धा के योग्य बन सके।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि पर आधारित वस्तुएं ही नहीं परन्तु इन्जीनियरिंग की वस्तुओं की बिक्री में कमी हो रही है। इसलिये यह आवश्यक है कि सरकार इन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये ठोस कार्यवाही करें।

बहुत सी ऐसी वस्तुओं का आयात किया जा रहा है जिनका निर्माण देश के भीतर हो हो सकता है। कुछ वस्तुओं के निर्माण के लिये कच्चे माल के आयात की आवश्यकता हो सकती है परन्तु कच्चे माल का आयात करना अधिक लाभप्रद है। इस प्रकार विदेशी मुद्रा की भी हम काफी हद तक बचत कर सकेंगे। सरकार छोटी छोटी बातों की ओर भी ध्यान नहीं दे रही। उदाहरण के लिये हीरे काटने की मशीन के आयात की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप इसरायल हीरे और मरकतमणि के निर्यात में हमें पीछे छोड़ता जा रहा है। जो काम हमारे देश में 10 घण्टे में होता है, इसरायल में वही काम एक घण्टे में होता है क्योंकि उनके पास हीरे काटने की मशीन हैं। फिर इस मशीन पर अधिक लागत भी नहीं आयेगी। मशीन के प्रयोग से वस्तु का निर्माण एक जैसा होता है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस दिशा में कुछ कार्यवाही करेंगे जिससे हमारे निर्यात में वृद्धि होगी।

जहां तक ट्रैक्टर के निर्माण का प्रश्न है, हमारे देश में इतनी क्षमता है कि वह अपनी आवश्यकता पूरी कर सके। ट्रैक्टर बनाने के लिये मशीन आयात करने का एक सुझाव दिया गया है। परन्तु जब हमारे देश में ट्रैक्टर निर्माण की पूरी क्षमता है तो करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा खर्च नहीं की जानी चाहिये। मुझे पता चला है कि प्रलोभन यह था कि राज्य व्यापार निगम को मशीनें आयात करने के लिये कहा जायेगा तो उन्हें कुछ कमीशन मिल जायेगी। परन्तु यह खतरनाक बात होगी।

श्री मनोहरन (मद्रास उत्तर) : अवमूल्यन के पश्चात निर्यात में वृद्धि के बारे में वाणिज्य मंत्री चाहे जो कुछ कहते रहें परन्तु तथ्य यह है कि अवमूल्यन के पश्चात निर्यात में भारी कमी हुई है। अवमूल्यन के दो उद्देश्य थे एक निर्यात में वृद्धि करना और आयात में कमी करना, इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में सरकार असफल रही है और इससे देश की

अर्थव्यवस्था की हानि हुई है । यह एक गम्भीर स्थिति है और वाणिज्य मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये ।

दूसरे जहां तक गंधक के समझौते का संबंध है मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस मंत्रालय के अन्तर्गत 6 निगम हैं जिनमें से एक राज्य व्यापार निगम है । इस निगम ने गन्धक का एक समझौता किया था । इस सम्बन्ध में मैं केवल यह बताना चाहता हूँ कि न्यूयार्क में चमड़े के एक व्यापारी ने इस निगम को ही नहीं, बल्कि उसके माध्यम से वाणिज्य मंत्रालय और अन्ततोगत्वा समस्त राष्ट्र को धोखा दिया है । इस फर्म का नाम ओवल इन्डस्ट्रीज है । इस झूठी फर्म ने 33,60,000 टन गन्धक देने का आश्वासन दिया था । इस फर्म ने गन्धक का कभी व्यापार ही नहीं किया । इस समझौते के अन्तर्गत 9.39 लाख रुपये की धन राशि जो पहले ही भेजी जा चुकी उसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं, मैं नहीं जानता । यह भी कहा गया है कि राज्य व्यापार निगम उक्त फर्म के विरुद्ध सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही कर रहा है । यह तो 1966 की बात थी । मैं अब वाणिज्य मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इस झूठी फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, कोई कार्यवाही की भी गई है या नहीं और यदि नहीं तो क्या कोई कार्यवाही करने का विचार है क्योंकि इस समझौते में सार्वजनिक धन खर्च किया गया है । अन्ततोगत्वा इसका उत्तरदायित्व वाणिज्य मंत्री पर होगा । दो बातें हैं और वे ये कि एक तो स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने इस धन राशि के बारे में जो छानबीन की थी, उसका क्या हुआ और दूसरे इस फर्म के विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की गई है । मेरे विचार में राज्य व्यापार निगम के निदेशक श्री सियाल तीसरे न्यूयार्क में रहने वाले श्री वदरीजन इस कांड के व्यापार निगम के अध्यक्ष श्री पटेल, राज्य लियं उत्तरदायी हैं । यदि ये व्यक्ति दोषी सिद्ध हो जायें तो सरकार जो चाहे उनके विरुद्ध कार्य करे । परन्तु मुझे विश्वास है कि यही तीनों व्यक्ति इस कांड के लिये उत्तरदायी हैं । मैं सरकारी उपक्रमों के पक्ष में हूं परन्तु ऐसे ही लोग इन उपक्रमों को बदनाम करते हैं ।

एक दूसरा मामला है जिसमें टेलीविजन की एजेन्सी एक अधिकारी के सम्बन्धी को दी गई थी । यह राज्य व्यापार निगम के अधिकारी हैं जिनका नाम श्री सियाल है और कम्पनी का नाम है जिसको । मंत्री महोदय को इस कांड की जांच करनी चाहिये क्योंकि इससे निश्चय ही हमारे देश का स्वरुप नष्ट हो रहा है ।

दस्तकारी और हाथ करघा निर्यात उद्योग भी विदेशी मुद्रा खराब कर रहा है । एक ओर तो यदि सरकार से आयात के लिये जब धन मांगा जाता है तो सरकार साफ जवाब दे देती है कि विदेशी मुद्रा नहीं है परन्तु दूसरी ओर दस्तकारी, हथकरघा निर्यात निगम के कितने अधिकारी विदेशों में जा रहे हैं और इस प्रकार विदेशी मुद्रा नष्ट की जा रही है । वाणिज्य मंत्री को इस बात की ओर तत्काल ध्यान देना चाहिये ।

वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत 6 निगमों में से एक भी निगम ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो । जहां तक निर्यात प्रोत्साहन का सम्बन्ध है । वास्तव में इन्जीनियरिंग की वस्तुओं के निर्यात का बहुत कम अवसर है । वर्ष 1965-66 के दौरान 24.5 करोड़ रुपये के सामान

का कुल निर्यात हुआ। वर्ष 1966-67 के बीच इन वस्तुओं का निर्यात घटकर 20 करोड़ रुपये का रह गया। चकित करने वाली बात तो यह है कि यह स्थिति तब है जब 1966-67 के दौरान इस उद्योग को लगभग 280 करोड़ रुपये दिये गये थे। मंत्री महोदय को इस विषय पर ध्यान देना चाहिये।

खादी का व्यापार तो आर्थिक बर्बादी है। अगस्त 1963 में सरकार ने एक कार्यकारी दल की स्थापना की जिसका कार्य खादी और ग्राम उद्योगों के कार्यों का अध्ययन करना था। इस कार्यकारी दल के निष्कर्ष के अनुसार 31 मार्च 1964 को 13 करोड़ रुपये की रकम का खादी का स्टाक था। मार्च 1966 के अन्त में खादी का भण्डार 22.53 करोड़ रुपये का जमा हो गया था।

एक अन्य रिपोर्ट आई कि 28.46 करोड़ रुपये का स्टाक गोदाम अथवा शो-रूम में उपलब्ध है। यह आर्थिक अपव्यय है, खादी देश की अर्थ व्यवस्था पर एक बोझ बन गई है और देश में उपहास की बात हो गई है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

पहले मद्रास राज्य को ब्लिडिंग मद्रास कपड़े के निर्यात से लगभग 6 करोड़ रुपए प्राप्त होते थे, जो अब घटकर केवल कुछ लाख रुपए रह गये हैं। यह कहना सही नहीं है कि हम जापान और हांगकांग के साथ प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकते। हमारी जानकारी तो यह है कि इसका कारण हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन निगम की अयोग्यता और उदासीन रवैया है। हमारा राज्य जब केन्द्र से वित्त मांगता है तो कह दिया जाता है कि कोई वित्त नहीं हैं। आप हमें सहायता तो दे ही नहीं रहे परन्तु साथ ही ब्लिडिंग मद्रास के हमारे निर्यात व्यापार की संभावना को भी समाप्त कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि वाणिज्य मंत्री इस पहलू पर भी ध्यान देंगे।

आजकल प्रत्येक संस्थान को दिल्ली ले जाने का फैशन हो गया है। मद्रास में केवल एक ही केन्द्रीय संस्थान अर्थात् खाद्य निगम था। हाल में सरकार ने उसे दिल्ली ले जाने का निर्णय किया है। मेरा अनुरोध है कि इसकी क्षति-पूर्ति के लिये अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को मद्रास में ले जाना चाहिए और मद्रास में काफी करघों और हथकरघा कपड़े के काफी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए यह उचित भी है। सभी निगमों, जैसे राज्य व्यापार निगम, हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन और खनिज तथा धातु व्यापार निगम; के काम की जांच के लिये एक संसदीय समिति स्थापित की जानी चाहिए और दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि वाणिज्य मंत्री मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : सभापति महोदय, मैं वाणिज्य मंत्री को आज की एक कठिन स्थिति का सामना करने के लिये उनके सार्थक प्रयत्नों के लिये बधाई देता हूं परन्तु साथ ही इस देश के निर्यात-आयात व्यापार की कठिनाइयों के प्रति उन्हें सतर्क करना चाहता हूं। हमारा आयात बढ़ता जा रहा है और उधार लेने की हमारी क्षमता भी समाप्त हो रही है। निर्यात में कमी से स्थिति और भी चिन्ताजनक हो गई है। 6 जून, 1966 को जब अवमूल्यन किया गया तो सोचा गया था कि इससे हमारा निर्यात बढ़ेगा। अवमूल्यन के पहले सात महीनों में 1965 की इसी अवधि की तुलना में हमारा निर्यात 15 प्रतिशत कम हो गया।

वास्तव में अवमूल्यन के पश्चात् की कार्यवाही करने में सरकार को बहुत समय लगा। सौभाग्य से 1966 के अन्त में स्थिति में कुछ सुधार हुआ। वास्तव में परम्परागत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने की गुंजाइश नहीं रही है। इसलिए हमें अन्य वस्तुओं, जैसे जूते, इस्पात, लौह अयस्क और औद्योगिक उत्पादों का निर्यात बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। अवमूल्यन के समय यह आशा की गई थी कि औद्योगिक क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जायेगा परन्तु उचित उपाय नहीं किये जाने के कारण ऐसा नहीं हुआ।

पिछले वर्ष की तुलना में पटसन उत्पादों का निर्यात 9.3 लाख मीट्रिक टन से घटकर 7.5 लाख मीट्रिक टन हो गया। इसका कारण पटसन की सप्लाई में कमी बताया गया। अमरीका, ब्रिटेन, रूस, संयुक्त अरब गणराज्य और अर्जेन्टाइना ने कम मात्रा में बोरे खरीदे। मेरे विचार में तो पटसन की बोरियों के स्थान पर पॉलीथीन कागज के थैले आदि जैसी वस्तुओं को उपयोग किया जाने लगा है। इसलिये मंत्रालय को जांच करनी चाहिए कि इसका कारण सप्लाई की कमी अथवा कोई अन्य बात है। सारी रिपोर्ट में निर्यात में कमी का कोई कारण नहीं बताया गया है, केवल आंकड़े दिये गये हैं। पटसन निर्माता संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि पटसन उद्योग को विभिन्न मदों के अन्तर्गत सरकार से 12 करोड़ रुपए प्राप्त करने हैं। प्रशासनिक सुस्ती के कारण उद्योग को इस प्रकार धन देने में विलम्ब होने से कठिन परिस्थितियों का सामना करना असंभव हो जायेगा।

परम्परागत विदेशी व्यापार की एक अन्य महत्वपूर्ण वस्तु चाय का निर्यात 1963 में 132 करोड़ रुपये से घटकर 1964 में 125 करोड़ रुपये और 1965 में 115 करोड़ रुपये हो गया। निर्यात की मात्रा में भी कमी हुई। निर्यात की गई मात्रा के आंकड़े इस प्रकार हैं :

	(हजार किलोग्रामों में)
1964	2,10,523
1965	1,99,365
1966	1,90,900

अमरीका और ब्रिटेन में भारतीय चाय की खपत कम होती जा रही है और क्रमशः अफ्रीकी देशों तथा श्रीलंका को इससे लाभ हो रहा है। यह अवमूल्यन से पहले हुआ। मेरे विचार से इसके चार कारण हैं, अर्थात् (1) अत्यधिक का भार, (2) उत्पादन लागत घटाने की ओर ध्यान न देना, (3) लाभ के पर्याप्त भाग की मशीनों के आधुनिकीकरण और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये प्रयोग करने में उद्योग की असफलता और (4) पुराने ग्राहकों को बनाये रखने तथा नये ग्राहक बनाने में असफलता।

चाय उद्योग को वित्तीय संकट से निकालने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने एक वित्त निगम बनाने का सुझाव दिया था परन्तु अभी किया कुछ भी नहीं गया है। निर्यात के प्रयोजन के लिये लागू की गई कर समंजन प्रणाली से कोई लाभ नहीं हुआ। क्योंकि निर्यातकों को धन वापस प्राप्त करने में महीनों लगते हैं और बहुत से मामलों में निर्यातकों को पैसा छोड़ना पड़ा। ऊपर से सरकार ने शुल्क 4 से 8 पैसे प्रति किलो कर दिया है। इसकी अपेक्षा

चाय बोर्ड को उत्पादन शुल्क का कुछ भाग देने से अधिक सहायता मिलती। चाय बोर्ड को भिन्न-भिन्न मदों के अन्तर्गत धन मिलता है। इसलिए शुल्क में इस वृद्धि से उद्योग पर और भार पड़ेगा और मुझे संशय है कि इस प्रतियोगी विश्व में चाय उद्योग से निर्यात बढ़ाने तथा अधिक विदेशी मुद्रा कमाने की कहां तक आशा की जाती है। हाल में बजट में इस उद्देश्य से चाय पर कर लगाया गया था कि इससे आन्तरिक खपत कम हो जायेगी और निर्यात बढ़ेगा। इसके विपरीत चाय उद्योग देश में बिक्री से प्राप्त लाभ में कमी से वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। विदेशों में बिक्री घटने का कारण चाय का नहीं उपलब्ध होना नहीं अपितु, प्रतियोगिता तथा अन्य कारण हैं। अर्जेन्टाइना और न्यूजीलैण्ड में चाय की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत 7 पौण्ड है। ये बाजार हमारे हाथ से निकलकर श्रीलंका, फारमोसा और इण्डोनेशिया के कब्जे में चले गये हैं। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् ने अलाभकर चाय बागानों के कारणों का पता लगाते के हेतु एक सर्वेक्षण करने का सुझाव दिया था। यदि तुरन्त कार्यवाही न की गई तो ये बागान बन्द हो जायेंगे।

राज्य व्यापार निगम की विरोधी दलों के सदस्यों ने आलोचना की है। संभवतः वे राज्य व्यापार के सिद्धान्त के पक्ष में नहीं हैं। न केवल समाजवादी देशों में अपितु अन्य देशों में भी राज्य व्यापार आधुनिक व्यापार एक मान्य विशेषता है। आस्ट्रेलिया, कनाडा और अर्जेन्टाइना में गेहूं का व्यापार, अमरीका और कनाडा में 11 प्रतिशत आयात और ब्रिटेन में रूई का व्यापार राजकीय स्तर पर होता है। जापान में तम्बाकू व्यापार पर सरकार का एकाधिकार है। भारत के निर्यात व्यापार के क्षेत्र का विस्तार करने तथा लाभप्रद रूप से आवश्यक आयातों की व्यवस्था करने में राज्य व्यापार निगम ने सराहनीय कार्य किया है। नए बाजार खोलने और निर्यात क्षमता को विविध दिशा देने, जहां आवश्यक हो उन क्षेत्रों में गैर-सरकारी व्यापार को बढ़ावा देने के इसके कार्यकलापों की सराहना की जानी चाहिये।

पिछले कुछ वर्षों में इस निगम ने अपना व्यापार 9 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 152 करोड़ रुपये कर दिया है। इसमें 95 करोड़ रुपये के खनिज पदार्थ शामिल नहीं है जिनका व्यापार हाल ही में पृथक रूप से खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने किया है। वास्तव में यह एक बड़ा सराहनीय कार्य है। पटसन के सम्बन्ध में निगम को हस्तक्षेप करना पड़ा और भारी खरीद करनी पड़ी। इसका परिणाम यह हुआ कि हम पटसन के न्यूनतम मूल्य कायम रख सके और इससे किसान उचित मूल्य ले सके। कपास और तम्बाकू के मामले में भी निगम ने उत्पादकों की जो सहायता की है वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।

यह सभी स्वीकार करते है कि भारी खरीद का काम करने से निगम ने उत्पादकों की सहायता की है और कुछ निहित स्वार्थ वाले लोगों के शोषण से उन्हें बचाया है जिससे अन्ततः हमारे व्यापार तथा समृद्धि को क्षति पहुंच सकती थी।

यदि इस निगम ने कुछ मामलों में गलती की है या गलत निर्णय लिये हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिये। इसके विपरीत हमारा प्रयत्न यह होना चाहिये कि हम इस निगम के माध्यम से अपना निर्यात व्यापार अधिक से अधिक बढ़ाने के लिये कदम उठाएं।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : अवमूल्यन एक बहुत भारी भूल थी और सरकार का भला इसी में है कि वह इसे स्वीकार कर ले । यह कहना बिल्कुल बेइमानी है कि कुछ वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई है क्योंकि अवमूल्यन का कुल परिणाम यह है कि कुल मिलाकर निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हुई है अपितु निर्यात कम हो गया है ।

अवमूल्यन का घातक परिणाम यह हुआ है कि हमारे विदेशी ऋण 2900 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 4,300 करोड़ रुपये हो गये है । आयात की वस्तुएं महंगी हो गई हैं और मूल्य स्तर भी बढ़ गया है । सहायता देने वालों ने सरकार पर अवमूल्यन करने के लिये जोर डाला और उनके दबाव में आकर ही हमें यह भारी मूल्य चुकाना पड़ा है ।

वाणिज्य मंत्रालय यह दावा नहीं कर सकता कि निर्यात के लिये प्रोत्साहन देने की विभिन्न योजनाओं के कारण, जिनमें आयात अधिकार योजना भी शामिल है, उसने कुछ सफलता प्राप्त की है । आयात अधिकार का औसत प्रीमियम 150 प्रतिशत था । कुछ मामलों में तो वह 500 प्रतिशत तक पहुँच गया था । इस देश में यह सब से बड़ा घोटाला था और इससे बहुत से लोग एक ही दिन में लखपति बन गये हैं ।

जहां तक निर्यात को अनेक दिशाएं देने का सम्बन्ध है, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के इतने विस्तृत क्षेत्र में यह मंत्रालय कुछ नहीं कर सका है । इस शोचनीय स्थिति का एक मुख्य कारण यह है कि सरकार उन देशों को समान लाभ देने के लिये तैयार नहीं है । जब हम निर्यात करते हैं तो हमें आयात के लिये भी तैयार रहना चाहिये । दूसरी बात यह है कि निर्यात और आयात के इस प्रश्न को मूल रूप से हल करने के लिये यह आवश्यक है कि निर्यात और आयात व्यापार को गैर-सरकारी क्षेत्र के नियन्त्रण से मुक्त किया जाये ।

राजकीय व्यापार का हम स्वागत करते हैं परन्तु जिस ढंग से राज्य व्यापार निगम काम कर रहा है वह संतोषजनक नहीं है और उसमें काफी सुधार की जरूरत है ।

जहां तक नौवहन का सम्बन्ध है यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम अब भी ज्यादातर दूसरों पर ही आश्रित है क्योंकि नौवहन लाइनों पर पश्चिमी देशों का एकाधिकार है । इसका परिणाम यह होता है कि वे अपनी मर्जी की शर्तें रखते हैं और हमें वे माननी ही पड़ती हैं । अब समय आ गया है कि हम अपने नौवहन उद्योग का विकास करें ।

हमें कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये । काजू उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हजारों व्यक्ति इस उद्योग में लगे हुए हैं । यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारा 75 प्रतिशत कच्चा माल अफ्रीका से मंगाया जाता है । 20 वर्ष बीत गये हैं परन्तु हमारी सरकार ने भारत में कच्चे काजू के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये वास्तव में कोई कार्यवाही नहीं की है । पटसन की भी यही स्थिति है । कपड़ा उद्योग का काफी माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है । इसलिये मैं इस बारे में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कपास के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्न किये जाने चाहिये ।

हमें सरकार के इस नीति विषयक निर्णय से बड़ी प्रसन्नता है कि संकट-ग्रस्त मिलों को अपने अधिकार में लेने के लिये एक टेक्सटाइल निगम स्थापित किया जायेगा। कुछ लोगों द्वारा सरकार पर दबाव डाला जा रहा है कि इस नीति को छोड़ दिया जाये। लेकिन सरकार को अपने इस प्रस्ताव पर कायम रहना चाहिये और इसको कार्यान्वित करना चाहिये। उसे इस प्रस्ताव पर अमल कराना चाहिये और यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि इन मिलों से निकाले जाने वाले व्यक्तियों का उचित ध्यान रखा जाये।

जहां तक रबड़ उद्योग का सम्बन्ध है, 410 रुपये प्रति क्विंटल का पुनरीक्षित मूल्य रबड़ उत्पादकों के लिये लाभप्रद नहीं है। उत्पादकों के प्रतिनिधियों से कभी सलाह नहीं ली जाती। सरकार को उत्पादकों को उचित दाम देने चाहिये। यह दुर्भाग्य की बात है कि प्रशुल्क आयोग ने भी 414 रुपये की सिफारिश की है जो कि मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गये मूल्य के बराबर सा ही है। मुझे नहीं मालूम कि यह आयोग इस निर्णय पर कैसे पहुँचा। उन्होंने भूमि के मूल्य को बिल्कुल शामिल ही नहीं किया। रबड़ बोर्ड कानून द्वारा बनाया गया निकाय है। उसके पास तथ्य तथा आंकड़े हैं। इस बोर्ड का कहना है कि भारत में रबड़ का प्रति एकड़ औसत उत्पादन 400 पौंड है जबकि प्रशुल्क आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रबड़ बागान में रबड़ का प्रति एकड़ उत्पादन 800 पौंड है। मलयेशिया में प्रति एकड़ औसत उत्पादन केवल 800 पौंड है। भारत में इतना विकास कहां हुआ है हालांकि मैं मानता हूं कि हमें भी उस स्तर तक पहुँचने के लिये प्रयास करना चाहिये। मैं माननीय मंत्री को यह आश्वासन दिलाता हूं कि हम रबड़ के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जायेंगे। इसलिये सरकार को रबड़ उत्पादकों के साथ न्याय करना चाहिये। सरकार को लोगों की भावना का आदर करना चाहिये। क्या सरकार डनलप कम्पनी के हितों की रक्षा करने के लिये रबड़ उत्पादकों को बर्बाद करना चाहती है ? यदि वह अपनी इस स्थिति पर कायम रहेगी तो इससे बाद में राष्ट्र को हानि ही पहुँचेगी क्योंकि रबड़ का उत्पादन कम हो जायेगा। केरल विधान सभा के सम्बन्धित मंत्री ने विधान सभा में पिछले सप्ताह एक सरकारी संकल्प पेश किया था और उसे सर्वसम्मति से पास किया गया है। केन्द्रीय सरकार तथा प्रशुल्क आयोग ने इस मामले में जो स्थिति अपनाई है उसकी उस संकल्प में आलोचना की गई है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिये। उन्हें रबड़ बोर्ड के आंकड़ों के आधार पर मूल्य निर्धारित करना चाहिये क्योंकि रबड़ बोर्ड एक संविहित निकाय है और इस सरकार के प्रति उत्तरदायी है।

बंगाल के विग निर्माताओं, लगभग 2,000 परिवारों, को राज्य व्यापार निगम द्वारा इस क्षेत्र में प्रवेश किये जाने के कारण हाल में बड़ी कठिनाई हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में अब स्थिति क्या है और उनकी कठिनाई कैसे दूर की जा सकती है। मंत्री महोदय यह भी बतायें कि क्या यह सही है कि कलकत्ता में एक सार्वजनिक चाय गोदाम को बागान जांच आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध एक गैर-सरकारी फर्म मैसर्स बाल्मेर लौरी एण्ड कम्पनी को सौंपा जा रहा है जबकि सरकार ने पहले ये सिफारिशें स्वीकार कर ली थीं।

यदि यह मंत्रालय कोई कारगर कार्य करना चाहता है तो इसे वर्तमान नीतियों में आमूल परिवर्तन करने होंगे। अन्यथा हमारी भुगतान शेष स्थिति वैसी ही खराब बनी रहेगी और विदेशी मुद्रा का हमारा संकट कभी समाप्त नहीं होगा।

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : खादी समस्या पर इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर विचार करना चाहिये कि इससे गांवों में करोड़ों व्यक्तियों को नौकरी मिलती है। खादी ग्रामोद्योग के सामने आज मुख्य कार्य यह है कि वह गांवों में रहने वाले करोड़ों व्यक्तियों की कठिनाई को कम करे। खादी ग्रामोद्योग आयोग में खादी विभाग में 20 लाख से अधिक व्यक्तियों को नौकरी दी गई है और ग्रामोद्योग विभाग में 25 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दी गई है। यह आयोग मुनाफे के आधार पर कार्य नहीं करता है। यह न लाभ न हानि के आधार पर कार्य कर रहा है।

खादी के स्टाक में वह माल भी शामिल होता है जो खादी बोर्ड, विभिन्न भण्डारों तथा सहकारी समितियों के पास पड़ा होता है जबकि कपड़ा मिल के स्टाक में वह स्टाक ही शामिल होता है जो मिल के अहाते में जमा हो जाता है। इसलिये खादी का स्टाक ज्यादा नजर आता है और शायद कुछ माननीय सदस्यों का यह विचार है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के पास खादी का बहुत बड़ा स्टाक है। इसमें कुछ शक नहीं कि कुछ खादी जमा हो गई है परन्तु वह चार या पांच करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की नहीं है और वह भी घटिया किस्म की खादी है। खादी ग्रामोद्योग आयोग जैसे बड़े उपक्रम में यह सम्भव है कि उसमें कुछ घटिया किस्म की खादी या सूत का उत्पादन हो जाये। जो भी कपड़ा वे बना रहे हैं वह उच्च कोटि का है और इस घटिया स्टाक के जमा होने से संकेत मिलता है कि जनता को घटिया खादी अथवा सूत नहीं दिया जा रहा है। हमारा विचार घटिया किस्म के खादी सूत को मिल के सूत से मिलाने का विचार है। अब समय आ गया जबकि हमें इस सम्बन्ध में फिर से विचार करना होगा कि अन्य कपड़े के साथ खादी भी रहेगी। इसमें मिलावट आदि की कोई बात नहीं है। खादी तो खादी ही रहेगी। परन्तु हम इस घटिया खादी को जो कि वास्तव में खादी नहीं है मिल के सूत के साथ मिलाकर बेचने के बारे में सोच रहे हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग घटिया खादी को बाजार में कभी नहीं आने देगा क्योंकि वह खादी के नाम को बदनाम नहीं करना चाहता। खादी वैसी ही मजबूत और पायदार बनी रहेगी।

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair* }

इस घटिया खादी के अलावा भी खादी का कुछ स्टाक जमा हो गया है और उसका कारण यह है कि मिल तथा विद्युत चालित करघे से बने कपड़े की तुलना में खादी के दाम कुछ अधिक हैं और इसलिये लोग अब मिल या विद्युत चालित करघे का बना कपड़ा खरीदने लगे हैं।

श्री मनोहरन (मद्रास-उत्तर) : यह घटिया खादी बनाई ही क्यों गई ?

श्री शफी कुरेशी : खादी के समूचे प्रश्न की जांच करने के लिये एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की गई है। यह समिति यह भी देखेगी कि देश में किस प्रकार विभिन्न तरीकों से अच्छी खादी बनाई जा सकती है और वह इस बात को भी ध्यान में रखेगी कि खादी का उत्पादन उसकी बिक्री को ध्यान में रखकर ही किया जाये।

यह समिति इस बात की भी जांच करेगी कि क्या खादी की स्थानीय खपत लगभग 80 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। यह वृद्धि विभिन्न राज्यों तथा राज्य खादी बोर्डों के सहयोग पर ही निर्भर करेगी।

खादी के प्रबन्ध सम्बन्धी व्यय में कमी करने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं और इसकी किस्म पर नियन्त्रण लागू कर रहे हैं। विकसित चर्खे भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं और 25 प्रतिशत कपड़ा राज्यों द्वारा लिये जाने के लिये भी प्रयत्न किये जा रहे हैं। इन सब उपायों का उद्देश्य यह है कि जो भी खादी जमा हो गई है या पैदा की जा रही है वह देश में ही खपाई जा सके।

खादी बोर्डों के हिसाब-किताब की लेखा परीक्षकों द्वारा प्रति वर्ष जांच की जाती है। कोई भी ऐसा खादी बोर्ड नहीं है जिसने पिछले दस वर्षों में अपना लेखा जोखा प्रस्तुत न किया हो या जिसकी लेखा परीक्षकों ने जांच न की हो।

ब्लीडिंग मद्रास के बारे में भी उल्लेख किया गया था। इसका बड़ा खराब इतिहास रहा है। इसने बुरे दिन देखे हैं। बीच में इसकी हालत सुधरी थी। आजकल फिर इसके बुरे दिन हैं। 1959 में अमरीकियों ने इस कपड़े के प्रति अपनी रुचि दिखानी शुरू की थी। माननीय सदस्यों को यह पता होना चाहिये कि इसके रंग पक्के नहीं होते।

विदेशों में व्यापार करने का अर्थ है प्रतियोगिता का मुकाबला करना, अर्थात माल की किस्म तथा उसके मूल्य को इस प्रकार से निश्चित करना कि अन्य देशों के माल के मुकाबले वह विदेशों की मंडियों में लोकप्रिय हो सके। 1959 में इस विशिष्ट किस्म के कपड़े का 1,69,00,000 रुपये के मूल्य तक का निर्यात किया गया। अमरीका में फैशन बहुत जल्दी बदलते हैं। 1960 में इस किस्म के कपड़े का निर्यात गिर कर केवल 47 लाख रुपये रह गया।

शिल्प तथा हथकरघा आयोग ने वस्तुतः बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। इसने निर्यात 47 लाख रुपये से बढ़ाकर 1966 में 6,13,00,000 रुपये तक पहुँचा दिया है। जापान और हांगकांग भी एक बड़े प्रतियोगी के रूप में हमारे सामने हैं।

श्री मनोहरन : अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिये उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

श्री शफी कुरेशी : 1966-67 में 'मद्रास' नाम के इस कपड़े का निर्यात काफी गिर गया। तत्काल मद्रास राज्य के तत्कालीन उद्योग मंत्री, श्री वेंकटरमन, की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त प्रतिनिधिमंडल भेजा गया। उसने "ब्लीडिंग मद्रास" की किस्म के कपड़े के बारे में पूरी जांच की और उन्होंने पाया कि इस कपड़े के निर्यात में कमी होने के कुछ कारण थे, जिनमें से एक कारण माल का अधिक जमा हो जाना था। जब किसी विदेशी बाजार में अधिक माल जमा हो जाता है तो उसकी किस्म भी गिर जाती है। इस समिति ने कुछ सिफारिशें की, जिनमें से एक सिफारिश यह भी कि वर्तमान डिजाइनों में पुरुषों तथा युवकों के कपड़ों

के सारे फैशन आ जाते हैं तथा लड़कियों और महिलाओं के लिये एक डिजाइनर नियुक्त करके नये-नये डिजाइन निकाले जांय। यह डिजाइनर महिलाओं की रुचि के अनुसार नये-नये कपड़ों के डिजाइन तैयार करेगा।

श्री पीलु मोडी : अमरीका में इस कपड़े की खपत के अवसर समाप्त हो जाने के बाद मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री शफी कुरैशी : हम अन्य विदेशी बाजारों में माल भेज सकते हैं। अमरीका की तरह पश्चिमी एशिया में भी ब्लीडिंग मद्रास को मांग पैदा हो सकती है।

दूसरी सिफारिश यह थी कि संसद एक संकल्प पास करके ब्लीडिंग मद्रास को भारत और केवल भारत की एक प्रमाणीकृत हथकरघा उत्पाद घोषित करे। यह हो गया है।

तीसरी सिफारिश यह है कि विज्ञापन इकट्ठे करने के लिये एक क्लिपिंग सर्विस कायम की जाय जो अमरीका में पंजीकृत व्यापार चिन्ह का उल्लंघन हो सकती है। यह कार्य हो गया है। एक और सिफारिश यह है कि वर्तमान किस्म नियंत्रण उपाय जारी रखे जांय। इसको भी किया जा रहा है। अतः हमने इसके लिये विभिन्न उपाय किये हैं कि हम निर्यात बाजारों में पुन; पांव जमा सकें। केवल अमरीका में ही नहीं, अन्य देशों में भी हमें अपने व्यापार को लोकप्रिय करना चाहिए। इसके लिये केवल दो बातों की आवश्यकता है, कि किस्म अच्छी हो और अन्य देशों के माल का मुकाबला करने की क्षमता हो। हम अन्य यूरोपीय देशों में पश्चिमी एशिया के देशों में और वास्तव में अपने देश में भी अपनी वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ब्लीडिंग मद्रास का प्रयोग हमारे अपने देश में नहीं किया जा रहा है। फ्रांस, इटली और अन्य स्थानों पर भी यह कपड़ा बहुत लोकप्रिय बनता जा रहा है और इसलिये इसका भविष्य उज्जवल है।

जहां तक इलायची का सम्बन्ध है. हम प्रतिवर्ष लगभग 2300 टन इलायची पैदा कर रहे हैं। आशा है कि इसका उत्पादन बढ़ाया जायेगा। जो मूल्य हम ले रहे हैं वे अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। मुझे आशा है कि केरल राज्य में इलायची के उत्पादन को बढ़ावा देने से इलायची का भविष्य बहुत अच्छा है और संसार के बाजार में इसकी मांग काफी बढ़ जाने की आशा है।

श्री वासुदेवन नायर : क्या मंत्री जी नारियल जटा उद्योग के बारे में इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि एक ओर तो प्रतिवेदन में एक स्थान पर यह कहा गया है कि अवमूल्यन के बाद नारियल जटा का निर्यात बढ़ रहा है और दूसरी ओर प्रतिवेदन में एक अन्य स्थान पर यह कहा गया है कि पिछले वर्ष अवमूल्यन के बाद इसके निर्यात की मात्रा तथा मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में गिर गया है। ये दो परस्पर विरोधी बातें किस प्रकार मेल खाती है।

श्री शफी कुरैशी : यह उद्योग प्रमुख रूप से केरल में है। इसमें लगभग 5 से 6 लाख तक आदमी काम करते हैं। वस्तुतः सरकार इसकी बहुत इच्छुक है कि केरल में नारियल जटा उद्योग का विकास किया जाय। वाणिज्य मंत्रालय इस बात की ओर पूरी तरह से ध्यान दे रहा है कि इस उद्योग का विकास किया जाय।

मैं काफी के बारे में सभा को बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष काफी की फसल बहुत अच्छी हुई है अर्थात लगभग 76,000 टन हुई है जबकि 1961–62 में यह 46,000 टन थी। अतः जबकि काफी का उत्पादन दुगना हो गया है। परन्तु उत्पादन में वृद्धि होने के साथ-साथ काफी की आन्तरिक खपत भी बढ़ रही है। जो भी थोड़ी बहुत काफी खपत से बच जाती है उसका हम निर्यात कर रहे हैं। हमें काफी का कुछ कोटा देशों के लिये पूल को देना पड़ती है और कुछ काफी गैर-कोटे वाले देशों को देने के लिये रखनी पड़ती है। हमारा यह लक्ष्य है कि 1970 तक काफी का उत्पादन 85,000 टन तक पहुंच जाय।

हमारे निर्यात व्यापार की खराबियों का एकमात्र इलाज अधिक उत्पादन है। हमारा 60 से 70 प्रतिशत निर्यात कृषि पर आधारित है। कॉफी का अधिक उत्पादन करने से हमें अधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : वाणिज्य मंत्रालय एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह देश की गरीबी को दूर कर सकती है अथवा और अधिक गरीबी भी ला सकती है। कांग्रेस सरकार वही नीति अपना रही है जो अंग्रेजों ने अपने 200 वर्ष के शासनकाल में अपनाई थी। मिडलैंड बैंक द्वारा, जो इंग्लैंड के पांच बैंकों में से एक है, किये गये सर्वेक्षण से यह पता लगता है कि भारत के लिये व्यापार की शर्तें प्रतिवर्ष विपरीत होती जा रही है। इस बैंक के आंकड़ों के अनुसार यदि 1958 को आधार वर्ष माना जाय तो निर्यात यूनिट मूल्य का सूचनांक 105 से 98 हो गया है और उसी आधार के साथ आयात यूनिट मूल्य का सूचनांक 98 से बढ़कर 100 हो गया है। बैंक द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार साम्राज्यवादी राष्ट्रों के साथ व्यापार करने से पिछले दस वर्षों में हमें 10 प्रतिशत से अधिक की हानि हुई है। वस्तुतः इन दस वर्षों के दौरान 200 करोड़ रुपये की हानि हुई है। अवमूल्यन में इसमें और भी वृद्धि हुई है। 200 करोड़ रुपये की हानि 57 प्रतिशत और बढ़ गई है। कम मूल्यों पर बेचना और अधिक मूल्यों पर खरीदना इसका मुख्य कारण है। बेचते समय कम मूल्य का बीजक तैयार करना और खरीदते समय ज्यादा मूल्य का बीजक तैयार करना भी एक बीमारी है। विदेशी मुद्रा की गम्भीर कठिनाई के बावजूद, आयात और निर्यात करने वालों ने हमारे विदेशी मुद्रा के साधनों को चुराने की आदत बना ली है। सरकार इस मामले में कुछ भी नहीं कर रही है। विदेशों में भारी मात्रा में काला धन जमा हो रहा है और यदि हम इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो उससे हम और हमारा विदेशी व्यापार समाप्त हो जायेगा। मेरी यह मांग है कि विदेशी मुद्रा की चोरी और पर्यटक तस्करों की गतिविधियों के बारे में पूरी जांच की जानी चाहिये। अधिक मूल्य का बीजक और कम मूल्य का बीजक बनाने की प्रथा को समाप्त करने के लिये एक स्थायी व्यवस्था होनी चाहिये और इसको कठोर सजा वाला अपराध घोषित किया जाना चाहिये।

हमने निर्यात को बढ़ावा देने के लिये 15 निर्यात संवर्धन परिषदों और 5 म... बोर्डों की स्थापना की है। निर्यात संवर्धन परिषदों में बड़े व्यापारियों तथा विदेशियों का बाहुल्य है। परन्तु इनकी स्थापना के बावजूद निर्यात की मात्रा और मूल्य में दिन प्रतिदिन कमी ही रही है। इस दिशा में गम्भीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा समस्त निर्यात

व्यापार ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य उन्नत देशों के साथ होता है। इसके अलावा हमारे निर्यात का एक बड़ा भाग विदेशी जहाजों द्वारा ढोया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में, जिनके साथ यूरोप में मेरा काफी समय तक सम्पर्क रहा है, फर्जी आंकड़े दिये जाते हैं। दबाव की स्थिति में मूल्य में कमी का सुझाव दिया जाता है।

पटसन के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमें निर्यात तथा आयात के लिये राजसहायता दी गई है। परन्तु हम थाई पटसन खरीद रहे हैं जो वही चीज है जो कि मेस्ट है। इसमें लगभग 20 प्रतिशत की बरबादी होती है, परन्तु भारतीय जूट के मामले में लगभग 7 प्रतिशत की बरबादी होती है। इसके अलावा अधिक मूल्य और कम मूल्य के काफी बीजक बनाये जाते हैं।

आयात और निर्यात व्यापार में काफी गोलमाल होता है। मैंने बम्बई की फर्मों को स्टेनलैस स्टील के स्थान पर पत्थरों का निर्यात करते हुए देखा है। हिन्दुस्तान स्टील लि० अपनी बनाई स्टील बैंनजिन का निर्यात कर रहा है, जब कि हमारे देश में हमारे रासायनिकों को बैंनजिन की आवश्यकता है जो हम विदेशों से मंगा रहे हैं। आयात नियंत्रक कार्यालय पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार का अड्डा है। जब पाकिस्तान आयात-निर्यात व्यापार का राष्ट्रीय-करण करने के बारे में सोच रहा है तो फिर हम इस कार्य को क्यों नहीं कर सकते। इन सब बुराइयों का एकमात्र हल यही है।

केरल में देश का 90 प्रतिशत नारियल जटा का उत्पादन होता है। सरकार यह कहती आ रही है कि अवमूल्यन के बाद उसे अधिक धन प्राप्त हो रहा है। परन्तु यह धन उत्पादकों के स्थान पर बिचौलियों के पास पहुंच रहा है। नारियल जटा उद्योग के कर्मचारी शीघ्र ही हड़ताल करने वाले हैं। इसको रोकने के लिये सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिये। केरल सरकार ने इस उद्योग को अपने हाथ में लेने की इच्छा प्रगट की है क्योंकि नारियल जटा के अधिकांश उत्पाद केरल में बनाये जाते हैं।

चाय के निर्यात से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा में कमी होती जा रही है। भारतीय चाय के निर्यात से चार गुनी विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है, यदि इसकी निर्यात की मात्रा इतनी ही बनी रहे जितनी अब है। भारतीय किसान को प्राप्त होने वाले मूल्य में और विदेशों में उपभोक्ता द्वारा दिये जाने वाले मूल्यों में भारी अन्तर का कारण है सौ वर्ष पुराने ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यापार के हित में मंडियां और वितरण। हमारे चाय के निर्यात व्यापार पर से विदेशी एकाधिकारी हितों के कुचक्र को समाप्त किया जाना चाहिये।

हमारा जो चाय बोर्ड है उसका कार्य निराशाजनक रहा है। यह चाय बोर्ड सारे संसार का भ्रमण करता है। भारत के मजदूर को एक पौंड चाय के लिये 4 आने मिलते हैं जब कि विदेश में एक मजदूर एक पौंड चाय के लिए 20 रुपये लेता है। स्वर्गीय डा० शिव-स्वामी ने बागान जांच आयोग के प्रतिवेदन में इस बारे में विशिष्ट सिफारिशें की थी। मेरा सुझाव है कि एक चाय बिक्री निगम की स्थापना की जानी चाहिये और हार्लिक्स, स्काच, ह्विस्की की तरह चाय को भी बन्द पैकेटों में बेचना शुरू करना चाहिये ताकि चाय के साथ साथ

हम पैकिंग के सामान भी बेच सकें और पैकिंग करने वाले श्रमिकों की मजदूरी और जहाज का किराया भी मूल्य में शामिल कर सकें। इसका केवल यही तरीका है।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से अनुदानों की मांगों पर चर्चा के कार्यक्रम में परिवर्तन की घोषणा करना चाहता हूँ। गृह–कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांग पर चर्चा और मतदान के बाद खाद तथा कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांग से पहिले सिंचाई और विद्युत तथा संचार मंत्रालयों की अनुदानों की मांग ली जायेंगी। यह परिवर्तन इसलिए आवश्यक हो गया है, ताकि खाद्य तथा कृषि मंत्री 6 और 7 जुलाई को मुख्य मन्त्रियों तथा राज्यों के कृषि तथा सिंचाई मंत्रियों के सम्मेलन में भाग ले सकें।

एयर इंडिया के विमान चालकों द्वारा हड़ताल के बारे में चर्चा
DISCUSSION RE: STRIKE BY AIR-INDIA PILOTS

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Sir, it is very unfortunate that the pliots of Air-India have gone on strike at a time when we are facing foreign exchange crisis. It is well known to all that we would be losing foreign exchange to the tune of Rs. 3 crores as a result thereof. Moreover, it would be a sort of blow to the prestige of the Air-India.

This dispute relates to part II of the award given by National Industrial Tribunal. Gevernment is of the view that part II is not binding while the pilots are of the opposite view. This Part II contains some guiding lines about the service and allowances of pilots of Indian Airlines Corporation and Air India.

Government holds that this strike is illegal since this matter has been referred for adjudication. But the pilots are of the view that there is no need for adjudication in this case because the whole picture is very clear.

The statement placed before the House by the Minister is not complete. This statement does not give a full and correct picture of the situation.

Government wants to wriggle out of Part II of the Award which is binding. Government should honour the agreement made by it with the pilots. It should accept the principle of parity between pilots of Air India and Indian Airlines Corporation. The financial effect of it is not going to be far-reaching. The net gain to the pilots after deduction of income-tax would be only Rs. 70/- per month. The approach of Government is of bureaouratic type. It has made it a prestige issue for nothing. Government should take steps to settle this matter amicably.

This strike is not illegal. Government is responsible for the non-implementation of the award. Government had powers to modify the award under section 16 or 17 of Industrial Disputes Act but it did not do it at that moment.

Therefore, I would like to emphasise that Government should adopt a realistic attitude in the matter. I admit that from a national point of view, the pilots have taken a hasty step. They should have placed their view point and all the facts before the public before taking such a drastic step. Patriotism demands that the pilots should not resort to strike because it would mean loss of foreign exchange to a very great extent.

I would request the hon. Minister to have talk with the pilots on the issue and settle this matter amicably. I would also urge upon the pilots that they should not resort to strike in national interest. An arbitrator may be appointed for this purpose and the dispute should be settled as early as possible.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : यह वस्तुतः बहुत दुःख की बात है कि एयर इण्डिया जिस पर राष्ट्र को गर्व है हड़ताल के कारण अपना कार्य छोड़ने के लिए बाध्य किया जाय मेरा विचार है और शायद सभा भी इससे सहमत होगी कि स्थिति को इतना बढ़ने दिया गया कि हड़ताल आवश्यक हो गई। मैं इसके लिये किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस मामले में रचनात्मक तथा सहानुभूति का रवैया अपनाया जाय हम इस मामले को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये। में जानता हूँ कि यह कहा जायेगा कि इसके लिये विमान चालक उत्तरदायी हैं। परन्तु यदि हम एक सफल तथा मैत्रीपूर्ण समझौता चाहते हैं, तो इस प्रकार के रवैया से काम नहीं चलेगा क्योंकि जिस ढंग से एयर इंडिया के प्रबधकों ने कई बार मामलों को निपटाया है उसके बारे में काफी कुछ कहा जा सकता है। मामलों को अधिक विवेकपूर्ण ढंग से निपटाने से बहुत सी बातों में सुधार किया जा सकता है चाहे वह विमान चालकों की भर्ती का मामला हो और चाहे स्टोर आदि की व्यवस्था करने का हो और चाहें ऐसा ही कोई अन्य मामला हो।

यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि विमान चालकों और भारत सरकार के बीच सम्पर्क अस्त व्यस्थ हो गया है यदि ठीक प्रकार से सम्पर्क बनाये रखा जाता, तो जो भ्रान्तियां पैदा हो गई हैं और जिनके कारण हड़ताल जैसी अप्रिय घटनायें हुई हैं, वे शायद न होती मेरी यह जानकारी है कि मंत्री जी ने यह कहा था कि वह इस मामले को एक महीने के अन्दर सुलझाने की कोशिश करेंगे इसके बाद क्या हुआ, कुछ पता नही है।

इन सब बातों को देखते हुए एयर इंडिया इन्टरनेशनल के अध्यक्ष का यह कहना है कि यह बिल्कुल गैर-जिम्मेदारी का काम है और देश विरोधी है, बिल्कुल अनुचित है। उन्हें ऐसा उत्तेजनात्मक वक्तव्य नहीं देना चाहिए था। इस प्रकार के वक्तव्य ने वातावरण को दूषित कर दिया है।

सरकार ने कार्य मूल्यांकन समिति की नियुक्ति करने का जो आश्वासन दिया था, उसे पूरा किया जाना चाहिये। विमान चालकों की कुछ शिकायते वैध हैं इस समिति के निष्कर्षों को, चाहे वे कुछ भी हो, भूतलक्षी प्रभाव दिया जाना चाहिये। यह कोई नई बात नहीं है। समितियों को निष्कर्षों के बारे में हमेशा यह प्रथा रही है कि उन्हें भूतलक्षी प्रभाव दिया जाता

है, माननीय मंत्रीजी विमान चालकों की कार्य मूल्यांकन की मांग को स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। बाधा क्रियान्वित की तिथी के बारे में है माननीय मंत्री जी को इस मामले में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मेरी उनसे प्रार्थना है कि वह इस मसले को शक्ति-परीक्षण का मामला न बनाये वे प्रतिष्ठा का मामला न बनाये। इस समस्या के दल की शीघ्र आवश्यकता है मुझे आशा है कि ये सहानुभूति और विवेक से काम लेंगे और विमान चालकों के साथ कोई समझौता करने की कोशिश करेंगे।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : यह बहुत दुःख की बात है कि सरकार द्वारा मामला न्याय-निर्णय के लिये सौंप दिये जाने के बाद भी भारतीय विमान चालक संघ ने हड़ताल कर दी है। सरकार ने तथा एयर इण्डिया के अधिकारियों ने अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक वर्ष में हड़ताल न करने की अपील की है और फिर भी भारत में पर्यटक यात्रा का सबसे ज्यादा व्यस्त मौसम में हड़ताल की गई है।

भारतीय विमान चालक संघ द्वारा अपने वेतन बढ़वाने के लिये इस प्रकार के तरीकों को अपनाने के बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं है परन्तु साथ साथ यह भी कहना पड़ेगा कि इस प्रकार का कदम उठाने का निश्चय करते समय इन विमान चालकों ने देश भक्ति अथवा राष्ट्रीय भावना से काम नहीं लिया यह अत्यन्त शोचनीय बात है कि इतना अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों ने भी हड़ताल करने का रास्ता अपनाया।

Shri George Fernandes (Bomay. South) : Sir. there cannot be two opinions on this issue that this strike should be stopped as early as possible, I would like to know what Government has done to implement the recommendations made in the award (Part II) of the National Industrial Tribunal.

It is not a question of money but it has become a prestege issue. Government should immediately accept private arbitration and it should appoint an arbitrator who is acceptable to pilots.

The recommendations made in part II of the award of the National Industrial Tribunal should be implemented from the date of the award.

The question of job evaluation is serious one. The pilots now are not insisting for job evaluation of various categories. Job evaluation of various categories would entrail much time. The job evaluation may be restricted only to Caravalle and Boeing and this should be taken up immediately. Job evaluation of all the categories would take two to three years.

The working of the Air India International should be looked into since a(number of complaints have been made by the pilots from time to time in this regard. The two different Corporations for Indian Airlines Corporation and Air India International are meaningless. Therefore. it is imperative that the Indian Airlines Corporation and Air India International should be brought under one Corporation.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : It is very unfortunate that such highly paid officers have gone on strike. It is all the more painful that they have launched the strike at a time when much revenue could have been earned from international tourims. This was the bustiest season. Therefore, they donot deserve any kind of sympathy. It appears

that these people are playing in the hands of political leaders and have been doing this agitation for nothing. The strike should be suspended unconditionally. Only then it would be possible to consider their legitimate demands.

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : मुझे प्रसन्नता है कि भारत में एयर इण्डिया एक ऐसी संस्था है जिस पर भारत गर्व कर सकता है। मुझे एयर इण्डिया के विमान-चालक के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। वे बड़े अच्छे तकनीशियन हैं, वे सभी बहुत ही योग्य, परिश्रमी और अच्छा वेतन पाने वाले हैं। फिर भी मुझे खेद है कि इन्होंने अपनी मांगों को पूरा कराने के लिये हड़ताल का तरीका अपनाया है। मैं हड़ताल के विरुद्ध नहीं हूं, क्योंकि मेरे विचार में श्रम सम्बन्धी विवादों के समाधान का यह सही तरीका नहीं है। परन्तु मेरे विचार में ये लोग जो 5,000 रुपये से 8,000 रुपये तक प्रति मास वेतन पाने वाले हैं, उस अर्थ में इन्हें श्रमिक नहीं समझा जा सकता। मुझे इस हड़ताल के बारे में कुछ और कहना है, वह यह कि एयर इण्डिया की एक यूनियन नहीं है, उसकी अनेक यूनियनें है और यदि इस प्रकार वे बारी-बारी हड़ताल करने लगे तो सारा उद्योग ठप्प हो जायेगा और गरीब मजदूरों को कष्ट उठाना पड़ेगा। (व्यवधान)

मुझे डा० कर्णसिंह के साथ सहानुभूति है जिन्होंने अभी-अभी इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। परन्तु इस मामले में सरकार ने निर्णय लेने में 18 महीने लगा दिये जो बहुत ही अनुचित बात है। मेरे विचार में हमारे देश में बहुत हद तक निराशा सरकार द्वारा अनुपयुक्त ढंग से मामलों पर कार्यवाही की जाने के परिणामस्वरूप है। यदि सरकार ने अपने कर्मचारियों की भावनाओं के अनुकूल रवैया न अपनाया तो हड़ताल हमेशा चलती रहेगी।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : इस हड़ताल का कारण विमान-चालकों और सरकार की परस्पर गलतफहमी है। बात यह नहीं है कि एयर इण्डिया का प्रबन्ध करने वाले कुछ लोग देशद्रोही हैं। यह भी ठीक नहीं है कि पायलट 70 रुपये के लिये यह सब कुछ कर रहे हैं। इतना वेतन पाने वाले 70 रुपये की परवाह नहीं करते। वे वास्तव में इतना समय बीत जाने के बाद भी वे सुरक्षा की भावना महसूस नहीं करते। दूसरे श्री जे० आर० डी० टाटा को हमारे देश में इतना कार्यकुशल समझा जाता है, इसलिये वह जो चाहें करे। यह कहा गया है कि पायलट विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, परन्तु इसका उत्तरदायित्व तो सरकार और पायलटों तथा अन्य अधिकारियों अर्थात सभी पर है। इस सारे असंतोष का कारण यह है कि इस समस्या के समाधान में बहुत समय लगा दिया गया है।

मंत्री महोदय का विमान-चालकों पर बहुत अच्छा प्रभाव है। यह अभी राजनीतिक विषय नहीं बना है। विरोधी दल इसे राजनीतिक विषय बनाना चाहते हैं। (व्यवधान) वास्तव में यह मामला मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपा नहीं जाना चाहिये था। मैंने ऐसा मध्यस्थ निर्णय कभी नहीं सुना जिसमें सरकार शत प्रतिशत स्वविवेक से काम ले सकती हो। विमान-चालक इस निर्णय को भूतलक्षी प्रभाव से लागू कराना चाहते हैं। यह कार्य सरकार की कार्यपालिका के आदेशों से किया जाना चाहिये।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : मैं विमान-चालकों द्वारा दिये गये वक्तव्यों का समर्थन करता हूँ। यह सारी गड़बड़ी एयर इण्डिया के प्रबन्धकों ने की है। विमान-चालक की इतनी देर तक इन्तजार करते रहे हैं।

दूसरे श्री जे० आर० डी० टाटा पर निर्भर न करके भारत सरकार को स्वयं एयर इण्डिया के कार्य की देखभाल करनी चाहिये । वह सफल व्यापारी हो सकते हैं, परन्तु वह सफल मालिक नहीं हैं ।

तीसरे बहुत से लोगों ने इस कार्य के मूल्यांकन का प्रश्न उठाया है । सरकार इस बात से सहमत क्यों नहीं हो जाती । मजदूर संघ आन्दोलन में कर्मचारियों को जो भी शिकायत होती है तो वे कार्य मूल्यांकन की मांग करते हैं ।

चौथे ये विमान-चालक बोइंग सेवा चालू होने के समय से चालन विभाग की जांच की मांग कर रहे हैं । सरकार को इस मांग पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार करना चाहिये । मैं यह मानता हूँ कि विमान-चालकों ने काफी समय तक प्रतीक्षा की है, परन्तु फिर भी उन्होंने जो रवैया अपनाया है; मैं उससे शत प्रतिशत सहमत नहीं हूं ।

इसलिये मैं विमान-चालकों से अपील करता हूं कि वे हड़ताल समाप्त कर दें और सरकार के साथ मिल कर मतभेद दूर कर लें । यदि हड़ताल गैर-कानूनी भी है तब भी सरकार एक द्विपक्षी बैठक करके इन मतभेदों को दूर कर सकती है ।

Shri K. N. Pandey (Padrauna) : Last time when Engineers of Air India resorted to strike, it was based on the revision of their pay. Thereafter Navigators went on strike on a protest that why the pay of Engineers has been revised. I think there is something basically wrong with this organisation. I can see some justification if low paid workers go on strike. But we should maintain the reputation of Air India. I want that the pilots should withdraw the strike and Government should honour the verdict of a judge and act accordingly.

श्री उमानाथ (पुदुक्कोटै) : वे सभी लोग जो वास्तव में हड़ताल समाप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले यह देखना चाहिये कि हड़ताल करने वालों के विरुद्ध आरोप न लगाये जायें और न अपमानजनक शब्द कहें जायें । श्री टाटा ने हड़ताल करने वालों को देशद्रोही और अनुत्तर-दायी कहा है । जबकि वह स्वयं देश की प्रतिरक्षा की खातिर ट्रक का मूल्य 4,000 रुपये कम करने के लिये तैयार नहीं हुए । ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार के आरोप करने का क्या नैतिक अधिकार है ?

अब मूल प्रश्न दो हैं—एक तो कार्य मूल्यांकन और दूसरा उनकी तकनीकी योग्यता के लिये 'किराया', जिस शब्द का प्रयोग सामान्य भाषा में किया जाता है । मैं यह कहना चाहूँगा कि उसी तकनीकी योग्यता के लिये इण्टरनेशनल एयरलाइन्स 5,000 रुपये से भी अधिक दे रहा है । उक्त दोनों प्रश्न सरकार के समक्ष काफी लम्बे समय से हैं। यदि सरकार ने समय पर कार्यवाही की होती तो यह हड़ताल बहुत पहले रोकी जा सकती थी । जिस समय नाविकों ने हड़ताल की थी उसी समय सरकार कार्य मूल्यांकन और तकनीकी योग्यता के लिये किराये के प्रश्न पर विचार कर सकती थी । आज समय पर कार्यवाही न करने के कारण ही प्रति दिन 10 लाख रुपये की हानि हो रही है ।

सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये । सरकार को अन्तरिम तौर पर विमान-चालकों की मांग स्वीकार कर लेनी चाहिये और साथ ही कैरेवेल और बोइंग विमानों के बीच उत्पन्न मामले और कार्य मूल्यांकन के मामले का निर्णय करने के लिये एक मशीनरी स्थापित करनी चाहिये ।

मैं उनकी इस मांग का भी समर्थन करता हूँ कि निगम के कार्य को जांच की जानी चाहिये । श्री टाटा को यह डर है कि यदि जांच की गई तो निगम की कई कमियां सामने आ जायेंगी । मैं मांग करता हूं कि इस समूचे प्रश्न की जांच के लिये एक संसदीय समिति या आयोग को नियुक्त किया जाये ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : मैं सभा में दिये गये भाषणों में से एक भाषण से सहमत हूं जो बहुत ही उपयुक्त एवं बहुत ही यथार्थ था । यह भाषण श्री मोडी का था । सभी सदस्य विमान-चालकों से यही अपील करना चाहते हैं कि वे हड़ताल समाप्त कर दें । मैं भी उस अपील का समर्थन करता हूं । विमान-चालकों ने पहले ही मंत्री महोदय पर विश्वास व्यक्त किया है । विमान-चालकों और मंत्री महोदय को ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे इस विश्वास में वृद्धि हो । यदि प्रबन्धकों द्वारा कुछ बाधायें खड़ी की गई हैं तो उन्हें दूर कर देना चाहिये । इस हड़ताल को समाप्त करने के लिये हर सम्भव प्रयास करना चाहिये ।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : हड़ताल के संबंध में सभा में जो निराशा तथा चिन्ता व्यक्त की गई है, मैं उससे सहमत हूँ । यद्यपि विमान-चालकों ने इसे प्रतिष्ठा का मामला कहा; परन्तु फिर भी हम उसे प्रतिष्ठा का मामला न समझ कर एक राष्ट्रीय मामला समझते हैं । एयर इण्डिया एक बहुत ही अच्छा संगठन है और मेरे लिये यह सोचना असम्भव है कि इसके विमान-चालक वास्तव में कोई देश विरोधी कार्य करना चाहते हैं । परन्तु मैं यह कहूंगा कि इस समय हड़ताल करना देश के लिये बहुत ही अहितकर है ।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : इसलिये वे देशद्रोही हैं ।

डा० कर्ण सिंह : मैं उन पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाना चाहता । हड़ताल इसलिये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इससे विदेशी मुद्रा की बहुत हानि हो रही है । एयर इण्डिया की प्रतिष्ठा को भी इससे धक्का लगेगा । इसके साथ एयर इण्डिया के हजारों कर्मचारियों पर, जिन्हें बहुत कम वेतन मिलता है, भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, और फिर यह पर्यटक वर्ष भी है ।

अब दो बातें हैं । पहली जुलाई, 1965 में राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण पंचाट के सम्बन्ध में है । हम इस विशिष्ट प्रश्न को न्याय-निर्णयन के लिये भेजने के लिये तैयार है कि क्या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण पंचाट का भाग 2 अनिवार्य है या नहीं । क्योंकि इन करारों को किसी अस्पष्टता के कारण उनमें कोई परिवर्तन करना हमारे लिये सम्भव नहीं । यदि भाग 2 अनिवार्य है तो निगम अदायगी करेगा और सरकार भी उससे सहमत होगी और यदि नहीं तो विमान-चालकों को उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिये ।

दूसरी बात कार्य मूल्यांकन के बारे में है। कार्य मूल्यांकन वांछनीय भी है और आवश्यक भी है। यदि हड़ताल नहीं भी होती तब भी कार्य मूल्यांकन कराना चाहिए क्योंकि वर्तमान करारों की अवधि समाप्त होने जा रही है। विमान-चालक यह चाहते हैं कि कार्य मूल्यांकन भूतलक्षी प्रभाव से किया जाये। अब कार्य मूल्यांकन मंजूरी बोर्ड तो है नहीं। कार्य मूल्यांकन कई प्रकार के कार्यों का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। यह वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित एक तकनीकी काम है। वर्तमान करार अगले वर्ष समाप्त होने जा रहे हैं। मेरे विचार में उस समय तक कार्य मूल्यांकन का कार्य पूरा हो सकता है और फिर उस आधार पर वे नया समझौता कर सकते हैं। उस समय विमान-चालक भूतलक्षी प्रभाव का दावा कर सकते हैं। यदि प्रबन्धक उनकी मांग से सहमत हों तो ठीक है नहीं तो वह मामला न्यायाधिकरण के पास भेज दिया जायेगा। यदि न्यायाधिकरण उस समय यह समझे कि उसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना चाहिये तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

मैं विमान-चालकों को देशद्रोही नहीं कहता, परन्तु हड़ताल करना एक गलत बात है; क्योंकि इससे देश की अत्यधिक हानि हो रही है। फिर यह हड़ताल अवैध भी है। निश्चय ही प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है परन्तु यह प्रतिष्ठा देश को भारी नुकसान पहुँचा कर नहीं बनाई रखनी चाहिये। इसका परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है।

आज राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का प्रश्न न्यायनिर्णयन के पास है। मैं यह फिर कहूँगा कि विमान-चालक हड़ताल वापिस ले लें और न्यायनिर्णयन के परिणाम की प्रतीक्षा करें। यदि न्यायनिर्णयन ने यह कहा कि यह बन्धनकारी है तो मुझे विश्वास है कि प्रबन्धक भुगतान कर देंगे और सरकार भी उससे सहमत होगी। यदि न्यायनिर्णयन ने कहा कि वह बन्धनकारी नहीं है तो मुझे आशा है कि विमान-चालक सहमत हो जायेंगे। इसी बीच मैं स्वयं एक कार्य मूल्यांकन समिति की स्थापना करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस कार्य को बहुत आवश्यक समझता हूँ। कुछ महीनों के बाद इस समिति के निष्कर्ष उपलब्ध हो जायेंगे।

इसलिये विमान-चालकों को हड़ताल अब समाप्त कर देनी चाहिये।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार, 30 जून, 1967 / 9 आषाढ़, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, June 30, 1967/ Asadha 9, 1889 (Saka).